सप्तम माला, 25 जनवरी, 1980/ माघ, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 5, शुक्रवार, 25 जनवरी, 1980/5 माघ, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	1—6
संसदीय समितियां—कार्य का सारांश	6—8
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी श्री के० ए० राजन श्री पी० सी० सेठी श्री विरधी चन्द जैन श्री नरायण चौबे श्री चन्द्रपाल शैलानी	8—17
सभा की बैठक रद्द किये जाने के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा	17—18
सभा का कार्य	18—22
मिड ताप्ती नामक तट दूर स्थान पर गैस पाये जाने के बारे में वक्तव्य श्री पी० सी० सेठी	23
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 79—80—विवरण प्रस्तुत किया गया	23
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	23
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के बारे में वक्तव्य श्री पी० शिवशंकर	23
चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक पुरःस्थापित	24—42
चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 के बारे में वक्तव्य श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	43
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के बारे में वक्तव्य	43
नियम 377 के अधीन मामले	43—45
(एक) आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा पटना निर्वाचन क्षेत्र के लोक सभा चुनाव के संबंध में प्रसारित समाचार श्री रामावतार शास्त्री	43—44

2392—एलए०स०—1

पृष्ठ

(दो) दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर राशन में मिलने वाली वस्तुओं की कमी का समाचार 44

श्रीमती प्रमिला दण्डवते

(तीन) कार्मिक संघों की सदस्यता की जांच 44–45

डा० सुब्रह्मण्यम

(चार) बिजली और कोयले की सप्लाई न होने के कारण मेवाड़ कपड़ा मिल, भीलवाड़ा में जबरन छुट्टी करने का समाचार . . . 45

श्री गिरधारी लाल व्यास

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव . . . . 45—87

श्री एस० एम० कृष्ण
श्रीमती मोहसिना किदवई
श्री चरण सिंह

केरल राज्य के बारे में की गई उद्घोषणा को समाप्त करना . . . 87–88

बेगूसराय (बिहार) में एक पेट्रोकेमिकल कारखाने की स्थापना के बारे में संकल्प . 88—112

श्रीमती कृष्णा साही
श्री केदार पाण्डेय
श्री चन्द्रशेखर सिंह
श्री जार्ज फ़र्नांडिस
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा
श्री रामविलास पासवान
श्री कमला मिश्र मधुकर
श्री डी० एल० बैथा
श्री कृष्ण प्रताप सिंह
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी

कुछ आवश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बारे में संकल्प 112—120

श्री सुधीर कुमार गिरी
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

लोक सभा

शुक्रवार, 25 जनवरी 1980/5 माघ, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री रामराव नारायण राव यादव (परभनी)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य और इस्पात तथा खान और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 20 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 384(ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये संख्या एल० टी० 16/80**)

(2) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 11(3)/79-ई सी आर जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उस तारीख के सम्बन्ध में है जब चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 लागू होगा। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल० टी० 17/80**)

(दो) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 के अन्तर्गत जारी किया गया सां० आ० 624(ङ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें सलाहकार बोर्डों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के उपयुक्त उच्च न्यायालयों के नाम दिए गए हैं। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल० टी० 18/80**)

(तीन) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 के अन्तर्गत जारी किया गया सां० आ० 635(ङ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके अन्तर्गत

दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 19/80)

2क. निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मेढ़क की प्रशीटित टांगों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1979, जो दिनांक 9 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में सां० आ० 1890 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इस्पात के तार के रस्सों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2123 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इस्पात के तार लड़ियों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1979, जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2125 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राल का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2210 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सा० सां० नि० 2211, जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनमें दिनांक 30 सितम्बर, 1978 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 2865 का संशोधन दिया हुआ है।

(छ) जीरा का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1979, जो दिनांक 11 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2719 में प्रकाशति हुए थे।

(सात) मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 11 अगस्त, 1979, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2720 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) दूसरा संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2982 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पटसन उत्पादों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 22 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3241 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) गम कराया (कतीरा) का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1979, जो दिनांक 29 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3320 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) पोर्सलेन विद्युतरोधक तथा ब्रुश का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1979, जो दिनांक 17 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3757 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 20/80)

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) विलायक निष्कर्षित तेल, वितेलित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1979 जो दिनांक 16 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 487(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विलायक निष्कर्षित तेल, वितेलित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1979 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 653(ङ) में प्रकाशित हुआ था। (ग्रंन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 21/80)

(4) व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत, एकस्व, रूपान्तकनों और व्यापार चिन्हों के महानियंत्रक, बम्बई के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 22/80)

(5) भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 23/80)

इण्डियन एयर लाइन्स तथा एयर इण्डिया के वर्ष 1978–79 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : मैं श्री जे० बी० पटनायक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इण्डियन एयर लाइन्स का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 24/80)

(दो) एयर इण्डिया का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 25/80)

(2) विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इण्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1978–79 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 26/80)

(दो) एयर इण्डिया के वर्ष 1978–79 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 27/80)

सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम तथा डाकघर बचत बैंक नियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि, स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा इसके सहायक बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन, दिल्ली वित्त निगम का वर्ष 1977–78 के लिये लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, वेतन, आय तथा मूल्यों सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन तथा बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदन

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाकघर बचत प्रमाण-पत्र (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 555(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (पांचवां निरगम) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 556(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सरकारी बचत प्रमाणपत्र (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 557(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय विकास बाण्ड (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 558(ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 28/80)

(2) डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 के अन्तर्गत जारी की गई विभिन्न लेखाओं पर ब्याज की दर-सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 554(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 29/80)

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें यह बताया गया है कि सरकार उपर्युक्त प्रतिवेदन से सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण पर अलग समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है। (ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 30/80)

(4) भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके साथ सहायक बैंकों अर्थात् स्टेट बैंक आफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ़ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ़ मैसूर, स्टेट बैंक आफ़ पटियाला, स्टेट बैंक आफ़ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक आफ़ ट्रावनकोर के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 31/80)

(5) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम के वर्ष 1977–78 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 32/80)

(6) वेतन, आय तथा मूल्यों सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (हिन्दी *संस्करण) की एक प्रति । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 33/80)

(7) बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 17 जुलाई, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था।

(छः) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उनपर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) सिंडिकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) यूनियन बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उनपर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उनपर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) इंडियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) बैंक आफ़ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) इंडियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। (ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 34/80)।

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

सचिव : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) संसदीय समितियां—1 जून, 1978 से 31 मई, 1979 तक की अवधि सम्बन्धी कार्य का सारांश (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) (ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 35/80); और

(दो) संसदीय समितियां—1 जून, 1979 से 22 अगस्त, 1979 तक की अवधि सम्बन्धी कार्य का सारांश (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) (ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 36/80)।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली कार्यवाही लेते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमेंड हार्बर) : दिल्ली में बिगड़ती हुई अपराध स्थिति पर हमने प्रस्तावों के नोटिस दिए है । **(व्यवधान)** .

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएये । मैं सब बातों पर ध्यान दूंगा । अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप नोटिस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत मैं एक प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर चुका हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्थिति उससे अधिक गम्भीर है ।

अध्यक्ष महोदय : कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं । कृपया बैठ जाएये । . . . (व्यवधान) कृपया सभा में इतनी स्वतन्त्रता न लें । क्या आप सहयोग देंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : दिल्ली की अपराध स्थिति के बारे में क्या हुआ है । कृपया बताइए . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल नियम 377 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव स्वीकार किया था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह पर्याप्त नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा का ध्यान उस ओर दिला दिया गया है । अब श्री राजन ।

श्री सी० पी० एन० सिंह (पडरौना) : एक नये सदस्य के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हम केवल इसी कारण बोल नहीं पाते क्योंकि हर मामले पर श्री बसु आपकी अनुमति के बिना खड़े हो जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप भी अपने प्रस्ताव मेरे पास भेज दें । मैं उन पर विचार करूंगा . . . **(व्यवधान)** मैं प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके गुणों के अनुसार निर्णय लेना चाहता हूं, मैं आपको अनुमति दूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं यह नहीं कह रहा कि आपने अनुमति नहीं दी तथा आप निष्पक्ष नहीं हैं । क्या हम वास्तव में जान सकते हैं कि गृह मंत्री क्या कार्यवाही कर रहे हैं । देश की राजधानी दिल्ली में स्थिति बड़ी गम्भीर बनी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने एक प्रस्ताव की अनुमति दी थी । मंत्री महोदय स्थिति पर विचार कर रहे हैं । आप उनसे बात कर सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप उनसे सभा को यह बताने के लिए कहें कि क्या कार्यवाही की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका ध्यान दिला दिया गया है । कल नियम 377 के अन्तर्गत मामला लिया गया था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बाधित नहीं करता . . . (व्यवधान) . . . कृपया सभा के अधिकारों को घटायें नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । सभी लोग इससे चिन्तित हैं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं कल सवेरे आपसे चेम्बर में मिला था और आप से कहा था कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है. . .

अध्यक्ष महोदय : आप कौनसे नियम का उल्लेख कर रहे हैं ।

श्री राम बिलास पासवान : मैं तो आप से पर्मीशन ले रहा हूं । मैंने कहा कि मैं कल आपसे मिला था और आपने कहा था कि मैं मैटर कंसीडर करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही एक प्रस्ताव स्वीकार कर चुका हूं । कृपया बैठ जाइए। अब श्री के० ए० राजन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें ।

> "देश में डीजल और मिट्टी के तेल की कमी का समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कायवाही"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : आदरणीय श्री के० ए० राजन और अन्य चार सदस्यों ने सरकार का ध्यान देश में डीजल और मिट्टी के तेल की तथाकथित कमी और इसके लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों की ओर आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है ।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, विशेषत: हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है । जब कि 1977–78 तक एच० एस० डी० की वार्षिक विकास दर 8 से 9 प्रतिशत थी, 1978–79 में यह 11 प्रतिशत से कुछ अधिक और चालू वित्तीय वर्ष के पहले अर्ध में यह लगभग 16 प्रतिशत थी । एच० एस० डी० के विक्रय में 16 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, जो कि भूतपूर्व में वृद्धि दर से कहीं अधिक है, एच० एस० डी० की कमी के सम्बन्धित रिपोर्टें मिलती रही हैं । यह कमी मुख्य रूप से इस कारण थी कि एच० एस० डी० की मांग में रेल के बजाय सड़क मार्ग द्वारा माल के अधिक वाहन, बिजली की कमी, कृषि पम्पों के लिए इस उत्पाद की बढ़ती हुई मांग, देश के विभिन्न भागों में वर्षा न होने के कारण अभूतपूर्व सूखे की परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थीं । पेट्रोलियम उत्पादों के ऊंचे

मूल्यों, इन ऊंचे मूल्यों पर भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की कठिन उपलब्धता, परिवहन की समस्याओं को विचार में रखते हुये सितम्बर, 1979 में राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि अक्तूबर, 1979 से मार्च, 1980 की अवधि के दौरान एच० एस० डी० की सप्लाई पिछले वर्ष के वास्तविक विक्रय से 5 प्रतिशत अधिक के स्तर पर रखी जाएगी। परन्तु सूखे, बिजली की कमी, डीजल जनरेटिंग सेटों के अधिक उपयोग के कारण एच० एस० डी० की बढ़ती हुई मांग को विचार में रखते हुये समय-समय पर पहले निर्धारित कोटा के अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इस प्रकार सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए अक्तूबर महीने के लिए एच० एस० डी० का मूल आवंटन जो 652,000 मी० टन था उसमें 100,000 मी० टन की वृद्धि की गई थी। इसी प्रकार नवम्बर और दिसम्बर के मूल आवंटन जो क्रमशः 700,000 और 720,000 मी० टन थे उन्हें बढ़ा कर क्रमशः 781,000 और 808,000 मी० टन किया गया था।

दिनांक 11 सितम्बर, 1979 के पत्र द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे एच० एस० डी० के उपयोग के सम्बन्ध में उपयुक्त प्राथमिकताएं निर्धारित करें और राज्यों को दिए गए आवंटन से इसे पूरा करें। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया था कि एच० एस० डी० की सप्लाई के मामले में कृषि को अधिकतम प्राथमिकता दी जाये। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया था कि या तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण आदेश जारी करके या अन्य किसी तरीके से इस बात को सुनिश्चित करें कि काला बाजार या अन्य दुराचार न हो सकें। इन निर्देशों के बाद विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नागरिक पूर्ति आयुक्तों के साथ बैठकें भी हुई थीं। इन बैठकों में वितरण के लिए प्रभावी प्रणाली तैयार करने और दुराचार की रोकथाम की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया गया था।

4. जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, 1979–80 के दौरान देश में 4 मिलियन मी० टन की कुल खपत का लगभग 45 प्रतिशत भाग आयात किया जाना था। इस उत्पाद की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता कठिन है और कठिन उपलब्धता तथा परिवहन की समस्याओं को देखते हुये विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल का आवंटन पिछले वर्ष के वास्तविक विक्रय के स्तर पर खपत में बिना किसी वृद्धि दर को रख कर, दिया गया था।

एच० एस० डी० और मिट्टी के तेल की सप्लाई में प्रमुख समस्यायें निम्न प्रकार थीं :—

(I) पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के सम्बन्ध में देश को जिस प्रमुख कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वह असम में बिगड़ती हुई राजनैतिक स्थिति है। असम में तेल शोधनशालाएं 27 दिसम्बर से बन्द हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में बरौनी शोधनशाला भी 2 जनवरी से बन्द है। पिछले महीने के अन्तिम सप्ताह से असम से बाहर पेट्रोलियम उत्पादों और खनिज तेल को लाने में भी बाधाएं पड़ रही हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों को पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त बरौनी शोधनशाला के बन्द होने से बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के अन्य भागों में डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता में भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

(II) हाल ही के महीनों में देश के विभिन्न भागों में बन्दरगाहों में काम अस्त-व्यस्त हो गया है । जिन बन्दरगाहों पर प्रमुख रूप से यह प्रभाव पड़ा है वे हैं बम्बई, हल्दिया और मद्रास । उदाहरणतः केवल दिसम्बर, 1979 में बम्बई पोर्ट ट्रस्ट में 18 दिन की हड़ताल के कारण बम्बई की दो शोधनशालायें पूर्ण रूप से बन्द रहीं या उनके थ्रुपुट में कमी हुई और आवश्यक पैट्रोलियम पदार्थों में बम्बई से अन्य बन्दरगाह स्थलों पर भी कमी रही । उत्पादन में कुल हानि करीब 30,000 मी० टन मिट्टी के तेल और 60,000 मी० टन एच०एस०डी० की इसके फलस्वरूप बम्बई शोधनशालाओं में हुई ।

(iii) संभरण स्थलों से खपत स्थलों तक पैट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में भी कठिन समस्यायें रही हैं । कई कारणों से गत दो वर्षों के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों के रेल टैंक वैगनों द्वारा परिवहन में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इसके फलस्वरूप देश के उपरी भाग के कई स्थलों पर जो कि पेट्रोलियम उत्पादों के रेल द्वारा परिवहन पर निर्भर रहते हैं, में डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता की स्थिति बहुत ही खराब रही है ।

डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता की स्थिति विशेष रूप से उत्तर और उत्तर-पूर्वी भारत में बहुत ही गम्भीर है । इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) एच०एस०डी० और मिटटी के तेल के पर्याप्त आयात की व्यवस्था की जा रही है । ताकि प्रमुख बन्दरगाहों स्थलों पर इन दो पदार्थों के पर्याप्त स्टाक उपलब्ध हों जिससे देश की कुल आवश्यकता पूरी की जा सके । जिस आयात की व्यवस्था की जा चुकी है और जो आने वाले महीनों में देश में पहुंच जाएगा उसके अतिरिक्त इन उत्पादों के और अधिक आयात की व्यवस्था की जा रही है ताकि बन्दरगाह स्थलों पर इन पदार्थों की उपलब्धता में कोई कमी न हो ।

(ii) बरौनी शोधनशाला में उत्पादन में रुकावट आ जाने और असम से बाहर पेट्रोलियम पदार्थ लाने की समस्याओं के बाद वैकल्पिक साधनों से इन उत्पादों के परिवहन के लिए कुछ उपाय किये गये हैं । डीजल और मिट्टी के तेल जैसे उत्पादों को हल्दिया—बरौनी—पटना—मुगलसराय—इलाहाबाद—कानपुर पाइप लाइन द्वारा हल्दिया से पम्प किये जाने को गत सप्ताहों में अधिकतम किया गया है । इन स्थलों तक रेल द्वारा यथासम्भव अतिरिक्त उत्पादों को ले जाने के लिए रेलवे से भी विचार-विमर्श किया गया है । परन्तु इन वैकल्पिक प्रबन्धों के बावजूद कुल उपलब्धता उस मात्रा से कम है जिसकी बरौनी शोधनशाला बन्द होने और असम से पैट्रोलियम पदार्थ न आने के कारण कमी हुई है । सम्बद्ध राज्य सरकारों को इन उत्पादों की कम उपलब्धता के बारे में सूचित किया गया है और उन से अनुरोध किया गया है कि उपलब्ध उत्पादों का यथासम्भव बेहतर वितरण सुनिश्चित करें । राज्यों के अन्दर पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण का दायित्व राज्य सरकारों का है और उनसे पहले ही यह अनुरोध किया गया है कि

काला बाजार आदि जैसे सकाज विरोधी तत्वों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठायें, जो कि कमी के समय में सामान्य तौर पर उभरते हैं । ऐसे तत्वों के खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार उपलब्ध हैं । उपलब्ध उत्पादों के एक समान वितरण से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों तथा सचिवों के साथ एक बैठक का 29 जनवरी को आयोजन किया जा रहा है ।

(iii) रेलवे के साथ विचार विमर्श किया गया है और रेल मंत्री के साथ आज एक बैठक हो रही है जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि पेट्रोलियम उत्पादों का देश में रेल परिवहन कहां तक किया जा सकता है । यह अवश्य याद रखना होगा कि डीजल और मिट्टी के तेल जैसे उत्पादों के पर्याप्त आयात की व्यवस्था यदि की भी जाये तो भी पर्याप्त मात्रा में इन्हें खपत स्थलों पर उपलब्ध करना आवश्यक रूप से इस बात पर निर्भर होगा कि इन उत्पादों को उन स्थलों तक पहुंचाने की हमारी क्षमता कितनी है ।

कई कारणों से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है । पैट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में सुधार लाने और इसमें आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जो कुछ भी करना सम्भव है वह किया जा रहा है ।

श्री के० ए० राजन : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा है । मैं देश में पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति को विशेषत: इन वस्तुओं की विश्व बाजार में स्थिति को ध्यान में रखते हुये भली प्रकार समझ सकता हूं । इन उत्पादों के परिवहन की विचित्र स्थिति उत्तर पूर्व क्षेत्र में पैदा हो गई है । यह भी उन्होंने ठीक रूप में बताया । परन्तु इस उत्पाद की उपलब्धता की कोई भी स्थिति हो यह मामला मुख्यत: वितरण का है ।

अभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है और कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का मूल्य 5 रुपए लीटर है । इस बारे में समाचार पत्रों में काफ़ी चर्चा हुई हैं । मिट्टी के तेल तथा डीजल की कमी का देश की अर्थ-व्यवस्था विशेषत: कृषि पर बहुत प्रभाव होता है । सरकार का ध्यान दिलाने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि समुचित वितरण पद्धति लागू की जाये ताकि अग्रता निर्धारित की जाये और देश को हानि न उठानी पड़े । मंत्री महोदय को उत्तर देने में सरलता हो, इसके लिए मैं अपने प्रश्न को खण्डों में विभाजित करता हूं :—

(क) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग विशेषत: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वितरण स्थिति का सरकार कैसे मुकाबला करना चाहती है ?

(ख) 1980 के दौरान 1979 की तुलना में मिट्टी के तेल, और मोटर डीजल की मांग में कितनी वृद्धि हुई है ?

(ग) विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल और मोटर डीजल के वितरण की कसौटी क्या है ?

(घ) मिट्टी के तेल तथा डीजल के वितरण के लिये क्या सरकार ने कोई अग्रता निर्धारित की है ?

(ङ) ग्रामीण गरीब जनता को मिट्टी के तेल तथा कृषकों को डीजल के उचित वितरण के लिए कौन-से ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री पी० सी० सेठी : समुचित जानकारी प्राप्त करने के लिए माननीय सदस्य ने जो उपर्युक्त प्रश्न पूछे हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। वस्तुतः जहां तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया, कठिनाई दोहरी है। एक तो आसाम शोधशालाएं बन्द पड़ी हैं तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल के कुएं बन्द पड़े हैं। वहां पर घेराव जारी है। हमारे एक अधिकारी की हत्या कर दी गई है और लोगों को तेल के कुओं तथा तेल साफ करने के कारखानों तक जाने नहीं दिया जाता। सौभाग्य से दो दिन पहले गुहाटी रिफाइनरी में कार्य शुरू हो गया है और हमें उम्मीद है कि सबके सहयोग से आसाम में सामान्य स्थिति आ जायेगी तथा दो अन्य शोधनशालाएं भी कार्य करने लगेंगी। जैसे ही तेल के कुए कार्य करने लगेंगे हल्दिया से पम्प करने के स्थान पर हम इसे आसाम से पम्प कर सकेंगे। कच्चे तेल को आसाम से बरौनी ले जाने वाली पाइपलाइन की क्षमता हल्दिया से इस ओर की पाइप लाइन की क्षमता से काफी अधिक है। इसके बजाय यद्यपि पाइपलाइन लम्बी है हम हल्दिया से जितनी भी क्षमता पम्प की जा सकती है उससे परिस्थिति का सामना करने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि हम इस ओर से रोड़ टैंकर भेजना चाहें—बहुत से टैंकर तथा अन्य वस्तुएं जिन की कि आसाम जानी है सिलीगुड़ी अथवा अन्य स्थानों पर पड़ी हैं–उन्हें भय है कि जैसे ही वह उस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे या तो चालक को मार दिया जायेगा या गाड़ी को आग लगा दी जायेगी। बहुत भारी संख्या में गाड़ियां तथा अन्य उत्पाद जिनकी आसाम में आवश्यकता है इस समय आसाम की सीमा पर रुकी हुई हैं। इसलिए स्थिति का सामना करने के लिए गृह मन्त्रालय से परामर्श करके कार्य-वाही की जा रही है। रेल मन्त्रालय पर्याप्त मात्रा में टैंकर दे रहा है। जब से रेल मन्त्री ने भार सम्हाला है वह इस समस्या पर पूरी तरह विचार कर रहे हैं और हम उनके आभारी हैं। परन्तु इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि खपत में 8 से 9 प्रतिशत तथा 9 से 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। और इस के अनुरूप टैंकरों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। तथा परिणाम स्वरूप टैंकर अपेक्षित मांग को पूरा नहीं कर पाते। हम यह जानने की भी चेष्टा कर रहे हैं कि क्या हम कुछ टैंकर पत्तन क्षेत्रों से प्राप्त कर सकते हैं जोकि बहुत उपयोगी रहेंगे। यदि 15–20 दिनों के लिए हमें टैंकर मिल जाते हैं तो हम उनका उपयोग इस माल को अन्य क्षेत्रों से पूर्वी क्षेत्र में भेजने में कर सकते हैं। हम इस बारे में प्रयत्नशील हैं और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हम यथाशीघ्र अच्छे परिणाम देने लगेंगे, और इस पर अधिकतम 15–20 दिन लगेंगे।

जहां तक अनुमानित वृद्धि दर का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने बताया पिछले वर्ष यह 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत था। और इस वर्ष यह लगभग 16 प्रतिशत बैठता है। वृद्धि दर प्रतिदिन बढ़ रहा है क्योंकि बिजली के बन्द होने के कारण डीजल की खपत बढ़ती जा रही है। डीजल का उपयोग कृषि कार्यों के लिए भी हो रहा है। इसके अलावा हर वर्ष कृषि क्षेत्र में नये पम्पिग सेट लग रहे हैं इसलिए मांग को पूरा करने के लिए डीजल की आवश्यकता है। परिवहन की वृद्धि दर भी बहुत अधिक हैं। इस बारे में यह सभी पहलू हैं। पूरी स्थिति का मूल्यांकन करने की कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक वितरण की कसौटी का सम्बन्ध है हमने पिछले वर्ष की कसौटी को आधार बनाया है। जबकि उपलब्धता अपने शिखर पर थी। इसके अलावा यद्यपि हमें कठिनाइयों

एवं कमियों को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए थी परन्तु यह सम्भव नहीं हो सकी। पिछले वर्ष किए गये आवंटनों के अनुसार हमने वृद्धि दर 5 प्रतिशत रखा तथा उस हद तक निश्चय ही कमी आई। राज्यों को आवंटन इसी आधार पर किया गया है कि पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक दिया जायेगा ।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि आवंटन करना तथा उपलब्ध करना अलग-अलग बातें हैं। कई बाधाओं के कारण जिनका कि मैंने उल्लेख किया है, हर राज्य में वास्तविक प्राप्ति आवंटनों के अनुरूप नहीं हुई हैं । उसमें कमी रही है। विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिस्थिति बहुत कठिन हैं। उदाहरणार्थ मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में यह उत्पादन हम विशाखापतनम से दे रहे हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए कुल आवंटन 16,500 मीटरी टन था तथा वास्तविक कमी कठिनता से 1500 मीटरी टन है।

हम यह भी देखते हैं कि राज्य सरकारों के असहयोग के कारण वितरण पद्धति पर नियन्त्रण नहीं रखा जा सका, कदाचार जारी है उपलब्धता के बावजूद स्थिति बिगड़ी हुई है। उसके लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं यदि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दृढ़ कार्यवाही करती हैं तथा उस अध्यादेश का उपयोग करती हैं, जो कानून बनने जा रहा हैं, विशेषत: इन क्षेत्रों में उपयोग में लाती हैं, तो 50 प्रतिशत कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी। कई लोग जो मुझे मिल हैं उनसे मुझे पता चला है कि पेट्रोल पम्प दिन में बन्द रहते हैं तथा रात में खुलते हैं। जो भी व्यक्ति ऊंचे दाम देता है उसे माल पहले मिल जाता है तथा शेष लाइन में लगे रहते हैं।

मिट्टी के तेल की स्थिति भी वैसी ही है। दोषपूर्ण वितरण पद्धति के कारण के गांवों में मिट्टी का तेल मिल नहीं पाता। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि उनके क्षेत्र में मिट्टी का तेल 5 रुपए लीटर बिक रहा है परन्तु मेरे क्षेत्र में ..... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमण्ड हार्बर) मेरे क्षेत्र में यह 8 रुपए लीटर है ।

श्री पी०सी० सेठी : बड़े आदमी हैं। आप जैसे दे सकते हैं (**व्यवधान**) अपने मुख्य वक्तव्य में मैंने की जा रही कार्यवाही का उल्लेख कर दिया है।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) राजस्थान में पच्चीस प्रतिशत की कटौती कर दी गई है । जनवरी 1979 के मुकाबले में जनवरी 1980 में 25 प्रतिशत हाई स्पीड डीज़ल में और उतनी ही क्रूड आयल में भी कटौती कर दी गई हैं।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि 11 सितम्बर, 1979 को जो आपने पत्र द्वारा परामर्श दिया था राज्य सरकारों को कि एच०एस०डी० की सप्लाई के मामले में कृषि को अधिकतम प्राथमिकता दी जाये, तो उस प्राथमिकता का परिपालन नहीं किया जा रहा है बाड़मेर, जालौर और जोधपुर जिले एग्रीकल्चरल परपज़ेज़ के लिये डीज़ल पर ही निर्भर रहते हैं, और जहां सूखा पड़ा है, जहां बाढ़ की चपेट से भयंकर हानि हुई हैं और अभी उन्होंने बड़ी मेहनत करके काश्त की हैं लेकिन वहां डीज़ल प्राप्त नहीं हो रहा है, फसलें सूख रही हैं, बरबाद हो रही है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने आदेश दिये, जो सलाह दी, निर्देश दिये, उनका राजस्थान सरकार अगर पालन नहीं करती है तो आप क्या कदम उठायेंगे क्योंकि वहां जनता पार्टी की सरकार है और वह जानबूझ कर कोशिश कर रही है कि जहां-जहां से

कांग्रेस आई० के एम०पीज० आये हैं, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में भी वहां के किसानों की फसलें बरबाद हो जायें और उसके लिये जिम्मेदार कांग्रेस आई० की सरकार हो जाये। तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री पी० सी० सेठी : दक्षिण के माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए यदि मैं उत्तर अंग्रेजी में दू तो मुझे आशा है कि माननीय सदस्य बुरा नहीं मानेंगे।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई 20 प्रतिशत की कटौती की बात का सम्बन्ध है, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि 14-1-1980 को नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से सरकार ने किसी प्रकार की कटौती नहीं की है। वास्तव में कटौती भूतपूर्व सरकार ने 5 जनवरी, 1980 को की थी। अतः जहां तक इस कटौती का सम्बन्ध हैं इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं। 5 जनवरी, 1980 को चुनाव परिणाम निकलने से पूर्व भूतपूर्व सरकार ने 20 से 25 प्रतिशत की यह कटौती की।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि समुचित प्राथमिकताएं नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस बात की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सभी जिलों को समान रूप से वितरण नहीं किया गया। अब मुझे उन शिकायतों की जांच करनी पड़ेगी। किन्तु ऐसे समाचार मिले हैं कि अधिकांश सप्लाई पश्चिम उत्तर प्रदेश को की गई जबकि झांसी डिवीजन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को किसी प्रकार की सप्लाई नहीं की गई।

भूतपूर्व सरकार ने, जो अपने आपको किसानों का प्रबल समर्थक समझती थी, निदेश जारी किये थे, किन्तु वे उन निदेशों को कार्यान्वित नहीं कर सके। वे केवल नारे ही लगाते थे। उन्होंने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। यह राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार ने इस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमने इस महीने की 29 तारीख को मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों तथा नागरिक पूर्ति सचिवों की एक बैठक बुलाई है। यह मामला इतना आवश्यक है कि प्रधान मंत्री स्वयं इस बारे में बहुत चिंतित हैं और वह प्रति दिन इस मामले पर विचार कर रही हैं। वह मंत्रालय में सम्बन्धित व्यक्तियों से बातचीत कर रही हैं। राज्य सरकारें विद्यमान अध्यादेशों को कार्यान्वित नहीं करेंगी किन्तु अब यह कानूनी रूप ले लेगा और यदि उन्होंने कदाचार किए या गलत ढंग से वितरण किया तो फ़िर हमें इन मामलों को निपटाने के लिए तरीके निकालने पड़ेंगे।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : श्रीमान मैंने अपने प्रश्न को तीन भागों में बांटा है। पहला भाग यह है कि क्या मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल की कमी सोवियत संघ से आयातित मिट्टी के तेल की कम सप्लाई के कारण हुई है, क्या सोवियत संघ ने निर्धारित मात्रा से कम मिट्टी के तेल की सप्लाई की है और यदि हां, तो इस बारे में उन्होंने क्या कारण बताये हैं। भाग (ख) यह है कि क्या वैकल्पिक ईंधन के लिए किसी प्रकार का अनुसन्धान किया है। भाग (ग) यह है कि बताया गया है कि मिट्टी के तेल की कमी के कारण सरकार घरेलू उद्योगों में काम आने वाले गैस सिलिण्डरों तथा मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाना चाहती है इससे जनसाधारण में असन्तोष फ़ैल जाएगा। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव में गैस सिलिण्डरों तथा मिट्टी के तेल की कीमत को बढ़ाना चाहती है ?

श्री पी० सी० सेठी : यद्यपि गैस के सिलिण्डर इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आते तथापि मुझे इस सभा के तथा दूसरा सभा के माननीय सदस्यों को यह बताते हुये हर्ष होता है कि हमने आज सभी संसद् सदस्यों को दिल्ली में तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें गैस के चूल्हे देने का आदेश दे दिया है।

श्री आर० के० महालगी : मैं जनसाधारण की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या आप कीमत बढ़ा रहे हैं अथवा नहीं।

श्री पी० सी० सेठी : जिसे करना पड़ता है, वही समझ पाता है कि क्या हो रहा है। माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है कि सोवियत संघ से सप्लाई में कमी हुई है। सोवियत संघ अपने वचन के अनुसार पूरी सप्लाई कर रहा है। हमें सोवियत संघ से नियमित रूप से सप्लाई हो रही है। मेरे विचार से यह प्रचार जानबूझकर किया गया है।

जहां तक वैकल्पिक ईंधन का सम्बन्ध है, यह एक जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न पर तथा अन्य बातों पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विचार किया जायेगा। निःसन्देह हम भी इसमें सम्मिलित होंगे और हम सम्बन्धित विभागों को इस कार्य में सहायता देने के लिए तैयार हैं।

श्री आर० के० महालगी : मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाने सम्बन्धी मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इससे जनसाधारण पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक मिट्टी के तेल की कीमत का सम्बन्ध है, इस समय यह 1.50 रुपए है। किन्तु अव्यवस्थित वितरण के कारण यह 1.50 रुपए में उपलब्ध नहीं हो रहा है। उदाहरणार्थ मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ढोने का कार्य के लिए 27 रुपए के अतिरिक्त प्रभार लगाए हैं और फलस्वरूप वहां सरकारी मूल्य 1.68 रुपए है न कि 1.50 रुपए। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु चूंकि केन्द्र में शक्तिशाली सरकार नहीं थी, अतः उन्होंने ऐसा कर दिया।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न राज्यों के लिए प्रावधान मासिक आधार पर किए जाते हैं अथवा वार्षिक आधार पर और क्या राज्यों को मिट्टी का तेल तथा डीजल का प्रावधान करने से पूर्व उन्हें विभिन्न राज्यों से इनके लिए कुछ मांगे प्राप्त होती हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह कटौती भूतपूर्व सरकार ने की थी। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इस कटौती को पूरा कब कर रही है और पुराने हिसाब से पुनः वितरण कब आरम्भ करेगी। यदि भूतपूर्व सरकार ने यह कटौती की है तो यह सरकार उस कटौती को समाप्त क्यों नहीं कर सकती। सभा पटल पर रखे गये विवरणों से पता चलता है कि राजस्थान में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कितनी प्रतिशत कटौती की गई है।

क्या कालाबाजारी आदि को रोकने के लिए जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? उन्होंने कहा है कि उनका पालन नहीं किया जा रहा है और मिट्टी के तेल तथा डीजल के वितरण में कुछ कदाचार किये जा रहे हैं जिससे और कमी हो रही है

जो कि होनी नहीं चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके अनुदेशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं । यदि नहीं तो 29 तारीख की बैठक के अलावा आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि इस बारे में आपके अनुदेशों का पालन किया जाये।

अन्त में क्या आप बतायेंगे कि क्या इस स्थिति में हम कुछ सुधार की आशा रख सकते हैं और क्या यही स्थिति चलती रहेगी जो कि आज है?

श्री पी० सी० सेठी : मुझे माननीय सदस्य की निराशापूर्ण भवनाओं से दुःख है । मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस स्थिति पर नियंत्रण पा लेंगे । मिट्टी के तेल तथा डीजल की कोई कमी नहीं है और यदि थोड़ी बहुत होगी भी . . . (**व्यवधान**) .हमें समय दीजिए । कृपया आपने तीन वर्षों में जो कुछ बिगाड़ दिया है, उसे सुधारने के लिए हमें कम से कम तीन महीने का समय तो दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रपाल शैलानी ।

श्री नारायण चौबे : मेरे दूसरे प्रश्नों का क्या हुआ ? भूतपूर्व सरकार ने कटौती की। आप इस कटौती को दूर कब कर रहे हैं?

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या पश्चिम बंगाल में असाधारण कटौती की गई है ? भूतपूर्व सरकार ने सभी राज्यों में 20 प्रतिशत की कटौती की है।

जहां तक पुराने हिसाब से इन वस्तुओं की पुनः सप्लाई करने का सम्बन्ध है, हम आयात करके इस स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे दूं कि हम न केवल उतनी मात्रा की सप्लाई कर सकेंगे बल्कि हम इसे काफ़ी मात्रा में उपलब्ध कर लेंगे ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) **:** अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में मिट्टी के तेल और डीजल की कितनी शार्टेज है उसका अगर सही मूल्यांकन करना चाहें तो किसी गरीब विद्यार्थी के घर जा कर देखें, किसी किसान के घर जाकर देखें, किसान की फ़सल को देखें, आपको पता चल जायेगा । आप कस्बों में या शहरों में जायें तो वहां ट्रेक्टरों और ट्रकों की लाइन लगी पायेंगे । गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है । मैं यह सिर्फ़ इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, सरकार के नेताओं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधान मंत्री तक और पैट्रोल मंत्रियों तक ने दसियों साल से आश्वासन दिया कि जल्दी ही डीजल और मिट्टी के तेल की कमी पूरी कर दी जायेगी । लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ । आप देखें कि इस चुनाव के पहले ट्रैक्टरों को और पम्पिग सेटों को कितना तेल दिया जाता था—एक ट्रैक्टर को सौ लिटर और पम्पिग सेट को 20 लिटर प्रति सप्ताह चुनाव से पहले दिया जाता था । जैसे ही ये चुनाव खत्म हुये इसकी मात्रा आधी रह गई । आज हालत यह है कि गरीब विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते, किसान की फ़सल सूख रही है हमारे बहुत से साथियों ने और बातों पर प्रकाश डाला है । मैं उसमें न जाकर मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस वक्त मिट्टी के तेल और डीजल की जो शार्टेज चल रही है, कितने दिनों में वह स्थिति सामान्य हो जाएगी और उसके लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने जा रही है ?

दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या मिट्टी के तेल और डीजल की कीमत और बढ़ाने का सरकार का विचार है ? क्या 30 प्रतिशत इसकी कीमत और बढ़ाई जा रही है ?

एक सवाल मैं यह करना चाहता हूं कि पिछले 6 महीनों में कितने स्टाकिस्ट्स, कितने थोक विक्रेताओं के खिलाफ़ कार्यवाही की गई और वह किस प्रकार की कार्यवाही की गई ? कितनें लोगों को जेल भेजा गया, कितनों को जुर्माना किया गया ?

मेरा चौथा सवाल यह है कि डीजल और मिट्टी के तेल की ब्लैक-मार्केटिंग करने में सरकारी अधिकारियों का हाथ होता है उनकी मिली भगत से ही स्टाकिस्ट्स निर्धारित कीमत पर तेल नहीं देते हैं बल्कि उंची कीमत पर बेचते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इसके खिलाफ़ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

मेरा पांचवां सवाल है . . .

अध्यक्ष महोदय :

Mr. Speaker : There are spates of questions. You are to ask one puestions.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान् नियमों के अनुसार माननीय सदस्य पांच प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने एक प्रश्न को कई भागों में बांट दिया है । कृपया बैठ जाएये ।

(व्यवधान)

कृपया कोई सदस्य बीच में न बोले । कृपया शांत रहिए । मंत्री जी को उत्तर देनें दीजिए । कृपया आप सब बैठ जाइए ।

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सदस्य ने जितने सवाल पूछे हैं उसमें कहा गया है कि कितने लोग ब्लैक-मार्केटिंग में पकड़े गए और कितने जेल भेजे गये लेकिन मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि एंफ़ोर्समेंट करने का काम राज्य सरकारों का है । इस सम्बन्ध में किस राज्य में कितने गिरफ्तार किये गये, यह जानकारी राज्य सरकारों से मंगवानी पड़ेगी । अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे और राज्यों से यह सूचना उपलब्ध हो जायेगी तो माननीय सदस्य को यह जानकारी मिल जायेगी ।

माननीय सदस्य के जो बाकी सवाल हैं वह, मैंने जो उत्तर दिया है उसमें से निकले हैं । यह तो ऐसे ही हुआ कि सारी रामायण पढ़ी और आप पूछें कि सीता कौन हैं और राम कौन हैं ।

सभा की बैठक रद्द किये जाने के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को ज्ञात है कि पैगम्बर हजरत मोहम्मद के जन्म-दिवस के अवसर पर मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद के उपलक्ष में 31 जनवरी, 1980 को भारत सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश दिवस घोषित किया गया है । मैंने 31 जवनवरी,

180 को निर्धारित सभा की बैठक को रद्द करने के प्रश्न पर दलों के नेताओं के साथ विचार किया है। वे सब सहमत हो गए हैं कि उस दिन भी बैठक स्थगित की जा सकती है। तदनुसार गुरुवार, 31 जनवरी, 1980 को सभा की बैठक नहीं होगी।

उस दिन के लिए प्रश्नों की सूची में दर्ज तारांकित और अतारांकित, दोनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर 1 फरवरी, 1980 को होने वाली बैठक में सभा पटल पर रखे जायेंगे।

अब संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :श्रीमान जी मुझे आज सभा में यह घोषणा करनी है कि 28 जनवरी, 1980 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सदन में निम्न कार्य किया जायेगा।

(1) किसी भी ऐसी सरकारी मद पर विचार किया जायेगा जो कि आज की कार्य-सूची से अगले सप्ताह के लिए रह जाएगी।

(2) चर्चा तथा मतदान :

(एक) वर्ष 1979–80 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (समान्य)

(दो) वर्ष 1979–80 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

(3) संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1980 पर आगे विचार तथा उसे पारित करना।

(4) विचार तथा पारित करना :

(एक) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980

(दो) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1980

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1980

(5) कालाबाजार निवारण और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखना, अध्यादेश, 1979 के निरनुमोदन के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर विचार तथा कालाबाजार निवारण और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखना विधेयक, 1980।

(6) आसाम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसम्बर, 1979 को जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के अधीन संकल्प पर चर्चा।

श्री एडुआर्डो फलेरो (मोरमुगाओ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र, संसदीय कार्य मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह ने अभी एक वक्तव्य पढ़ा जो निश्चय ही इस सत्र के लिए इस प्रकार का अन्तिम तथा पहला वक्तव्य होगा। श्रीमानजी, इस वक्तव्य में कहीं भी उस बात का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि बहुत से सदस्यों तथा इस देश के अनेक लोगों के मस्तिष्क को आन्दोलित कर रही है। पिछली अर्थात् छठी लोक सभा ने अपने कार्यकाल का अधिकांश

भाग राजनीति से प्रेरित घृणित प्रकार के विधानों की संसद् में पारित करने में गंवा दिया और उन्होंने अधीनस्थ विधानों के अन्तर्गत बहुत ही गलत प्रकार की अधिसूचनायें जारी करके जांच आयोगों का गठन किया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अब सरकार विशेष न्यायालय अधिनियम के बारे में क्या करने जा रही है क्योंकि आज देश के लोग यही चाहते हैं कि यह न्यायालय समाप्त कर दिए जाने चाहियें। लोग चाहते हैं कि इन जांच आयोगों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिये। मंत्री महोदय का इसके बारे में क्या विचार है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अपनी सरकार से पूछिए . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान जी मुझे यह समझ नहीं आता कि अभी तक कार्य मंत्रणा समिति का गठन क्यों नहीं किया गया है जब कि अनेक दलों ने अपने प्रतिनिधियों के नाम भेज दिये हैं। दूसरे मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि सदन समिति का गठन भी किया जाना चाहिये। तीसरे अनेक प्रस्ताव आपके पास अनिर्णीत पड़े हैं। इसमें से एक मूल्यवृद्धि के बारे में भी है। यह आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है।

श्रीमानजी केवल किसी विषय के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देकर या उसे गृहीत कर उसका सदन में उल्लेख कर देने से कुछ अन्तर नहीं पड़ता है। मूल्यवृद्धि इस समय देश की ज्वलंत समस्या है और इसके बारे में नियम 184 के अन्तर्गत एक स्थायी प्रस्ताव लाकर इस पर पूर्णरूपेण चर्चा की जानी चाहिये।

इसके बाद देश के सामने डीजल तथा मिट्टी के तेल की समस्या है जिसके कारण सब प्रकार का कार्य रुक सा गया। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी अंधेरा पड़ने के पश्चात् पढ़ नहीं सकते ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल 5 रुपए से 8 रुपए प्रति बोटल की दर से बेचा जा रहा है। हम इस विषय पर पूर्णरूपेण चर्चा चाहते हैं क्योंकि हमने देखा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान केवल 5 सदस्यों के प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता है और मंत्री महोदय बड़ी चतुराई से उन विशिष्ट प्रश्नों को टाल जाते हैं। संसदीय लोकतंत्र को इस प्रकार से जैसे समाप्त किया जाता है, उसके बारे में भी मैं एक आध शब्द कहना चाहता हूं। हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक सिंचाई मंत्री श्री ए० बी० ए० गनीखां चौधरी द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने स्वागत भाषण के दौरान, कहे गये यह शब्द कि मार्क्सवादियों को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाना चाहिये उद्धृत करना चाहता हूं **(व्यवधान)** . . .

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला विभाग मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : मैंने तो यह कहा था कि पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। आप बैठ जाएये। उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए। आप अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी आपने देखा है कि उत्तर-प्रदेश की विधान सभा में पहली बार क्या हुआ ? वहां राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर काले झंडे के साथ प्रदर्शन किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब तो आपने अपनी बात कह ली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री का एक दूत सम्पूर्ण देश भर में प्रदर्शनों का आयोजन करने . . . (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : श्रीमानजी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बाद में सुनुंगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : श्रीमानजी मेरा व्यवस्था का प्रश्न उसी के बारे में है जो कुछ कि यह सदस्य कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह संसद् की प्रथा तथा प्रक्रिया सम्बन्धी परम्पराओं से सम्बद्ध है नये संस्करण के पृष्ठ 356 में दिए गए अध्यक्ष पद के विनिर्णय के अनुसार इसमें कहा गया है . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमानजी इस प्रकार से सदन का कितना समय व्यर्थ गंवाया जाएगा ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो: श्रीमानजी, इसमें कहा गया है और उद्धृत करता हूं।

> "अगले सप्ताह के लिए सभा के कार्य सम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत किये जाने के बाद सदस्यों को वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रश्न पूछने की अनुमति होनी चाहिये परन्तु उसके बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : श्रीमान जी, मैं खड़ा हूं . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह एक ऐसे नियमों का उल्लेख कर रहे हैं, वह असंगत तो नहीं है । आप ऐसा क्यों कर रहे हैं । नहीं, नहीं, इसका प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठ जाइए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मेरा व्यवस्था का प्रश्न केवल यही है कि इस प्रकार के वक्तव्यों में केवल स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रश्न ही पूछे जाने चाहियें । वह इसे चर्चा का विषय नहीं बना सकते । ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं अपनी बात समाप्त ही करने वाला हूं। आसाम में स्थिति बहुत गंभीर है । इसके बारे में पूर्णरूपेण चर्चा की जानी चाहिये। केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से कुछ लाभ होने वाला नहीं है । दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी तुरन्त विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप हर बात को इसमें शामिल नहीं कर सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके बारे में उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे नोट कर रहे हैं । इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता । उन्हें सब कुछ बताया जा चुका है । आपने अपनी बात कह दी है । इसका उत्तर देना उनका

काम है । मैं इसका उत्तर देने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकता । आप कृपया बैठ जाइए। . . . (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं सभा के कार्य के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री चन्द्रजीत यादव : नियम का इसमें प्रश्न नहीं है । क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति का गठन अभी नहीं किया गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका गठन एक आध दिन में ही कर दिया जाएगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कह रहा था कि चूंकि कार्य मंत्रणा समिति का गठन नहीं किया गया है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे नोटिस दिया होता तो मैं उसकी जांच कर लेता । इसके बारे में मेरे पास कोई नोटिस नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री महोदय ने अगले सप्ताह का कार्य सभा के समक्ष रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सम्बन्ध में जितने भी नोटिस दिये गये थे, उन सभी को मैंने अपनी बात कहने की अनुमति दे दी है । अब श्री मधु दण्डवते . . . . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रीमान जी हम सदन की कार्य विधि को मानेंगे . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जाएगा, वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): श्रीमान जी, सूचना देकर तथा आपकी अनुमति प्राप्त करने के बाद मैं अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित करने सम्बन्धी कुछ विषयों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । श्रीमान जी, मैं यह महसूस करता हूं कि अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गये हैं । परन्तु कुछ ही दिन पहले सदन के नेता ने कहा था कि विरोधी दल के नेताओं के साथ हुई बठक में किये गये विचार-विमर्श तथा अफगानिस्तान में घट रही घटनाओं से उत्पन्न स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, अफगानिस्तान के विषय पर चर्चा करने के लिये कुछ समय तो निकाला ही जायेगा । सदन के नेता ने यह आश्वासन दिया था । परन्तु माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसका एक अन्य पहलू भी है । इसके साथ ही दो करोड़ लोगों के नाम मतदान सूचियों में से हटाये जाने का प्रश्न भी है, जो मतदान सूचियां लोक सभा के मध्यावधि चनावों के लिए तैयार की गई थीं और उन्हीं का उपयोग आगे ..... (व्यवधान) आप कृपया बैठ जाइये । मैं अध्यक्ष पीठ की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कह रहा हूं । श्रीमान जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता । मैंने इसके लिये नोटिस दिया था । मैंने उसमें बताया था कि मैं कौन से विषय उठाना चाह रहा हूं और आपने मुझे उसकी अनुमति दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने इनको अनुमति दे दी है। आप कृपया बाधा मत डालिये।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान जी, इसके साथ ही मतदाता सूचियों में से 2 करोड़ मतदाताओं के नाम विभिन्न मतदाता सूचियों में से काटने का प्रश्न है। यह मतदाता सूचियां लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के लिये तैयार की गई थीं और इनका उपयोग आगामी मध्यावधि चुनावों के लिये भी किया जायेगा। एक अन्य मामला भी है। श्रीमान जी, अनुसूचित जातियों का प्रश्न भी विभिन्न लोक सभा के सत्रों में चर्चा का विषय बनता रहा है। मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के लोगों को नौकरियों आदि में जो आरक्षण तथा सुविधायें उपलब्ध हैं, वह उन्हें बहुमत इस्लाम तथा ईसाई धर्म आदि में शामिल होने के बाद भी कुछ सीमा तक उपलब्ध करवाई जानी चाहियें। इस मामले पर भी विचार किया जाना चाहिये। दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति हाल ही में बहुत अधिक बिगड़ गई है। इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिये ..... (व्यवधान)

डा० सुब्रामण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व): श्रीमान जी, सदन के लिए यह भी बहुत अनिवार्य है कि वह नगरों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों की समस्याओं के बारे में विचार करे। निर्माण और आवास मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद श्री पी० सी० सेठी ने, अपने मंत्रालय के अधिकारियों को बताया कि उन्हें गन्दी बस्तियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सदन को गन्दी बस्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिये क्योंकि अब यह समस्या केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं रह गयी है। गन्दी बस्तियां प्रत्येक बड़े नगर का अंग बन गई हैं तथा उनके लिए राष्ट्रीय गन्दी बस्ती संबंधी बोर्ड या राष्ट्रीय गन्दी बस्ती संबंधी नीति बनाई जानी चाहिये और मैं चाहता हूं कि सदन में अगले सप्ताह इस आवश्यक मामले पर चर्चा की जानी चाहिये। मुझे आशा है कि संसदीय कार्य मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्रीमान जी, मैं बहुमूल्य सुझावों के लिये माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं यह सुझाव कार्य-मंत्रणा समिति के समक्ष रख दूंगा।

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय समिति का गठन कर देंगे और कल हम यह उसके समक्ष रख देंगे।

अध्यक्ष महोदय : समिति का गठन कल कर दिया जायेगा। कल मैंने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी और उन्हें कार्य मंत्रणा समिति में शामिल करने के लिए सदस्यों के नाम देने के लिए कहा था। मैं समझता हू कि समिति का गठन हो जायेगा। अब श्री पी० सी० सेठी अपना वक्तव्य दें।

श्री आरिफ मुहम्मद खान (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें, मैं बिजिनेस के बारे में एक सुझाव रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह सुझाव नहीं दे सकते हैं। आप मुझे लिख कर दीजिये इसके लिये आप का स्वागत है।

मिड़ तापती नामक तटदुर स्थान पर गैस पाये जाने के बारे में वक्तव्य

निर्माण और आवास तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : महोदय, मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ओ०एन०जी०सी० द्वारा एक अपतटीय संरचना—मध्य तापती में गस मिली है। यह संरचना, खम्भात की खाडी के मुहाने के पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र पर तापती सरचन काम्पलेक्स में दक्षिण तापती संरचना के लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हैं।

ओ०एन०जी०सी० द्वारा मध्य तापती सरचना पर 2400 मीटर गहरा एक अन्वेषी कुआं हाल ही में खोदा गया है। कुएं का परीक्षण किया जा रहा है। हाल ही में दो क्षितिजों के परीक्षण के दरान, गैस का अच्छा प्रवाह देखा गया है। कुएं में सभी क्षितिजों के परीक्षण पूरे हो जाने के पश्चात् गैस की पूरी क्षमता का पता लगेगा। संरचना की पूरी क्षमता का कुछ और मूल्यांकन कुओं की खदाई किये जाने के बाद ही पता चलेगा।

तथापि गैस युक्त दक्षिण तापती संरचना की समीपता को ध्यान में रखते हुए इस नई खोज से तापती संरचना काम्पलेक्स में वाणिज्यिक स्तर पर गैस मिलने की सम्भावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1979–80

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं वर्ष 1979–80 के लिए बजट (रेल) संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिक्किम राज्य में सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनःसमायोजन का उपबंध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि सिक्किम राज्य में सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनःसमायोजन का उपबन्ध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० शिव शंकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश 1979 के बारे में वक्तव्य

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक

वाणिज्य और इस्पात तथा खान और नागर विमानन मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि चोर बाजारी का निवारण करने और समुदाय को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने के प्रयोजन के लिये कुछ मामलों में निरोध का तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैं इसका विरोध करता हूं ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उन सदस्यों की सूची है जो पुरःस्थापन अवस्था में विधेयक का विरोध करना चाहते हैं । अब मैं उनको बुलाऊंगा । वे संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री जगजीवन राम (ससाराम) : पहले प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए । प्रस्ताव सदन के समक्ष नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रस्ताव पेश कर चुके हैं । श्री ज्योतिर्मय बसु ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, इस अनिष्टकारी अध्यादेश को अक्तूबर, 1979 में उदघोषित किया गया था और तब से ...

श्री के० रामामूर्ति (कृष्णागिरि) : जैसा कि बाबूजी ने ठीक ही कहा है, प्रस्ताव को सदन के सामने लाया ही नहीं गया है । इस अवस्था में जब कि प्रस्ताव पेश ही नहीं किया गया है और जब कि यह सदन की सम्पत्ति ही नहीं बना है, वे विरोध किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सदन के समक्ष है । प्रस्ताव पेश हुआ ।

> "कि चोरबाजारी का निवारण करने और समुदाय को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने के प्रयोजन के लिए कुछ मामलों में निरोध का तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण में यह कहा गया है :—

> "यद्यपि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ने अधिनियम द्वारा घोषित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, पूर्ति, वितरण, मूल्य और व्यापार तथा वाणिज्य के विनियमन हेतु वृहत उपबन्ध बनाए हैं और यद्यपि विधि आयोग के सैंतालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार अधिनियम की उपबन्ध तालिका को और अधिक कठोर बनाया गया था तो भी इसे स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया ।"

क्या आप इस प्रकार की असहाय सरकार की कल्पना कर सकते हैं । मैं एक उदाहरण देता हूं । इस अध्यादेश को अक्तूबर, 1979 में उद्घोषित किया गया था और तब से पूरे तीन मास बीत चुके हैं और इन तीन महीनों में कीमतों में बड़ी वृद्धि हुई है जो कि हाल के दिनों/समय में संर्वाधिक रही है । अध्यादेश से कोई लाभ नहीं हुआ । अतः इस निवारक तजरबन्दी अधिनियम से वस्तुएं

मिलने से रहीं । जब तक वे लोग जो इन बुर्जुआ राजनैतिक दलों को धन देते रहते हैं, काला बाजारियों और मुनाफाखोरों को दबाने के लिए कुचलने के लिए वास्तव में राजनैतिक इच्छा से कार्य नहीं करते तब तक लक्ष्य प्राप्ति असंभव है ..... (व्यवधान) । हुआ क्या ? जब 'कांफेपोसा' अधिनियम हुआ था तो 1976 में तत्कालीन प्रधान मंत्री के सचिवालय से एक अधिसूचना जारी की गई थी यदि मुझे ठीक से याद पड़ता है । और यदि आप चाहते हैं तो मैं एक प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकता हूं— जिसमें यह बताया गया था कि जो बड़े घराने बीजक में हेराफेरी करने के दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए । हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज हैं । यह अनिष्टकर विधेयक बिना मुकदमा चलाए ज बन्दी के लिए है । यदि कोई सरकार भारी प्रशासनिक तन्त्र के होते हुए भी अपराधियों को न पकड़ सके तो यह तो बड़ी विचित्र बात है । यह मुझे भली भांति पता है कि किसी पूंजीवादी पद्धति में, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इस देश में तो लाभ कमाना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है । (व्यवधान) उद्देश्यों में ही यह बात स्पष्ट कही गई है कि कानून इससे निपटने में असमर्थ है । इसका अर्थ आवश्यक रूप से यह नहीं है कि किसी लोकतंत्र में आपातकाल का रहस्योद्घाटन हो जाने और उन बातों का पर्दाफास हो जाने के बाद जो कि शाह आयोग ने कई बार उद्घटित की है, आप लोगों को पकड़ना, नजरबन्द करना शुरू कर दें । (व्यवधान) मेरा दल अपनी सारी सत्ता का, शक्ति का प्रयोग करेगा .....और आप देख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल में एक भी काला बाजार का मामला नहीं है ।

यदि आप संविधान के अनुच्छेद 22 को पढ़ें तो आप पायेंगे कि इसकी भावना यही है कि बिना मुकदमा चलाये नजरबन्दी नहीं होनी चाहिये । यह बात वहां स्पष्टरूप से कही गई है । मैं कोई वकील तो हूं नहीं । मैं भाषा के पीछे नहीं जाता । श्री शिवशंकर न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला द्वारा किए गए उस निर्णय को देखिए जिसमें उन्होंने इस प्रकार के तरीके अपनाने की स्पष्टरूप से भर्त्सना की है ।

मैं यथाशक्ति इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं इस विधेयक का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें निवारक नजरबन्दी का प्रावधान है । इसमें यह जो निवारक नजरबन्दी का विचार समाया हुआ है यह हमारे लोकतान्त्रिक समाज के लिए घिनौनी चीज है । समस्त विश्व में मानव अधिकार आन्दोलन ने इसे अपना मुख्य मुद्दा बना लिया है, जो भी सरकार किसी देश में निवारक नजरबन्दी के बिना राज्य नहीं चला सकती, वह राज्य करने योग्य नहीं है । अतः इस विधेयक के निवारक नजरबन्दी पहलू का मैं मुख्यरूप से विरोध करता हूं ।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि यह जानते हुए भी कि पिछली सरकार इसे अध्यादेश के रूप में लाई थी, वर्तमान सरकार वही विधेयक के रूप में लेकर आई है । (व्यवधान) यह विधेयक पिछली सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के बाद लाया गया है । उस पिछली सरकार के निर्माण में श्री ज्योतिर्मय बसु जसे व्यक्ति के दल का हाथ था (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह भी ठीक है कि जो अब यहां शोर मचा रहे हैं, उनका भी उसमें हाथ था । जहां तक श्री ज्योतिर्मय बसु का सम्बन्ध है, उन्हें तो इससे नैतिक बल, साहस प्राप्त हुआ होगा । इसलिये मैं इस बिधेयक के पुरःस्थापन का पूर्ण मनोयोग से विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे ।

श्री एच० एन० नानजे (हसन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । किस नियम के अधीन आप इसे उठा रहे हैं ।

श्री एच० एन० नानजे : मैं आपका ध्यान नियम 72 की ओर खींचना चाहूंगा । इस नियम में कहा गया है :

> "यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति वाले प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो अध्यक्ष महोदय यदि ठीक समझें तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करने के बाद, वाद-विवाद को बिना आगे बढ़ाये, प्रश्न रख सकता है....."

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मैंने तो उन्हें अनुमति दे दी है ।

श्री एच० एन० नानजे : परन्तु एक ही सदस्य को अनुमति दी है, सभी को तो नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने स्वविवेक से किया है । मैंने इस पर विचार किया है । छठी लोक सभा ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं । अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि विधेयक का शीर्षक है — "कालाबाजार निवारण और आवश्यक वस्तु आपूर्ति प्रदाय विधेयक, 1980" परन्तु हमारी उचित आशंका यह है और यह विगत की विभिन्न सरकारों के व्यवहार से और विशेषकर कांग्रेस सरकार के व्यवहार से सिद्ध हो गई है कि इसका प्रयोग विधेयक में दिये गये उद्देश्यों की अपेक्षा अन्य उद्देश्यों के लिए अधिक किया जाता है ।

जब 'मीसा' पारित किया गया था तो उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जो कि फिर से उस पद पर पहुंच गई हैं तथा तत्कालीन गृह मंत्री जी ने भी इसी सदन में दृढ़ संकल्प के साथ यह आश्वासन दिया था कि इसका प्रयोग इस देश में किसी भी राजनैतिक विरोधी के विरुद्ध नहीं किया जायेगा । अब उस बात की व्याख्या की जरूरत नहीं है कि उसका कैसा और किस प्रकार का दुरुपयोग किया गया था । इस देश में 'मीसा' का प्रयोग राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध किया गया । अतः हमारा विरोध सिद्धान्ततः है क्योंकि ऐसा लगता है कि इस तरह के काले कानून के बिना कांग्रेस (इ) सरकार इस देश में चल ही नहीं सकती । और यद्यपि हम लोक दल सरकार के प्रति दोषारोपण सुनते आ रहे हैं कि वह 'काम चलाउ' सरकार थी परन्तु हम देख रहे हैं कि हर क्षण उनके द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों को ही खुले अनिष्टकर रूप में अपनाया जा रहा है । हम इसका विरोध करते हैं । हम यह याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि उन्हीं के समर्थन से लोक दल सरकार बनी थी ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह यहां, तो एक दिन भी नहीं बैठीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्थिति इस प्रकार है । सत्ताधारी दल की नागरिक स्वतंत्रता के प्रति जो धारणा है उसे देखते हुए हम इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध कर रहे हैं और मैं संवैधानिक

आधार पर भी इसका विरोध कर रहा हूं। आप कृपया खण्ड 8 में की गई व्यवस्था को पढ़ें। इसमें कतिपय अवधि में नजरबन्दी के कारण बताने का उपबन्ध है जो कुछ मामलों में 5 दिन और कुछ में 10 दिन है। यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है कि नजरबन्दी के लिए यथाशीघ्र कारण बताए जाएंगे। इस विधेयक द्वारा एक समयावधि निश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है, जो संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है। खण्ड 8 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 22(5) का प्रत्यक्ष उल्लंघन होता है। क्या माननीय मंत्री इसे देखेंगे। यदि उनके पास इसकी प्रति नहीं है तो में दे सकता हूं।

श्री प्रणव मखर्जी : मेरे पास है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आशा है आपके पास अद्यतन प्रति होगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्पष्ट करें। अतः प्रश्न विधेयक की वैधता का है। कृपया आप अपना निर्णय दें कि क्या इस विधेयक को पेश करना संवैधानिक है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने इसकी विधायी क्षमता को चुनौती दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश एक विशेष स्थिति में लाया गया था। अब वर्तमान सरकार इसे एक नियमित कानून बनाना चाहती है। मैं इस विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सरकार को अपने पर विश्वास क्यों नहीं है। वह देश में ऐसी हालत क्यों पैदा नहीं कर सकती जिसमें ऐसे विधान की जरूरत ही न पड़े। आप लोगों को अपने बचाव के लिए बिना उचित अवसर दिए नजरबन्द क्यों करना चाहते हैं। कालाबाजारी, जमाखोरी और बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगानी होगी। अगर सरकार प्रभावी कदम उठायेगी तो उसे सभी पक्षों का समर्थन मिलेगा। पर मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार के विधान को लाने से पूर्व वह बड़े पैमाने पर सरकारी वितरण व्यवस्था लागू करें। ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें लोग चोरबाजारियों और जमाखोरों को समाजविरोधी तत्व मानने लगें। मैं समझता हूं कि इन बातों पर अंकुश रखने के लिए वर्तमान कानून पर्याप्त हैं। अतः इस प्रकार का विधेयक पेश किया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं आपका ध्यान नियम 72 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 72 के अधीन यह स्पष्ट व्यवस्था है कि जब कोई ऐसा विधेयक पेश किया जाता है जो इस सभा की विधायी क्षमता से परे हैं तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा का अवसर दें। माननीय सदस्य ने विधेयक की संवैधानिक क्षमता को चुनौती दी है, अतः नियम 72 के उपबन्धों के अधीन पूरी चर्चा अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर पूरी तरह विचार किया है। मैंने चार सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति दी है।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह पूर्ण चर्चा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह काफी है। मैं आपकी आपत्ति से सहमत नहीं हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : जो मुद्दा मैंने उठाया है वह बिल्कुल भिन्न है। चार सदस्यों ने विरोध नहीं किया है अपितु उन्होंने सूचना दी है। इसकी संवैधानिक क्षमता को चुनौती दी गई है।

अतः नियम 72 के अधीन पूर्ण चर्चा अपेक्षित है जिसमें वे सदस्य भी भाग ले सकें जिन्होंने नोटिस नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि समय समाप्त हो जाने के बाद भी मैंने बोलने की अनुमति दी है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह विधायी क्षमता से परे है। यह उनका मत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला समाप्त हो चुका है। श्री मुखर्जी।

श्री प्रणव मुखर्जी : आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। माननीय सदस्य मेरी बात सुनें। मैंने प्रस्ताव पेश किया है। आप मेरी बात सुनें। तब आप निश्चय कर सकते हैं कि यह विधायी क्षमता से परे है या नहीं . . . **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। यह अपनी-अपनी राय है। मैंने विनिर्णय दे दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रथा रही है कि विधायी क्षमता के बारे में अध्यक्ष अपना विनिर्णय नहीं देता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विधि मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात को ही अन्तिम नहीं माना जा सकता।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभा में पूर्ण चर्चा होने दी जाए और तब सभा इसकी वैधानिक क्षमता के बारे में निश्चय कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी ने कुछ कहा है। अब श्री प्रणव मुखर्जी की बात सुनें।

श्री इन्द्रजीत गप्त (बसीरहाट) : विधि मंत्री उत्तर देने के लिए खड़े है। वह विधायी क्षमता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हम उनकी बात सुनें . . . **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री विधि पर अधिकार रखते हैं। वे ही इसको स्पष्ट करें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : जहां तक विधायी क्षमता का प्रश्न है वह संविधान के अनुच्छेद 22 के साथ पठित सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि सं० 3 के अन्तर्गत आता है। श्री चटर्जी ने आपत्ति की है कि विधेयक का खण्ड 8 अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन करता है। पर यह विधायी क्षमता का मामला नहीं बनता। अनुच्छेद 22(5) में कहा गया है कि नजरबन्द किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र वे कारण बताए जाएं जिनके लिए उसे नजरबन्द किया गया है। विधेयक के खण्ड 8 में कहा गया है कि सामान्य स्थिति में 5 दिन के अन्दर कारण बताए जाने चाहिएं और असाधारण स्थिति में यह अवधि 10 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सारा मामला विधायी क्षमता के अन्तर्गत नहीं आता। अनुच्छेद 22 के साथ पठित प्रविष्टि 3 में विधायी क्षमता आती है। मेरे

दोस्त ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि खण्ड 8 अनुच्छेद 22(5) के विरुद्ध है। वह यह नहीं कह सकते कि विधेयक में विधायी क्षमता का अभाव है। मैं कह सकता हूं कि खण्ड 8 बिल्कुल सही है। ऐसी बातों को न्यायालय ने वैध माना है। अतः इस मामले में विधायी क्षमता का प्रश्न नहीं उठता। जब आप इस नतीजे पर पहुंचे कि यह इस सभा की विधायी क्षमता से परे हैं तभी पूरी चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। चूंकि विधायी क्षमता का प्रश्न ही नहीं है अतः पूर्ण चर्चा का सवाल नहीं उठता।

श्री राम जेठ मलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : कृपया नियम 22 पढ़े। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं प्रत्येक मामले पर फैसला दूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिना मेरी अनुमति के कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। आप नियम 72 का हवाला किस सन्दर्भ में दे रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप नियम का हवाला दे रहे हैं। इस पर मुझे फैसला देना है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बोलने को कहा है। वह किसी नियम का उल्लेख कर रहे हैं। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं। आप व्यवधान क्यों पैदा कर रहे है।

(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी : महोदय, आपने नियम 72 के प्रथम भाग के अन्तर्गत इस विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव का विरोध करने वाले कुछ सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका दिया। इसके लिए हम आभारी हैं। अब प्रथम भाग समाप्त हो चुका है। कुछ सदस्य विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव का किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर विरोध नहीं करना चाहते अपितु इस आधार पर विरोध करना चाहते हैं कि यह विधेयक इस संसद की विधायी क्षमता से परे है। विधायी क्षमता केवल तीन सूचियों पर ही निर्भर नहीं है। विधेयक मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण भी विधायी क्षमता से परे हो सकता है क्योंकि प्रत्येक मूल अधिकार संसद् की विधायी क्षमता को प्रतिबन्धित करता है। संसद् कतिपय सीमाओं से परे नहीं जा सकती। श्री शिवशंकर को यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी कि दो कारणों से विधायी क्षमता का अभाव हो सकता है। एक कारण श्री चटर्जी ने पहले ही बता दिया है। दूसरा कारण मैं बताता हूं कि जिस पर विधि मंत्री निष्पक्ष रूप से और दलगत दृष्टिकोण से ऊपर उठकर विचार करेंगे। मेनका गांधी पासपोर्ट नामक मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये सिद्धान्त निर्धारित किए हैं : (1) इसके बाद विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाएगी और (2) यह प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। अब जो कोई प्रक्रिया ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। वह किसी मामले का हलावा दे रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : यदि आप उस फसले को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप पायेंगे कि फैसले में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता जिसमें कार्यकारी

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अधिकारियों की सनक पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाए । दूसरे शब्दों में, उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या की गई है उससे संसद् ऐसे निवारक निरोध कानून को बनाने में अक्षम है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल इस बात से छीन ले कि उस पर किसी कार्यकारी अधिकारी को सन्देह है । विधायी क्षमता का दूसरा पहलू खण्ड 3(ख) है जिसमें प्रश्नगत पश्चातपूर्ण गतिविधि की परिभाषा की गई है । खण्ड 3(ख) पूर्णतः विधायी क्षमता से परे है क्योंकि यह सूची-3 की प्रविष्टि में, जिसका आपने जिक्र किया है, नहीं आता । सम्भव है प्रथम भाग इसके अन्तर्गत आ जाए पर दूसरा भाग पूर्णतः इससे बाहर है । अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पर विचार करें ।

मैं विधि मंत्री को उनके दल के चुनाव घोषणापत्र की याद दिलाना चाहता हूं जिसके साथ में भी सहमत हूं ..... (व्यवधान) । आप शोर करके मुझे अपनी बात कहने से रोक नहीं सकते । यह सब बेकार की बातें हैं । आप बेकार समय नष्ट कर रहे हैं । (व्यवधान)

आपके दल के चुनाव घोषणापत्र में कहा गया है आप कानूनी व्यवस्था कायम करेंगे । कानूनी व्यवस्था की जूरियों के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने व्याख्या की है जिसमें भारत के और कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । उन्होंने कहा है कि शान्ति काल में निवारक नजरबन्दी कानूनी व्यवस्था के अनुरूप नहीं है । अतः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप यह जो कर रहे हैं वह आपके अपने चुनाव घोषणापत्र के प्रतिकूल है आपकी घोषित नीति के विरुद्ध है । आप उस विधान को आंख बन्द करके पास करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लोक दल सरकार ने लागू किया था ।

इस सभा में जो पुराने सदस्य हैं उन्हें याद होगा कि जब जनता सरकार ने 205 प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पेश करने का प्रयास किया, जिसमें निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था थी, तो सारी पार्टी ने सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था और अतः हमारी अपनी सरकार अपनी पार्टी द्वारा पराजित हुई थी क्योंकि हमने कहा था कि हम निवारक नजरबन्दी नहीं होने देंगे । अतः यह सिद्धान्त का प्रश्न है । आप जितना अधिक शोर मचाएंगे हम उतने ही जोर से सरकार की इस क्रूर शक्ति का विरोध करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब की बात सुन ली है । मैं इसे सभा के सामने रखता हूं और सभा ही इसका फैसला करेगी ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक की विधायी सक्षमता का मेरे सहयोगी, विधि मंत्री, ने पूरा ध्यान रखा है ।

श्री राम जेठमलानी तथा अन्य ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या हमें निवारक निरोध कानून बनाना चाहिये अथवा नहीं । यह सुनकर मुझे हंसी आती है कि क्योंकि जब उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया, जब उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 22 का संशोधन किया तो यदि मुझे सही याद है तो उन्होंने निवारक निरोध का उपबन्ध बनाये रखा और इस विधेयक की शब्दावली प्रायः उसी से ली गई है ।

श्री राम जेठमलानी : मैंने सभा में अपने दल द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का भी विरोध किया था ।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री जेठमलानी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं और वह अपने को कभी-कभी दल से ऊपर समझ सकते हैं किन्तु दलीय व्यवस्था में व्यक्ति की गणना नहीं होती और कोई व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, जनता सरकार ने च ालीसवें संविधान संशोधन द्वारा किये गये संशोधनों में जिन परित्राणों की व्यवस्था की गई थी उन सभी को इस अध्यादेश तथा इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अतः आप उनका अनुसरण कर रहे है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह एक समर्थकारी उपबन्ध है । श्री ज्योतिर्मय बसु ने तो यहां तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार इसे लागू नहीं करेगी । मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि उन्हें यह भूल जाना चाहिये कि केन्द्र में कमजोर सरकार है । हम यह जानते हैं कि किसी उपबन्ध का पालन करने के लिए किसी राज्य सरकार को कैसे राज़ी करना है । इस समय हमारे सामने यह समस्या नहीं है । ..... **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ रिकार्ड न किया जाये ।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री सुब्रामण्यम स्वामी और श्री राम जेठमलानी के तर्क का एक और पहलू यह है कि वे किसी प्रकार के निवारक विरोध के विरुद्ध हैं किन्तु वे भूल जाते हैं कि 'कोफेपोसा', जो एक निवारक निरोध अधिनियम है, संविधि पुस्तक में विद्यमान है और जनता सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में इस विधान को संविधि पुस्तक से नहीं हटाया । यह विधान चोर बाजारी करने वालों से निपटने के लिए बनाया जा रहा है और 'कोफेपोसा' बाहरी तस्करों से निपटने के लिए है । यह अधिनियम पहले ही विद्यमान है । जनता सरकार ने इस विधान को संविधि पुस्तक से नहीं हटाया । अतः सभा से अनुरोध है कि मुझे विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा के सभी पक्षों के विचार सुने हैं । अब मैं इसे सभा के समक्ष रखता हूं । प्रत्येक सदस्य जैसा वह उचित समझे मतदान कर सकता है । चूंकि अभी तक सदस्यों को विभाजन संख्या आवंटित नहीं की गई है । स्वचालित वोट रिकार्डिंग मशीन द्वारा मतविभाजन संभव नहीं होगा । मतविभाजन पर्ची प्रणाली से होगा । सदस्यों को अपना मत देने के लिए अपने स्थानों पर पर्चियां दी जायेंगी जिन पर 'पक्ष में' /'विपक्ष में' अंकित होगा । पर्ची पर एक ओर हरे रंग में 'पक्ष में' दोनों अंग्रेजी और हिन्दी में छपा है और दूसरी ओर लाल रंग में 'विपक्ष में छपा है । इन पर्चियों पर सदस्य अपनी पसन्द के अनु ार मत रिकार्ड कर सकते हैं । ऐसा करते समय सदस्यों को अपनी-अपनी पर्ची पर हस्ताक्षर करने होंगे । अपना नाम लिखना होगा, निर्वाचनक्षेत्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा तारीख आदि साफ शब्दों में पर्ची में निर्धारित स्थानों पर देने होंगे । जो सदस्य 'अनुपस्थित' रिकार्ड करना चाहते हैं वे 'अनुपस्थित' पर्ची मांग सकते हैं जो पीले रंग में हैं । अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् तुरन्त ही प्रत्येक सदस्य को अपनी पर्ची मतविभाजन कलर्क को दे देनी चाहिये जो पर्ची लेने के लिए सदस्य के पास आयेगा और उसे लेने के बाद पटल अधिकारियों को सौंप देगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चोरबाजारी का निवारण करने और समुदाय को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने के प्रयोजन के लिए कुछ मामलों में विरोध का तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक सभा मेंकत विभाजन हुआ ।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मत-विभाजन संख्या—4 12.47 ब

पक्ष में

अन्सारी, श्री जियाउर रहमान

अन्सारी, श्री शफीकुल्लाह

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अब्बासी, श्री काजी जलील

अर्जुनन, श्री के०

अरुणाचलम, श्री एम०

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, श्री मो० कमालूदीन

आजाद, श्री गुलाम नबी

आठरे, श्री चन्द्रभान बालाजी

इमाम, श्री अजीज

इरा, श्री मोहन उर्फ राममोहन आर०

ईरा, श्री अनबारासु

उइके, श्री छोट्टे लाल

उरांव, श्री कार्तिक

एंथनी, श्री फ्रैंक

एक्का, श्री क्रुष्टोफेर

ओडेदरा, श्री भालदेवजी मंडलीकजी

कंडास्वामी, श्री एम०

कमलनाथ, श्री

वर्मा, श्री लक्ष्मण

कल्पनाथ, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कुंवर राम, श्री

कुलन्दईवेलू, श्री वी०

कृष्णा, श्री एस० एम०

कृष्णा, श्री जी० वाई

कृष्णा प्रताप सिंह, श्री

केयूर भूषण मथुराप्रसाद, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कोचक, श्री गुलाम रसूल
कोसलराम, श्री के० टी०
कौर, श्रीमती सुखवंस
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक मु० मुशीर अ०
गधावी, श्री भेरावदन खेतदांजी
गहलोत, श्री अशोक
गांधी, श्री संजय
डाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री चित्तु भाई
गायकवाड़, श्री रणजीतसिंह जी प्रताप सिंह जी
गिरिराज सिंह, श्री
गुफरान आज़मी, श्री
गुरबिन्दर कौर, श्रीमती
गोहिल, श्री गोगाभाई भावुभाई
गोंडर, श्री सेनापति ए०
गोडा, श्री डी० एम० पुत्ते
चक्रधारी, श्री
चन्द्रजीत सिंह, श्री
चन्द्रकार, श्री चन्दूलाल
चन्द्रसेखरप्पा, श्री टी० वी०
चिंगवांग, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चैन्नुपति, श्री विद्या
चौधरी, श्री ए० बी० एस० गनी खान
चौहान, श्री फतेभानु सिंह
जयदीप सिंह, श्री
जयनारायण, श्री
जैन, श्री भीकूराम
जैमुल बशर, श्री

टाईटलर, श्री जगदीश
डागा, श्री मूलचन्द
डूंगर सिंह, श्री
डेन्निस, श्री एन०
तारिक अनवर, श्री
तिवारी, श्री के० के०
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तेइयेंग, श्री साबेर्ग
थुंगन, श्री प्रेम खाण्डु
थोरट, श्री बाबू साहेब
दण्डपाणि, श्री सी० टी०
दाभी, श्री अजीतसिंह
दास, श्री अनादि चरण
दिग्विजय सिंह, श्री
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
दुबे, श्री रामनाथ
देवराजन, श्री वी०
देसाई, श्री वी० वी०
दोराई, सेवस्तीयीन, श्री एस० ए०
ननजे गौडा, श्री एच० एन०
नागरत्नम श्री टी०
नाडार, श्री ए० नील लोहिया दसन
नायकर, श्री डी० के०
नायक, श्री मृत्युन्जय
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
नाहटा, श्री भंवरलाल राजमल
नित्यानन्द मिघ, श्री
निहाल सिंह, श्री
नेगी, श्री त्रेपन सिंह
पटेल, श्री अमरीत मोहन लाल
पटेल, श्री अहमदभाई मोहम्मदभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई हरजीभाई
पटेल, श्री छगनभाई देवा भाई

पटेल, श्री शांतुभाई चुनीभाई
परमार, श्री हीरालाल रणछोड़ दास
पलानीअप्पन, श्री सी०
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद
पाइलेट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बसन्तराव बंडुजी
पाटिल, श्री बाला साहेब विखे
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज विश्वनाथ
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पांडेय, श्री केदार
पाणिका, श्री राम प्यारे
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पुजारी, श्री जनार्दन
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
प्रधानी, श्री खगपति
प्रभु, श्री आर०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
फर्नांडिज, श्री ओस्कर
फुलवारिया, श्री विरदा राम
फैलीरो, श्री एडुआर्डो मारतिन्हो
बन्सीलाल, श्री
बरोड़, श्री मगनभाई
बेहरा, श्री रास बिहारी
बालेश्वर राम, श्री
विजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बीरबल, श्री
बेरवा, श्री बनवारी लाल
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, श्री

भारद्वाज, श्री परसराम
भीखा भाई, श्री
भूरिया, श्री दिलीपसिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, आर० आर० श्री
मकवाणा, श्री नरसिंहभाई करसनभाई
मनफूल सिंह, श्री
मणि, श्री के० बी० एस०
महाजन, श्री विक्रम
महाबीर प्रसाद, श्री
महाला, श्री आर० पी०
महेन्द्र प्रसाद, श्री
माल्लु, श्री अनन्थारामुलु
मावाणी, श्री रामजीभाई भुराभाई
मिश्र, श्री हरिनाथ
मीना, श्री राम कुमार
मुंडाकल श्री जार्ज जोसेफ
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुथुकुमारन, श्री आर०
मुबारक शाह, श्री रब्बाजा
मुरूगैयान, श्री एस०
मेहता, श्री महिपाल मूलशंकर
मोतीलाल सिंह, श्री
मोरे, श्री रामकृष्ण सदाशिव
यादव, श्री रामराव नारायणराव
यादव, श्री रामसिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
येल्लेयाहा, श्री नन्दी
रंगा, श्री एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
रवाणी, श्री नवीचन्द्र परमानन्ददास
रहीम, श्री ए० ए०

राकेश, श्री रामनिहार
राघवन, श्री वी० एस०
राजू, श्री पुसापति विजयरामा गजापथी
राम, श्री रामस्वरूप
रामबीर सिंह, श्री
रामामूर्ति, श्री के०
रामास्वामी पदयाची, श्री एस० एस०
रामुलु, श्री एच० जी०
राय, श्रीमती सहोदराबाई
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री जलागम कोंडला
राव, श्री जगन्नाथ आर०
राव, श्री बीरेन्द्र सिंह
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रोथुआमा, डा० आर०
लक्ष्मनन, श्री जी०
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
वर्मा, श्री जयराम
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वासनिक बालकृष्ण रामचन्द्र, श्री
वागह, डा० प्रताप
विजय भास्कर, श्री के०
वेंकटरामन, श्री आर०
वेलू, श्री ए० एम०
वैराले, श्री मधुसुदन
शेखावत, प्रो० निर्मल कुमारी
शनमुगम, श्री पी०
शमन्ना, श्री टी० आर०
शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री प्रताप भानु
शर्मा, श्री सुन्दर
शर्मा, डा० शंकरदयाल
शांताराम, श्री
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री रामावतार
शास्त्री, श्री हरी किशन
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवकुमार सिंह, श्री ठाकुर
शिवेन्दरा बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्याचरण रविशंकर
शेजवलकर, श्री नारायण कृष्णराव
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
संगमा, श्री पुरनो ए०
संतोष मोहन देव, श्री
सज्जन कुमार, श्री
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सपैरो, जनरल रजिन्दर सिंह
समद, श्री अब्दुल
सावंत, श्री त्रयम्बकराव मारोतराव
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री नारायण
साहू, श्री शिवप्रसाद
सिंगारावाडीवल, श्री एस०
सिंदल श्री एस० बी०
सिंधिया, श्री माधवराव
सिद्रमप्पा, श्री कुचल गंगाधर
सिंह, श्री अजीत प्रताप
सिंह, श्री कंवर चन्द्र प्रताप नारायण
सिंह, श्री चन्द्रशेखर
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री दलबीर

सुन्दर, सिंह, श्री
सुभा, श्री पहाल मान
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह राव
सेठी, श्री प्रकाशचन्द
सेन, श्री अशोक कुमार
सेलवाराजू, श्री ए० वी० ई०
सोलंकी, श्री नटवरसिंह जी केसर सिंह जी
सोलंकी, श्री बाबूलाल
स्वामी, श्री के० ए०
स्वामीनाथन, श्री आर० वी०
हरिकेष बहादुर, श्री
हुसैन, श्री अशफाक
हेमब्रम, श्री सेत
क्षोर सागर केशरबाई सोनाजीराव, श्रीमती उर्फ काकू
त्रिपाठी, श्री राम नारायण

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश चन्द्र
अनवर अहमद, श्री
आचार्य, श्री वसुदेव
इन्द्रवेश, श्री
इम्बीची बाबा, श्री ई० के०
कर्णसिंह, डा०
कश्यप, श्री जयपाल सिंह
कुन्हम्बु, श्री के०
कुरियन, श्री पी० जे०
खां, श्री मय्यर अली
खां, श्री महमूद हसन
गिरी, श्री सुधीर कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष

घोष, श्री निरेन
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री मोतीभाई रणछोड़भाई
चौधरी, सुन्दरसिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौबे, श्री नारायण
जगजीवन राम, श्री
जगपालसिंह, श्री
जेठमलानी, श्रीराम
जैनल अबेद्दीन, श्री
जैबा, श्रीमती राणे सरदेसाई सयोगिता
तिरकी, श्री पियूष
तुर, श्री एल० एस०
दंडवते, श्रीमती प्रमिला मधु
दंडवते, प्रो० मधु
दास, श्री रेनुपाडा
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०
न्गागोम मोहेन्द्र, श्री
पंडित, डा० बसन्त कुमार
पटनायक, श्री आनन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहेब
पासवान, श्री रामविलास
प्रधान, श्री अमरराय
प्रेमी, श्री मंगल राम
फर्नांडिस, श्री जार्ज
बनतवाला, श्री जी० एम०
बसु, श्री चित्त
बसु, श्री ज्योतिर्मय
बालन श्री ए० के०
बालनन्दन, श्री

विश्वास, श्री अजय
भट्टाचार्य, श्री सुशील कुमार
मंडल, श्री धनिक लाल
मडल, श्री सन्त कुमार
मधुकर, श्री कमला मिश्र
म्हालगी, श्री रामचन्द्र काशीनाथ
मिश्र, श्री सत्य गोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मेहता, श्री सी० आर०
मेत्रा, श्री सुनील
मोहम्मद इस्माइल, श्री
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
रशीद मसूद, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजन, श्री के० ए०
राम अवध, श्री
राम किंकर, श्री
रामन्नाराय, श्री एम०
राय, डा० सरदीश
रियान, श्री बाजुबन
लारेंस, श्री एम० एम०
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचन्द्र
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिवशरण
शाक्य, श्री दयाराम

शाक्य, श्री रामसिंह
शास्त्री, श्री राजनाथ सोंकर
शास्त्री, श्री रामावतार
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
संखवार, श्री आश करण
साहा, श्री गदाधर
सिंह, श्री बी० एन०
सिंह, श्री वी० डी०
सूरजभान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
सैयज, श्री मसुदल हुसैन
स्वामी, डा० सुब्राह्मण्यम
हसदा, श्री मोतीलाल
हनन मोलाह
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र
होरो, श्री निरल एनेम

अध्यक्ष महोदय मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 238*

विपक्ष में : 94

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कुछ माननीय सदस्य : यह शर्म की बात है ...(**व्यवधान**)

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर चले गये)

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ...।

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य और इस्पात तथा खान और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

*गिनती करने के पश्चात्

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटारमन : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) अध्यादेश 1979 के बारे में वक्तव्य

श्री आर० वेंकटारमन : महोदय, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1979 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है। सभा पुन: 2 बजे मध्याह्न पश्चात् समवेत होगी।

13.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री नायक देवराय जी० (कनारा)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा पटना निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के सम्बन्ध में प्रसारित समाचार

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य इस सदन के सामने उपस्थित करता हूं:

आकाशवाणी का पक्षपातपूर्ण रवैया

"सातवीं लोकसभा के चुनाव के क्रम में पटना लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये मतों की गिनती 7 जनवरी को श्री कृष्ण मेमोरियल भवन के मैदान

में शुरू हुई । गिनती का काम लगातार 8 जनवरी को करीब 11 बजे दिन तक चलता रहा । मतगणना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री रामावतार शास्त्री अपने प्रतिद्वंद्वी जनता पार्टी के श्री महा माया प्रसाद सिंह से बराबर आगे रहे और अन्त में वह 20,413 मतों से विजयी घोषित किए गए ।

परन्तु आश्चर्य और खेद की बात है कि आकाशावणी का दिल्ली केन्द्र 8 जनवरी को 3 बजे सवेरे से 10 बजे दिन तक लगातार झूठा और पक्षपातपूर्ण प्रसारण करता रहा कि जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री महा माया प्रसाद सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री रामावतार शास्त्री से 1 हजार मतों से आगे हैं । परन्तु वास्तविकता यह थी कि श्री शास्त्री बराबर जनता पार्टी के उम्मीदवार से आगे थे । इस प्रकार के झूठे प्रचार से कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों के मानसिक क्लेश का अनुमान लगाया जा सकता है । प्रश्न उठता है कि ऐसा किस प्रकार से हुआ, आकाशवाणी को किस सूत्र से यह मनगढंत खबर मिली ? जवावदेह व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए ।

(दो) दिल्ली में उचितदर की दुकानों पर राशन में मिलने वाली वस्तुओं की कमी का समाचार

श्रीमती प्रमिला मधु दंडावते (बम्बई उत्तर केन्द्रीय) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य दे रही हूं ।

दिल्ली में चीनी, मिट्टी के तेल तथा उचित दर दुकानों पर राशन में मिलने वाली अन्य वस्तुओं की अकस्मात कमी हो गई है क्योंकि दिल्ली में राशन कार्डों की संख्या में एक लाख की वृद्धि हो गई है परन्तु राशन की दुकानों में मिलने वाली वस्तुओं की मात्रा में इसके बराबर वृद्धि नहीं हुई है । विशेष रूप से पुनर्वास बस्तियों से कमी की अधिकाधिक शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं ।

समाचार है कि दिल्ली प्रशासन के कार्यकारी पार्षद् (नागरिक आपूर्ति) श्री खुराना ने दिल्ली के लिए चीनी के कोटे में तत्काल वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री को संकट संदेश भेजा है ताकि एक किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से निर्धारित चीनी का कोटा उपभोक्ताओं को दिया जा सके । मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले के बारे में एक वक्तव्य दें जिसमें इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया जाये ।

(तीन) कार्मिक संघोंकी सदस्यता की जांच

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक मामला उठाता हूं जिससे देश के औद्योगिक कर्मचारी उत्तेजित हैं यह कार्मिक संघों की सदस्यता की जांच का मामला है ।

महोदय, सभा को ज्ञात है कि द्विपक्षीय बातचीत तभी सफल हो सकती है यदि प्रबन्धक प्रतिनिधि कार्मिक संघों के साथ बातचीत करें । दुर्भाग्यवश, औद्योगिक शांति के लिए

प्रबन्धकों ने संभवतया राजनैतिक प्रभाव में आकर गैर-प्रतिनिधि संघों को मान्यता दे दी है अथवा पुरानी सदस्यता के आधार पर महत्वपूर्ण संघों को बातचीत में शामिल नहीं किया है। बैंक और रेलवे इसके उदाहरण हैं जहां उदाहरण के तौर पर भारतीय मजदूर संघ जैसे एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय कार्मिक संघ को बातचीत में शामिल नहीं किया गया है। यद्यपि वास्तविक सदस्यता के आधार पर इससे सम्बद्ध संघ, नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक वरकर्स और भारतीय रेल मजदूर संघ सबसे बड़े संघ हैं। साम्यवादी संघ समेत वामपंथी संघों ने, जिन्होंने सातवें दशक के वातावरण का लाभ उठाया था, श्रमजीवी वर्ग के प्रतिनिधियों की भूमिका पर एकाधिकार कर लिया है।

यह महत्वपूर्ण है कि 1968 के पश्चात् संघों की सदस्यता की कोई जांच नहीं की गई है यद्यपि सरकार ने 1964 में हर दो वर्ष में सदस्यता की जांच करने का निर्णय किया था। 1958 के पश्चात् जांच के नियमों में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दो महत्वपूर्ण कदम अविलम्ब उठाये जायें।

(1) नियमों की जांच करने तथा जांच न करने के लिये समय-सारणी निर्धारित करने के लिये सभी केन्द्रीय कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक तुरन्त बुलाई जायें;

(2) तब तक सभी सरकारी क्षेत्र/सरकारी प्रबन्धकों तथा श्रम आयुक्तों को केन्द्रीय संघों को नियमों की जांच किये जाने तक एक समान मानने के लिये निदेश जारी किया जाये।

धन्यवाद

(चार) बिजली और कोयले की सप्लाई न होने के कारण मेवाड़ कपड़ा मिल, भीलवाड़ा में जबरन छुट्टी करने का समाचार

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। बिजली में कटौती और इसकी सप्लाई न होने तथा अपनी बिजली पैदा करने के लिये टरवाइन के लिये कोयले की सप्लाई न होने के कारण मेवाड़, कपड़ा मिल, भीलवाड़ा (राजस्थान) में गत 15 दिनों से जबरन छुट्टी दिये जाने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है और 5,000 कर्मकारों को कठिनाई हुई है। जबरन छुट्टी और बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिये मेवाड़ कपड़ा मिल को बिजली और कोयला सप्लाई किया जाये। राजस्थान सरकार कर्मकारों को परेशान करने के लिये शरारत कर रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्णा (माण्डया) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति को अभिभाषण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस भाषण के लिये, जो उन्होंने 23 जनवरी, 1980 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): महोदय, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तब परंपरा यह रही है कि प्रधान मंत्री सभा में उपस्थित होता है। यह केवल आपका ध्यान दिलाने के लिए निवेदन है।

संसदीय-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : वह विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर गई हैं। सभा या आपका अनादर करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए हुए हैं; उन्हें इस बात की जानकारी है और फिर भी वे इस मामले को उठाते हैं। हरेक व्यक्ति जानता है कि उस विशेष स्थिति में जब कि फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए हुए हैं उन का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर उन्हें जाना पड़ा है। (व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना सभा की कार्यवाहीं में कुछ भी शामिल नहीं किया जाये।

श्री एस० एम० कृष्णा : महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि मुझे राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए यह धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

महोदय, हमारे देश में इतिहास बन रहा है। वर्ष 1977 में जब वर्तमान प्रधान मंत्री, जो हमारे दल के नेता भी हैं, के अनेक आलोचक थे . . . हमारे नेता ने संसद का सम्मान किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री कृष्णा, आपको याद है कि जब आप कर्नाटक में मंत्री थे, तब आपने श्री जी० डी० बिरला का आशीर्वाद मांगा था।

श्री एस० एम० कृष्णा : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को उनके अतीत की कुछेक बातों को याद दिलाऊंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अब व्यवधान मत डालिये।

श्री एस० एम० कृष्णा : 1977 में हमारी नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की एक तानाशाह के रूप में आलोचना शुरू की गयी और उनके दल को एक सत्तावादी दल बताया गया। यह कहा जाता रहा है कि इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और लोगों का मुंह बन्द किया गया। समूचे विश्व, हमारे आलोचकों और यहां तक कि हममें से अनेक लोगों को उस समय आश्चर्य हुआ जबकि उन्होंने 1977 में चुनाव कराने की बात कही। इस चुनाव में लोगों ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके दल को अस्वीकार कर दिया। यह एक इतिहास है कि श्रीमती गांधी ने साहस और शालीनता के साथ सरकार बदलने में मदद की। जनता पार्टी को, जो वर्ष 1977 में अस्तित्व में आयी, लोगों ने सत्तारूढ़ किया। और इस पार्टी को इस देश, समाज का निर्माण अपने ढंग से करने का सुअवसर मिला। परन्तु क्या हुआ? उसके सत्तारूढ़ होते ही उनका अंतर्विरोध (जिसके बारे में वे चुनाव से पहले भी बातें कर रहे थे) जोर पकड़ता गया और यह सभा में तथा सभा से बाहर भी दिखाई पड़ने लगा। इस देश के करोड़ों लोगों की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उन्होंने राजनीतिक उत्पीड़िन का साहस किया जोकि किसी लोक तंत्रीय देश में अद्वितीय बात थी। श्रीमती गांधी और उनके अनुयायी जनता पार्टी सरकार की तरह तरह की

***सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नही किया गया।

कार्यवाहियों के शिकार हुए । जनता पार्टी जनता को और जनता की समस्याओं को भूल गयी । परन्तु उनका आक्रमण एक व्यक्ति, एक नेता को गिराने के लिये था और वह व्यक्ति थीं श्रीमती इन्दिरा गांधी ।

लेकिन अब हुआ क्या ? 34 महीने बीत गए । हम पर एक चुनाव और लादा गया । क्या हमने चुनाव के लिए कहा था ? नहीं । हमने चुनाव की मांग नहीं की थी । जब आपको इस देश में पांच वर्षों तक शासन करने के लिए देश के लोगों का आदेश मिला था तो क्या हो गया ? आप 33 महीने तक ही इस देश में शासन करने के लिए अक्षम सिद्ध हुए जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को चुनाव कराने के लिए विवश किया गया । आपकी आलोचना में एक ही चीज दिखाई पड़ती है । जनता पार्टी सरकार और इसके बाद अयोग्य लोक दल सरकार की देन क्या है ? इन दोनों सरकारों की दिवालिया अर्थव्यवस्था, भ्रष्ट नौकरशाही, असंतुष्ट और उदासीन पुलिस बल, सामाजिक और राजनीतिक तनाव तथा असहाय जनता । 34 महीने के कुशासन के बाद आज राष्ट्र की यह हालत है ।

आप व हम सभी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं । 1978 में कर्नाटक के लोगों ने, विशेष रूप से चिकमगलूर की जनता ने संविधान प्रदत्त अपने अधिकार का प्रयोग कर श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस सम्मानित सभा के लिए निर्वाचित किया । उस विशेष वर्ष में आपको भारी बहुमत मिला था । आपने उनकी लोकतंत्रीय आकांक्षाओं को किस तरह पूरा किया ? कोई मौका दिये बिना केवल इस कारण कि आपको बहुमत मिला था श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को निष्कासित किया और इस तरह से कर्नाटक की जनता की आवाज बन्द कर दी । मुझे हमारे दलज के नेता श्री सी० एम० स्टीफ़न का वह बुलन्द भाषण याद है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी और भविष्यवाणी की थी । उन्होंने कहा था——

"आज आप उन्हें इस सम्मानित सभा से निष्कासित कर रहे हैं परन्तु वह वापस आयेंगी" और आज वह इस देश की जनता के आशीर्वाद से यहां हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह पैगम्बर हैं ।

एक माननीय सदस्य : जी, हां ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वह वापस आ गए हैं ?

श्री एस० एम० कृष्ण : वह भी अब वापस आ रहे हैं और यह आश्चर्य की बात होगी तथा आपको जबरदस्त धक्का पहुंचेगा । महोदय, अनेक जांच आयोग——शाह आयोग, रेड्डी आयोग, ग्रोवर आयोग, गुप्ता आयोग नियुक्त किये गये । मुझे सही पता नहीं है । अनेक आयोग थे । यहां तक कि दूसरी तरफ़ बैठे मेरे मित्रों को भी आयोगों की संख्या का पता नहीं होगा और शायद श्री ज्योतिर्मय बसु को याद हो, क्योंकि उन्हें ऐसी बातों का पता रहता है । अब इन आयोगों का क्या होगा ? लोक दल के नेता श्री चरण सिंह ने ग्रोवर आयोग को नियुक्ति की थी और ग्रोवर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्य मंत्री को कुछ कारणों से दोषी ठहराया और लोकदल के नेता श्री देवराज अर्स के साथ ही राजनीतिक गठबंधन किया । आप नैतिकता की बात करते हैं । आप चाहते हैं कि लोग नैतिकता सम्बन्धी आपके उपदेशों के अनुसार चलें जबकि आप ऐसा करते हैं और आपका यह रिकार्ड है (**व्यवधान**) । अब मैं नहीं समझता कि इन सब आयोगों के समान कोई और चीज हो । अन्य लोकतंत्रीय देशों जैसे इंगलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, फ्रॉस और

विभिन्न अन्य देशों में, जापान में, जो हमारे देश के निकट हैं, सरकारें बदली हैं परन्तु किसी भी देश में सरकार ने ऐसी कार्यवाही नहीं की जैसीकि जनता और लोकदल सरकारों ने पिछली सरकार के साथ की। चूंकि अब हमें आज भारी बहुमत मिला है, इसलिए क्या आप हमसे आशा करते हैं कि हम आपका अनुकरण करें क्या आप चाहते हैं कि हम वही करें जो आपने किया है? मैं यही आश्वासन देता हूं जो कि हमारे दल के नेता ने राष्ट्र को दिया है कि यह सरकार किसी के साथ राजनीतिक या व्यक्तिगत बदले की भावना से काम नहीं करेगी, क्योंकि यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। हमारा दल विभिन्न ग्रुपों से मिलकर नहीं बना है। हमारा एक दल है और एक नेता है। इसी कारण हम पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास के साथ कहते हैं।

चुनाव समाप्त हो गए हैं। लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। हम सभी संसद में वापस आ गए हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो यहां नहीं आ सके। हमें इस बात पर विचार करना है कि समय आ गया है जब कि हम सभी को देश के सम्मुख विभिन्न समस्याओं, जटिल समस्याओं, विशेषरूप से हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रणाली के सम्बन्ध में स्वयं को बताना होगा। चुनाव तो एक अंश मात्र हैं। यह तो एक शुरूआत है अन्त नहीं। अभी भी हम एक राष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं जिससे हम सभी अपने संसाधन, शक्ति, समय और बुद्धि का उपयोग एक बेहतर भारत का निर्माण करने और अपने समाज को सुदृढ़ बताने में करें। मुझे विश्वास है कि सरकार इस सभा के विभिन्न राजनीतिक दलों समेत हरेक से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। लोगों ने गत 34 महीनों से बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा की है। ये बड़े दुःख के महीने रहे हैं। कुछ भी व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा था। अर्थव्यवस्था स्थिर रही। औद्योगिक विकास कतई नहीं हुआ। कुल राष्ट्रीय आय में काफी कमी हो गयी और संक्षेप में आज अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गयी है। मूल्य बढ़ गए हैं। हमने जब कभी चुनाव अभियान के दौरान अपनी सभाओं में भाषण दिया तब सामान्य व्यक्ति का क्षोभ बढ़ती हुई कीमतों सम्बन्धी एक प्रश्न के बारे में था। यह आम बात थी। जैसा कि आज सुबह श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बताया है कि जो सरकार मूल्य वृद्धि नहीं रोक सकती, उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यह मजाक के रूप में कहा गया है कि प्याज की कीमतों से जनता और लोकदल सरकारों का गत चुनावों में सफाया हुआ। सरकार इतनी अक्षम रही कि वह देश में काफी मात्रा में पैदा होने वाले प्याज की कीमतें कम न कर सकी। इसके अतिरिक्त हमने भारी मात्रा में आयात किया। आप किसी ऐसी वस्तु का नाम बतायें जिसका आयात हमने नहीं किया। हमने इस्पात, सीमेंट, कोयला और अन्य अनेक वस्तुओं का आयात किया। हमने हरेक वस्तु का इतनी अधिक मात्रा में आयात किया कि आज व्यापार घाटा लगभग 2 हजार करोड़ रुपए है। इस वर्ष तेल आयात बीजक लगभग 5 हजार करोड़ रुपये होगा जो कि कुल निर्यात आय का लगभग 80 प्रतिशत है। आप ये समस्यायें कैसे हल करेंगे? परन्तु यह बात निश्चित है कि और यह सर्वमान्य है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था मूल रूप से सुदृढ़ है। यदि सही नेतृत्व तथा सही दिशा मिले तो निराशा की कोई बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में कुछ ही दिनों में परिवर्तन आ जायेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगले 100 दिनों में इस सरकार से करिश्मों की आशा नहीं की जा सकती है। सामान्यतयः जब कोई नई सरकार बनती है तो समाचार पत्र पहले 100 दिनों की सरकारी उपलब्धियों का विशेष रूप से विश्लेषण करते हैं। किन्तु

आज कल जिस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, उन्हें देख कर तो यही लगता है कि हम पहले 100 दिनों में ही क्या पहले 365 दिनों में भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं कर पायेंगे। देश को परिणामों से अवगत कराने के लिये हमें अधिक लंबी अवधि की आवश्यकता है।

देश में ऊर्जा की स्थिति पर ही गौर करिये। स्थापित क्षमता में से 48 प्रतिशत से भी कम क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। इस दर से हम देश में ऊर्जा संकट का निराकरण कैसे कर सकते हैं। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय के माथे दोष मढ़ देता है। ऊर्जा मंत्रालय कोयला सप्लाई को दोष देता है। कोयला मंत्रालय रेल मंत्रालय को दोष देता है कि वह कोयला ढोने का कार्य ठीक नहीं कर रहा, यहां तक कि भूतपूर्व सरकार के कार्य-काल में मंत्रालयों के बीच किसी प्रकार का समन्वय नहीं था और मुझे विश्वास है कि वर्तमान सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। वर्तमान सरकार को सर्वप्रथम तो ऊर्जा संकट का समाधान गंभीरतापूर्वक करना होगा।

विदेश नीति के मामले में भी मैं 1970 में इस सम्मानित सदन में उपस्थित था जब बंगला देश की घटना हुई थी। बंगला देश का उद्भव 1971 में हुआ था। किन्तु दिसम्बर, 1970 में संघर्ष हुआ था, मुझे यह अच्छी तरह याद है।

आज भारत का विश्व के देशों में क्या स्थान है ? जब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार तथा देश की नेता थीं, तब विश्व का हर देश उसका सम्मान करता था वह श्रीमती गांधी की उपस्थिति से अभिभूत था और उनकी बात बड़े आदर से सुनी जाती थी।

1971 में बंगला देश भी घटना के समय जब भारत-पाक युद्ध हो रहा था तो उस समय यह बड़ा बुरा समाचार आया था कि शक्तिशाली अमेरीकी राष्ट्र का 7वां बेड़ा हिन्द महासागर में मंडरा रहा था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस खतरनाक स्थिति के प्रति किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मुझे याद है जब इस गरिमा-मंडित सदन में एक ध्यानाकर्षण नोटिस आया था तो उन्होंने शान्त दिमाग से नौवहन मंत्री से उसका उत्तर देने के लिये कह दिया। और नौवहन मंत्री ने सदन में यह घोषणा की थी कि यदि किसी राष्ट्र के किसी पोत ने हमारी समुद्री सीमाओं का उल्लंघन किया तो भारत निश्चय ही सतर्कतापूर्ण कार्यवाही करेगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी का यह शांत और साहसिक उत्तर था।

आज क्या हो रहा है ? छोटे-छोटे राष्ट्र तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री ने अनेक बातें कहीं जो हमारे देश के आधारभूत हितों के विरुद्ध थी। जब जनता दल सत्तारूढ़ था तब अनेक असंवैधानिक बातें कहीं गईं। उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मेरे आदरणीय मित्र डा० सुब्रामण्यम स्वामी में यह होड़ लगी हुई थी कि पीकिंग में पहले कौन पहुंचे।

खैर, हमें विश्व के राष्ट्रों में भारत की छवि पुनः बनानी है। यदि किसी देश की सरकार कमजोर होती है, यदि किसी देश का नेतृत्व कमजोर होता है तब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके प्रभाव की क्षति होती है। किन्तु किसी देश की सरकार के सशक्त होने

पर सभी उससे सलाह लेते है, सहायता लेते है । आज भी यही हो रहा है क्योंकि आज देश का नेतृत्व सबल हाथों में हैं । हमारा दल बड़ा सशक्त है। कोई भी देश अब भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता है । वह पहले ऐसा करते रहे हैं, अब मुझ आशा है वह ऐसा नहीं करेंगे।

और भी अनेक समस्याएं हैं । अफगानिस्तान की समस्या बड़ी विकट हैं । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान में तनाव को मिटाना चाहता है । इस प्रकार के अत्यन्त नाजुक मामले में दोषारोपण से कोई लाभ नहीं होता है। मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री अफगानिस्तान की समस्या का का समाधान करने में सहायक होंगे। अन्य अनेक क्षेत्र हैं जहां मिल जुल कर कार्य करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में मैं एक समस्या का उल्लेख करना चाहूंगा और वह है देश में बढ़ती जनसंख्या। इस समस्या के समाधान न केवल सभी राजनैतिक दलों के लिये वरन् सभी के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये । क्या हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिये कुछ कदम उठायेंगे । इस शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या बढ़ कर एक अरब हो जाने की संभावना है । हमारे पास अपार जनसमूह को खिलाने, कपड़ा और शिक्षा प्रदान करने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिये संसाधन कहां हैं? इस प्रश्न के सम्बद्ध में मुझे श्री संजय गांधी के नाम का उल्लेख करना है ।

(श्री त्रीदिब चौधरी पीठासीन)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दिया जाये।

श्री एस० एम० कृष्ण : मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि श्री संजय गांधी के नाम से इतनी एलर्जी क्यों है । विपक्ष में मेरे मित्रों को अब श्री संजय गांधी के साथ मिल-जुल कर काम करना होगा क्योंकि वह भी इस सदन के सदस्य हैं (**व्यवधान**) आप दया कर मुझे सुनिये। मैं एक विचार व्यक्त कर रहा हूं। आप इस विचार को पसन्द करें अथवा न करें, मैंने अभी तक श्री संजय गांधी का नाम नहीं लिया था । किन्तु इस प्रश्न विशेष पर श्री संजय गांधी का नाम न लेना आत्म-प्रवंचना होगी।

एक माननीय सदस्य : संजय गांधी का नाम लेने का यहां पर क्या औचित्य है? कोई औचित्य हैं क्या **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिये। इस समय मैं खड़ा हूं। माननीय सदस्य ने श्री संजय गांधी का नाम लेकर न तो किसी नियम का उल्लंघन किया है और न ही कोई विशेषधिकार भंग किया है; श्री संजय गांधी भी इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं जिन्हें जनता ने निर्वाचित किया है। अतः इन माननीय सदस्य की बात को सुना जाये।

श्री एस० एम० कृष्ण : हमारे देश में जिसका भी थोड़ा बहुत राजनीति से सम्बद्ध है, जानता है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या कितनी विस्फोटक है । किन्तु कितने ऐसे नेता हैं जो जनता में साहस के साथ इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस युवा के प्रयासों की प्रशंसा करने के बजाय वह इन प्रयासों के पीछे किसी स्वार्थ के होने की बात

करते हैं और इससे राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। किन्तु इसमें उन्हे सफलता नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूं कि आप लोग अपने अन्दर झांक कर देखिये। केवल श्री संजय गांधी को ही क्यों परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में सोचना पड़े हम सब को इसके बारे में सोचना चाहिये, तभी हम देश में कुछ रचनात्मक कार्य कर पायेंगे।

विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण नहीं मिलेंगे जहां तीन साल पहले किसी नेता को अस्वीकार कर दिया गया हो और वहीं पुनः पुर्ण बहुमत और समर्थन से वापस आ जाये।

एक माननीय सदस्य : कितना बहुमत, 43 प्रतिशत।

श्री एस० एम० कृष्णा : इस प्रकार से दो उदाहरण मेरे ध्यान में हैं किन्तु उनकी तुलना में उससे नहीं की जा सकती जो हमारे देश में देखने में आया है। विंसटन चर्चिल को युद्ध के शीघ्र पश्चात ही अस्वीकार कर दिया गया था किन्तु बाद में मतदाताओं ने देश का नेतृत्व करने के लिये उन्हे बुला लिया। जब फ्रांस का संविधान असफल हो गया तो जनरल डी गॉल को जनता द्वारा देश का नेतृत्व करने के लिये बुला लिया गया था। आज इस देश की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को देश को प्रगति के नये शिखरों पर ले जाने के लिये बुलाया है। यदि किसी और नेता को तीन वर्षों में दी गई यातनाएं मिलती तो वह शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से परास्त हो जाता किन्तु एक श्रीमती इन्दिरा गांधी थी जो राजनैतिक यातनाएं सहकर भी अपने बलबूते पर वापस आई हैं। हम सब का यह कर्त्तव्य है कि देश के सामने जो विकट समस्याएं हैं उनका समाधान करने में उनकी सहायता करें। हमें बहुमत मिला है किन्तु हम सत्ता के नशे में चूर हो कर यह नहीं कह रहे हैं बल्कि हम अपनी विजय के समय भी विनम्र हैं। हम इस विजय को विनर्मता से लेते हैं और स्वयं को तथा अपने दल को देश की सेवा में अर्पित करते हैं ?

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती मोहसिना किदवई (मेरठ) : मेरे काबिल दोस्त ने जो अभी प्रेजीडेंट साहिब के एड्रैस पर शुकरिये की तहरीक पेश की है, मैं उसकी ताईद करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

आज एक नए महौल में यह सदन मिला है। अभी कुछ दिन पहले 1977 के चुनाव में एक नया पन्ना मुल्क की तारीख में जोड़ा गया था और तीस साल के कांग्रेस के शासन को हटा कर जनता ने अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपना मुकम्मिल एतमाद एक दूसरी पार्टी को दिया था और भारी अकसरियत से, भारी बहुमत से उसको इस सदन में ला कर बिठाया था। बड़ी आशाओं और उम्मीदों के साथ उसने ऐसा किया था। उसने सोचा था कि वह अव्वाम का भला करेगी, गरीबों की तरफ देखेगी, किसानों, मजदूरों और लाखों–करोड़ों कुचले हुए अव्वाम की तरफ देखेगी। लेकिन मैं समझती हूं कि जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद बहुत से लोगों की आशायें तो पूरी हुई, जो यहां चुन कर आये थे, उन में से किसी का प्रधान मंत्री बनने का सपना पूरा हुआ किसी का भूतपूर्व प्रधान मंत्री कहलाने का सपना पूरा हुआ किसी की विदेश यात्रा का सपना पूरा हुआ, मंत्री बनने का सपना पूरा हुआ। लेकिन अगर किसी का सपना पूरा नहीं हुआ तो इस देश के लाखों करोड़ों अव्वाम का पूरा नहीं हुआ जिस ने बड़ी आशाओं और उम्मीदों के साथ इस पार्टी की सरकार को चुनकर यहां भेजा था।

मैं आज आप से पूछना चाहती हूं कि कल जो 45वां कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल पास हुआ था उस पर जब बहस हो रही थी तो क्या वजह है कि मेरे एक काबिल दोस्त उधर से कह रहे थे कि इस एमेंडमेंट का सेहरा श्रीमती इन्दिरा गांधी के सिर पर नहीं बंधना चाहिये। हम भी चाहते थे कि पहले वाली सरकार के सिर यह सेहरा बंधता। लेकिन मैं उन काबिल दोस्तों से पूछना चाहती हूं जो उधर बैठे हुए हैं, जिन को जनता ने भरपूर अकसरियत दी थी, मुल्क के अवाम ने मुकम्मिल एतमाद दिया था तो क्या वजह है कि जम्हूरियत के अलम्बरदार अपने आप को कहलाने वालों ने जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को सदन से निकालना था और चिकमंगलूर की जनता के फैसले को रद्द करना था और भारी अकसरियत से रद्द करना था, जम्हूरियत का गला घोंटना था तो कोई आपका मैम्बर बिस्तर पर लेटा हुआ स्ट्रेचर में आ रहा था, कोई बाहर था या दूसरी स्टेट में था तो हवाई जहाज से आ रहा था और तब ऐसा लगता था कि पार्लियामैंटरी एफेयर्ज के मिनिस्टर इस कद्र मसरूफ थे कि दुनिया के किसी दूसरे काम को देखने की उनको फुरसत हीं नहीं थी और भारी बहुमत से उनको इस सदन से निकालने का फैसला उन्होंने करवाया लेकिन इस बिल को वह पास नहीं करवा सके। जो बड़े बड़े हरिजनों के अलम्बरदार बन कर पिछली इलैक्शन में वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे वे उस दिन कहां थे और भारी अकसरियत उनकी कहां चली गई थी जिस दिन यही बिल उनके वक्त में इस सदन में पेश हुआ था। हम भी चाहते थे कि वह पास होता और इसका सेहरा उनके सिर बंधता। उस दिन जबकि जनता पार्टी का इतना भारी बहुमत था यह गिर गया था और दो तिहाई बहुमत आप लोग इसको नहीं दे सके थे। हम भी चाहते थे कि वह बिल पास होता। लेकिन जिसकी नियत साफ होती है उसी के जरिये अच्छे काम हो सकते हैं वह बिल पास नहीं हो सका।

आज देश के सामने बड़ी-बड़ी चुनौतियां हैं और हमारी अपोजीशन बैंचेज में बैठे हुए बुजुर्ग साथी बड़े अनुभवी लोग हैं, जिनकी अहमियत रही है अपने दलों में, आज मैं कहना चाहूंगी कि ठंडे दिल से सोचें अगर मुल्क को इन खतरात से बचाना है, इन चैलेंजेज का हौसले के साथ मुकाबला करना है तो उनको भी एक अच्छे अपोजीशन की भूमिका निभानी होगी और मुल्क को बनाने में, मुल्क को उन खतरात से बचाने में, मुल्क के मान-सम्मान को बढ़ाने के लिये और एकता के लिये एक जुट होकर काम करना होगा। मुल्क का साथ अगर वह देंगे तो मुल्क अच्छा बनेगा, और एक मुस्तहकम सरकार जो लोगों ने सौंपी है वह ज्यादा मजबूती से चल सकेगी।

आज बहुत से मामलात हमारे सामने हैं, मैं नहीं कहना चाहती कि पिछली जनता सरकार में सारे लोग नाहल थे या निकम्मे थे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस उद्देश्य से जनता पार्टी की सरकार वहां बैठी थी, उसमें काफी काबिल लोग थे, लेकिन उनकी सारी काबलियत, योग्यता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता सिर्फ एक बात में सर्फ हुई, जिसका जिक्र अभी हमारे काबिल दोस्त ने किया था, कि किस तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी को और उनके खानदान को परेशान किया जाय, हैरास किया जाय। मुल्क के सामने बड़े बड़े सवालात थे जैसे बेरोजगारी और महंगाई दूर करना, पड़ौसी देशों के साथ दोस्ताना माहौल कायम करना, कैसे इस देश से मजदूरों का शोषण हटायें, कैसे नौजवानों को बेरोजगारी से नजात दिलायें, इन बातों की तरफ तवज्जह न दे कर पिछली सरकार के सामने सिर्फ एक सवाल था कि किस तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके खानदान को जेल के पीछे भेजें। हमारे जितने कांग्रेसी वर्कर्स थे उनको परेशान किया गया जिसकी तफसील मैं नहीं बताना

चाहती क्योंकि वह दौर गुजर गया और उस दौर से बड़े हौसले के साथ हमारी पार्टी गुजरी और मुल्क के अवाम ने यह साबित कर दिया कि वह मुल्क में एक मजबूत और मुस्तहकम सरकार लाना चाहती है जिसके खोखले नारे न हों और वह वाकई में मुल्क के लोगों की परेशानियां दूर करने का हौसला रखती हो और नेकनीयती के साथ काम करना चाहती हो।

पिछली सरकार के तीन साल के कारनामे आप उठा कर देखिये तो पायेंगे कि जितने भी विकास के कार्य थे वह सारे रुक गये। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स थीं वह भी बिल्कुल गुटबन्दी के आधार पर चल रही थीं। पिछली सरकार की कोई एग्रीकल्चरल पौलिसी, इंडस्ट्रियल पौलिसी और एजूकेशन पौलिसी नहीं थी। जितने नतीजे आपने देखे, बहुत से हमारे अनुभवी लोग उस सरकार में बैठे थे जिनका जराअत से खास ताल्लुक है, लेकिन पिछले तीन साल में काश्तकारों का क्या हुआ ? और आज मैं कहना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने अगर वह इनफ्रास्ट्रक्चर न बनाया होता जिससे किसानों की उन्नति हुई, उनकी पैदावार बढ़ी, कारखानों की पैदावार बढ़ी, पढ़ा-लिखा तबका पैदा हुआ, इंजीनियर्स, डाक्टर्स और वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्होंने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में देश का नाम रोशन किया। लकिन पिछली सरकार ने तीन साल में क्या दिया ? यहां मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेजों ने इस मुल्क को छोड़ा था तो एक नंगा, भूखा और जाहिल हिन्दुस्तान हमारे हाथ आया था। तीस साल बाद जब जनता पार्टी की सरकार को हमने देश दिया तो क्या वैसा ही नंगा, भूखा और जाहिल देश दिया था ? कितना वफर स्टाक था ? अगर 18 मिलियन टन अनाज

14.54

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

का स्टाक न छोड़ा होता तो इस सूखे और सैलाब से मुल्क के लाखों इन्सान भूख से मर गये होते। यह हमारी नीतियों का ही नतीजा था जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत को देश झेल गया। पिछले दिनों जो सूखा पड़ा, किसी भी सरकार की इफैक्टिवनैस, उसकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, इंतजामी काबलियत, उसकी अहलियत कब नापी जाती है ? जब कोई परेशानी हो, अन्दरूनी या बैरूनी हमला हो। अच्छा लीडर वही समझा जाता है जो मुल्क और कौम को उन खतरनाक रास्तों से हौसले और हिम्मत के साथ निकालता हुआ ले जाए। लेकिन पिछले दिनों में चाहे सूखे की बात हो, चाहे सैलाब की बात हो, चाहे इंडियन ओशन में अमरीका के न जाने कितने फ्लीट्स के आने की बात हो—नेवल बेस और एयर बेस बन रहे हैं, किसी मसले का निपटारा पिछली सरकार नहीं कर सकी। सबसे ज्यादा परेशानी की और दुखदायी बात यही है।

आज हमारी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है ? लेबर प्राबलम बढ़ती चली जा रही है आज अपने दोस्त, श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, के मुंह से लेबर अनरेस्ट की बात सुनते हुए मुझे कुछ ताज्जुब हुआ। वह हमेशा पूंजीपतियों की बात करते चले आये हैं। आज उनके मुंह से लेबर की बात सुन कर खुशी हुई कि उन्हें इस फील्ड में भी कुछ दिलचस्पी हुई। हमने मुल्क में जो ट्रेड यूनियन्ज हैं, उनमें से एक खास तन्जीम को जनता पार्टी की तरफ से पैट्रनेज मिला और कोशिश की गई कि उसी की यूनियन्ज को रजिटर किया जाये और उनके जरिये से काम चलाया जाये।

जहां तक एजूकेशन पालिसी का ताल्लुक है, हम पिछले तीन साल के अरसे से सुन रहे थे कि कोई बहुत अच्छी, बड़ी फायदेमन्द, एजूकेशन पालिसी आने वाली है । सरकार आई और चली गई, मगर यह पता नहीं चल सका कि वह एजूकेशन पालिसी क्या है ।

आज हमारी साइंस की दुनिया की क्या हालत है ? हमारी टेकनिकल एजूकेशन पंडित नेहरू की देन है । वैसे तो नया हिन्दुस्तान उनकी देन है, लेकिन उन्होंने खास तौर से हैवी इंडस्ट्रीज, हायर एजूकेशन और भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर वगैरह इंस्टीट्यूशन्ज इस मुल्क को दिये । जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ था, तो इस मुल्क में 11 यूनिवर्सिटीज थीं। लेकिन अब कोई अहम शहर या स्टेट नहीं है, जहां यूनिवर्सिटी और हायर एजूकेशन का इन्तजाम न हो । लेकिन उस हायर एजूकेशन का क्या बना ? चाहे भाभा रिसर्च एटामिक रिसर्च सेंटर हो, चाहे सी एस आई आर हो, चाहे इस किस्म की दूसरी इंस्टीट्यूशन्ज हों, उनमें इस वक्त कितना डीमारलाइजेशन है । पिछले तीन सालों में सब से खतरनाक चीज यह हुई है कि यूनीवर्सिटीज और हायर एजूकेशन की इंस्टीट्यूशन्ज में—तालीमी इदारों में—अपने लिमिटिड पोलिटिकल फायदे के लिए कास्टिज्म और कम्यूनलिज्म का इनडक्शन किया गया है । इस मुल्क के लिए यह सब से ज्यादा खतरनाक चीज है ।

पिछली सरकार ने इस मुल्क के नौजवानों के कीमती दो साल, और कहीं कहीं तीन साल, बर्बाद किये हैं, जो कोई भी उनको वापस नहीं दे सकता है । यूनिवर्सिटीज बन्द हो गईं, पढ़ाई खत्म हो गई और इम्तहान नहीं हुए । बच्चे कहां जायें और कहां अपना भविष्य बनायें ?

भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर में भी पालिटिक्स का दखल हो गया । आल-इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज में भी पोलीटिकल लोग दखलंदाजी करने लगे । नतीजा यह हुआ कि इन इंस्टीट्यूशन्ज में बहुत डीमारलाइजेशन हो गया है और काम करने का इनिशिएटिव खत्म हो चुका है । यूनिवर्सिटीज में आगे बढ़ने के जेहन बनते हैं, जो मुल्क के मुस्तकिल को देखते हैं और तमाम चीजों को ऊपर उठाते हैं । लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछली सरकार ने उनकी अहमियत की तरफ ध्यान नहीं दिया । शिमला इंस्टीट्यूट बन्द कर दिया गया यह सोच कर कि वह बेकार है। रिसर्च तो साल-हा-साल चलती है, तब जा कर उसमें चीजें पैदा होती हैं और ऐसी चीजें पैदा की जाती हैं, जो मुल्क के मुस्तकिल के काम आयें ।

यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमीशन को देखिये । पहले 210 करोड़ रुपये एड, सहायता, मिलती थी । वह काट कर 126 करोड़ कर दी गई । नतीजा क्या हुआ ? लाइब्रेरीज की ग्रान्ट बन्द, बिल्डिंग की ग्रान्ट बन्द, नये प्रोजेक्ट्स बन्द । जब लाइब्रेरी की ग्रान्ट आप बन्द करेंगे तो बाहर क्या काम हो रहा है, क्या नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, क्या गैस पेपर्स, क्या जर्नल्स आ रहे हैं कहीं उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा और उसका नतीजा यह होगा कि हम वैसे ही कुएं के मेंढक रहेंगे । जैसे हम दूसरे मुल्कों से टेक्नोलाजी के लिए, साइंस के लिए, अनाज के लिए भीख मांगने जाते थे उसके ऊपर उठ कर हमारे रहनुमाओं ने इस मुल्क को बनाने की कोशिश की थी । लेकिन आज वह सारी चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं और ऐसा लगता है कि यह मुल्क फिर उसी बैलगाड़ी के एज पर पहुंच जायगा । हमने ख्वाब देखा था कि हर किसान के घर में ट्रैक्टर हो, ट्यूबवैल उसके पास हो, बिजली हो,

उसके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े । लेकिन पिछली सरकार ने यह दिखाया कि अगर आलू का काश्तकार है तो पिछले तीन सालों में आलू के मुताल्लिक उसकी समझ में यह नहीं आया कि खेत से खोदने में फायदा है या खेत में पड़े रहने देने में फायदा है । गन्ने के काश्तकार ने अपनी खड़ी फसल गन्ने की 2 रुपये, 3 रुपये क्विंटल के भाव क्रशर्स को बेची । गेहूं और पैडी का भी यही हाल हुआ । इस साल भी बारिश न होने से सूखा पड़ा और गन्ने की पैदावार कम हुई जिससे गन्ने के काश्तकार को जरूर कुछ ज्यादा पैसा मिला है । हम चाहते हैं कि उनको ज्यादा पैसा मिले ताकि उन्हें फायदा हो । लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इससे अपने पोलिटिकल गेन्स करें चाहे किसान के नाम पर, चाहे मजदूरों के नाम पर, या अक्लियतों के नाम पर ।

आज हमें यह सोचना है कि मुल्क में अमनोअमान कायम हो । ला एण्ड आर्डर की पिछले दिनों में क्या हालत रही, आपने देखा कितने मार्डर, कितनी डकैतियां हुईं । मेरे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं.....(व्यवधान) .....

में आपसे यही बात कह रही थी कि न किसानों को फायदा हुआ, न मजदूरों का फायदा हुआ । इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया, जितना प्रोडक्शन होता था वह रुक गया । जहां पर हम थे कि हम अपना माल बाहर एक्सपोर्ट कर सकें चाहे वह सीमेंट हो, स्टील हो या और दूसरी चीजें हों, वहां वह सारी चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ।

मैं अभी आपसे एजूकेशन पालिसी के मुताल्लिक कुछ कह रही थी । उसके सम्बन्ध में थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहती हूं कि जो टेक्स्ट बुक्स थीं उनमें जो अंग्रेजों ने तरीका इस्तेमाल किया था कि मजहबी नफरत फैला कर इस मुल्क को डिवाइड किया जाय ताकि कभी उसकी एकता कायम न हो, वही काम पिछली सरकार ने किया । पिछली सरकार ने हिन्दुस्तान की हिस्ट्री दोबारा लिखने की बात की । एक तन्जीम जो बहुत पुरानी थी और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के नाम से बनी थी जिसमें मुल्क के माने हुए हिस्टोरियन्स थे, जो इंटरनेशनल फेम की तन्जीम थी उसके पैरेलल एक और खड़ी कर दी गई और सरकार की तरफ से वह बनाई गई ताकि उसमें जो प्रोग्रेसिव ख्यालात के और सेकुलर ख्यालात के लोग थे जो मुल्क की तवारीख को सही नुक्ते नजर से मुल्क के अवाम के सामने पेश कर सकते जो आगे मुश्तकबिल में काम आती, वह न हो सके । उसके लिए एक पैरेलल बाडी बना दी गई और एजूकेशन मिनिस्टर साहब उसका इनागरेशन करने गए जिसमें एक खास तंजीम के लोगों को एन्करेज किया गया और उनको उसमें रखा गया ।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की तो सहायता काट दी गई और दूसरी तरफ 200 करोड़ रुपया रूरल डेवलपमेंट के नाम से और एडल्ट एजूकेशन के नाम से एक खास तंजीम को दे दिया गया.....(व्यवधान).....आर एस एस जो आप कह रहे हैं वह सही है । मैं तो प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगी कि ऐसी चीजों की जरूर एन्क्वायरी होनी चाहिए कि 2 सौ करोड़ रुपया कहां गया ? यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन का पैसा काट कर रूरल डेवलपमेंट के नाम पर एक खास तंजीम को दे दिया जाय तो यह एक ऐसी बड़ी चीज है कि जिसकी मैं जरूर चाहूंगी कि एन्क्वायरी होनी चाहिए कि वह पैसा गया कहां ?

हमारी जो हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट लिखी जा रही थी जिसको डा० ताराचन्द ने शुरू किया था उसको भी जनता सरकार ने खत्म कर दिया । गरज कि हर ऐसी चीज उन्होंने खत्म करने की कोशिश की जिसमें कहीं कांग्रेस मैन का नाम आता हो या कांग्रेस तंजीम की बात आती हो कि उसमें मुल्क की इतनी बड़ी खिदमत की है । यह एक बड़ी तंग नजरी का सबूत पिछली सरकारों ने दिया कि उन्होंने मुल्क के मुस्तकबिल को नहीं देखा, अपनी पार्टी की तरफ देखा और अपने तंग इरादों और नजरियों की तरफ देखा । पिछले तीन सालों में जितने फरकावाराना फसादात इस मुल्क में हुए उनकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती । इस मुल्क में जो कास्टीज्म की एक खतरनाक वबा चली है, मैं तो कहती हूं कि इस मुल्क का कोई दुश्मन ही कास्टीज्म का नाम लेकर काम कर सकता है, कोई भी दोस्त कोमयुनिज्म लेकर काम नहीं करेगा । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप क्या करेंगी, वह भी तो बताइए ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : हां जो कुछ करना है वह मेनिफेस्टों में बतलाया है । और अगर आपने पढ़ा हो तो प्रसीडेन्ट एड्रेस में भी काफी चीजें आ गई हैं ।

मैं प्रधान मंत्री जी को मुबारकवाद देती हूं, बड़प्पन की बात तो यह होती है कि कोई इन्सान अपनी गलती को महसूस करे और दोबारा उसको ठीक करे । मेरे कहने का तलब है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो माइनारिटी करैक्टर था, जो हमारी सरकार के जमाने में खत्म किया गया था और उस वक्त जो सलाहकार थे वे भी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, मैं समझती हूं माइनारिटीज के लिए बहुत बड़ा काम है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मा-नारिटी करैक्टर को बहाल करने की बात प्रेसीडेन्ट एड्रस में कही गई है और अगले सेशन में वह चीज पूरी होने वाली है ।

इस मुल्क में खेती, काश्तकारी के बाद सब से बड़ा पेशा हथकर्घे का है । लेकिन पिछले तीन सालों से उन लोगों को जबर्दस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । सूत की कीमत मनमाने ढंग पर बढ़ रही है । केमिकल्स और रंग मिल नहीं रहे हैं और माल की निकासी नहीं हो रही है । नतीजा यह है कि सारे बुनकर परेशानी में फंसे हुए हैं । उनकी तरफ भी मैं प्रधान मंत्री जी की तवज्जह चाहूंगी। वे ऐसे हालात पैदा करें जिससे कि यह लोग तमाम मुश्किलों से बाहर निकल सकें ।

आज स्टेट्स में दूसरी सरकारें हैं और सेन्टर में दूसरी सरकार है । अगर ईमानदारी और सही जज्बे के साथ स्टेट गवर्नमेंटस सेन्ट्रल गवर्नमेंट का साथ दें तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं होगा निभाने में लेकिन आज जो स्टेट गवर्नमेंट्स का हाल है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । जबसे श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आई है, गांव गांव में जितना डीजल जाता था स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से वह भी नहीं जा रहा है । जितना अनाज जाता था वह भी अब नहीं जाता है और हर चीज का जवाब है कि अब हम क्या करें, इन्दिरा गांधी की सरकार आ गई है । इस प्रकार से जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को बदनाम किया जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ।

जहां तक ला एण्ड आर्डर पोजीशन का सवाल है, मैं जिस क्षेत्र से यहां पर आई हूं वहां पर कोई एलेक्शन लड़ने जायें तो मालूम हो कि किस तरह से जहूरियत का गला घोंटा

जाता है, किस तरह से लोगों को वोट डालने से रोका जाता है और किस तादाद में वोट काटे गए हैं वह भी आपके सामने है ।

मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन चूंकि कई दफा घंटी बज चुकी है इसलिए आखिर में मैं फिर शुक्रिया के प्रस्ताव की पुरजोर ताईद करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस भाषण के लिये, जो उन्होंने 23 जनवरी, 1980 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

जिन माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने संशोधन दिये और जो आज परिचालित किये गये, वे यदि उन्हें प्रस्तुत करना चाहें तो संशोधन संख्या अंकित करते हुए सभा पटल के 15 मिनट के अन्दर स्लिप भेज दें । केवल उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा ।

श्री चरण सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करता था कि प्रस्ताव जिन सज्जन ने पेश किया है और अभी बहन ने उसका अनुमोदन किया है वे जिन नीतियों का जिक्र प्रेसीडेंट के एड्रेस में है, उन नीतियों के अनुमोदन में कुछ कहेंगे लेकिन वह सब कहने के बजाए श्री कृष्ण जी ने सिर्फ अपनी पार्टी की तारीफ और अधिकतर अपने लीडर की तारीफ की है । मैं मानता हूं कि हर मेम्बर को अपनी पार्टी के लीडर को आदर की दृष्टि से देखने, उनकी इज्जत करने और तारीफ भी करने का हक हासिल है । यह हक उनको मिलना चाहिए । लेकिन सवाल यह उठता है कि सारा समय उन्होंने उसी बात पर बिताया कि यह किया था, वह किया था लेकिन अब वह तीस साल में क्या क्या किया था वह मैं थोड़ी देर में बयान करने वाला हूं ।

श्री राम बिलास पासवान : आप इन को बैठाइये, अध्यक्ष महोदय, अगर वे इस तरह से गुण्डा गर्दी चलायेंगे, तो वह नहीं चल सकता ।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल इतना जिक्र किया था कि 30 सालों के अर्से में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, मैं उस का जिक्र करूंगा, लेकिन उस पर खड़े हो कर ऐतराज करना और मुझ को न बोलने देना—यह किस सभा का नियम है ? इस से यह मालूम होता है कि आप का इरादा यह है—अगर कोई आप की पार्टी की आलोचना करना चाहेगा तो आप उस को नहीं करने देंगे । अगर ऐसी बात है तो. . . (**व्यवधान**) . . . आप मुझे सुनिये । आप को जवाब देने का हक हासिल है । अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे और जैसा मैं जानता हूं कि आप की तादाद ज्यादा है, तो हम लोग यहां से उठ कर चले जायेंगे । मैंने अभी तक आलोचना नहीं की है, लेकिन अब मैं आलोचना करूंगा और नियमों के अन्दर रह कर आलोचना करूंगा । उस को सुनना आप की जिम्मेदारी है और मेरी कहने की जिम्मेदारी है । आप अपने जवाब में चाहे कुछ कहें, लेकिन मुझे कहने से रोक नहीं सकते ।

अध्यक्ष महोदय : आप बिलकुल आराम से उन की बात सुनिये । हर एक मेम्बर को अपनी बात कहने का हक़ है । आप भी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन वे भी अपनी बात कहेंगे । जैसा हो रहा है, इस तरह से यह व्यवस्था नहीं चलेगी ।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रस्तावक महोदय ने यह कहा कि पिछले तीस साल के अर्से में जो दो सरकारें यहां रहीं, उन्होंने सिवाय कांग्रेस वालों और खास तौर से उन की लीडर के पर्सीक्यूशन के अलावा कोई काम नहीं किया । मैं जानना चाहता हूं——हम ने क्या पर्सीक्यूशन किया ? हम ने कायदे के मुताबिक, डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्ज़ के मुताबिक कमीशन्ज़ मुकर्रिर किये .... **(व्यवधान)** ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जायें । वे बाधा न डालें **(व्यवधान)** कृपया सुनें । सभा में व्यवस्था होनी चाहिये ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मैं तमाम मेम्बरों से अपील करना चाहती हूं । मेहरबानी कर के जो भी वह कहना चाहते हैं, उस को सुनिये । हर चीज़ का जवाब दिया जा सकता है । भारत की जनता तो दे ही चुकी है, लेकिन उस से भी और ज़ोरों से हम यहां दे सकते हैं ।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम ने, जो उस वक्त कानून बना हुआ था उस कानून के मुताबिक, जिन चीज़ों से हम को या जनता को शिकायत थी, उन की तहकीकात कराने के लिये कमीशन मुकर्रिर किये और कमीशन की रिकमेण्डेशन्ज़ के मुताबिक, तहकीकात कराने के बाद, प्रासीक्यूशन्ज़ अदालत में दायर कीं । मैं जानना चाहता हूं——यह पर्सीक्यूशन किस प्रकार से है ? जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के अग्रणी लोगों ने उस का समर्थन कर के जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी थी, वैसी स्थिति शायद किसी भी डेमोक्रेटिक देश में पैदा नहीं हुई होगी । उन के खिलाफ अगर हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, अगर हमारी नीयत खराब होती तो । लेकिन हम ने ऐसा नहीं किया..... **(व्यवधान)** .....

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है । आप सभा के अनुभवी सदस्य हैं । इसका उत्तर किसी भी तरह दिया जा सकता है ।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब हम को देखना यह है कि एमर्जेन्सी किन सूरतों में लादी गई ? उस वक्त जय प्रकाश नारायण जी का आन्दोलन चल रहा था——एक कारण तो यह बतलाया जाता है । जय प्रकाश जी का जो आन्दोलन उस वक्त चल रहा था, वह बिलकुल सीमा के अन्दर चल रहा था, उस में कोई हिंसा नहीं हुई थी और अगर कहीं कोई हिंसा हुई थी, तो उस के खिलाफ कार्यवाही करने का गवर्नमेंट को हक़ हासिल था । हम को उसकी शिकायत नहीं होती । यह जाहिरा बात थी, असल बात थी कि एक इलेक्शन पिटीशन में हमारी बहिन श्रीमती इन्दिरा गांधी हार गयीं । उनके खिलाफ़ हाई कोर्ट का जजमेंट आया । अब यह सीधी सी बात थी । अगर आप कानून पर अमल करना चाहते थे तो आप को जुडीशियल प्रोसेस से उस केस को आगे लड़ना चाहिए था । लेकिन ऐसा हमारा ख्याल है कि चूंकि आपको उसमें जीतने की उम्मीद नहीं थी इसलिए आपने लेजिस्लेटिव प्रोसेस का सहारा लिया और उसके अन्दर आपने एक कानून बनाया जिसके द्वारा हाई कोर्ट के जजमेंट को रद्द कराया गया । यह काम तभी हो सकता था जबकि एमर्जेन्सी लागू हो, एमर्जेन्सी नाफिस हो । मेरी समझ में नहीं आता कि इसके अलावा और कौन से कारण एमर्जेन्सी लागू करने के थे ।

मुझे मालम नहीं किसी और देश में भी इस तरह से एमर्जेंसी लगायी गयी हो। टर्की में किसी कारण से एमर्जेंसी लगी थी और जब वह एमर्जेंसी खत्म हुई थी तो बाद में आने वाली पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स की पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ़ बहुत सख्त प्रतिक्रिया हुई थी, बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ था। अब हमारे यहां एक लाख दो हजार आदमियों को जेल में डाल दिया गया और उस समय मीसा का जो कानून बना हुआ था वह भी बहुत सख्त कानून था। उसमें एमर्जेंसी के जमाने में और भी तरमीम की गयी कि गवर्नमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट डिटेंशन को ग्राउंड्स देना जरूरी नहीं है। हेबियस कार्पस का अधिकार छीन लिया गया। कोई अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह नहीं कह सकता था कि उसको नाजायज तरीके से जेल में डाला गया है। इसके अलावा सभाएं नहीं हो सकती थीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकते थे। जिन लोगों को आपने जेलों में डाला उनके परिवार वालों को यह बताने का भी अधिकार छीन लिया कि उनके अज़ीज पूना में हैं या दिल्ली की सेन्ट्रल जेल में हैं या नागपुर की जेल में हैं।

मीटिंग सब बन्द थीं। इसके अलावा अखबारों पर पाबंदी और इस हद तक पाबंदी कि अगर कोई लेजिस्लेटिव असेम्बली में या पार्लियामेंट में तकरीर करे तो वह भी अखबारों में नहीं आए। उस दौरान मैंने यू० पी० असेम्बली में तीन-चार घंटे तक तकरीर की लेकिन दूसरे दिन अखबारों में एक सेन्टेंस आया कि मिस्टर चरण सिंह स्पोक। एमर्जेंसी के खिलाफ़ मैं बोला था।

उस समय आपने एक लाख दो हजार लोगों को जेलों में डाल दिया और सब कुछ किया। उसके बाद आपने इलेक्शन जरूर कराये। जिस तरीके से बाद में नतीजे आये उसमें शायद यह आपकी गलती थी। जब आपने उस महौल में इलेक्शन कराये तो उसका नतीजा भी डेफ़िनिट था। जनता ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी।

अब मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि हमने कौन सा अनकांस्टीट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक या इल्लीगल काम किया? आप कहते हैं कि जनता गवर्नमेंट में परसीक्यूशन किया गया। मैं आपको कहता हूं कि जनता गवर्नमेंट ने एक तरह से जितने एग्जिस्टिंग लाज थे, उन सभी का पालन किया। इस पर भी यह कहना कि यह सब परसीक्यूशन था, यह बिल्कुल गलत है।

दूसरी बात आपने फ़रमायी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी चिकमंगलूर में कामयाब हुई। यह बात ठीक है। लेकिन इससे क्या साबित होता है? उसके एक महीने के बाद बिहार में बाई इलेक्शन हुआ, फ़तेहपुर में बाई इलेक्शन हुआ। उन दोनों में नतीजे आपके खिलाफ़ गये।

अब आपने फ़रमाया कि कर्नाटक के चीफ़ मिनिस्टर श्री अर्स की पार्टी के साथ लोक दल का एक एलाएंस हुआ था। वह नहीं होना चाहिये था यह आपका ख्याल है। बहुत मुमकिन है कि आपका ख्याल सही हो। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं। डी एम के को गवर्नमेंट को आपकी गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्जैक्टिव आर्डर से हटा दिया गया था चूंकि सरकारिया कमीशन मुकर्रर हुआ था। सरकारिया कमीशन को रिपोर्ट श्री करुणानिधि के खिलाफ़ जो थी वह कहीं ज्यादा डैमेजिंग थी बिल मुकाबिल ग्रोवर कमीशन की रिपोर्ट के जो उन्होंने श्री अर्स के खिलाफ़ दी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी और आपके लीडर ने क्यों ऐसा फ़ैसला किया और उनके साथ गठजोड़ किया? मेरी गलती थी अगर

थी तो, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की गलती मेरी गलती से कहीं ज्यादा बड़ी थी। लिहाजा आपको शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है।

मेरे माननीय दोस्त ने फ़रमाया कि बदले की भावना से काम नहीं लेंगे। प्रधान मंत्री जी ने भी एक दो बार अपनी तकरीर में कहा है कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बनी है, हम मैजोरिटी में हैं, गवर्नमेंट हमारे हाथ में हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपोजीशन के लोगों के खिलाफ़ हम बदले की भावना से काम लेंगे। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जब हम लोगों को जेल में डाला गया था, दस हजार आदमियों को जेलों में बन्द कर दिया गया था तो वह किस भावना से बन्द कर दिया गया था? क्या कारण है कि आप लोगों ने आंख मूद कर जो कोई रिपोर्ट आपके पास आई, उसको आपने कबूल कर लिया, जो कुछ पुलिस वालों ने कह दिया, उसको आपने कबूल कर लिया, जो रिपोर्ट कांग्रेस वाले ने कर दी, उसको आप ने मान लिया और तब आप हम से किस बात का बदला ले रहे थे? हम केवल इतनी सी बात ही तो कह रहे थे कि क्योंकि आप हाई कोर्ट में पैटीशन में हार गई हैं, इस वास्ते आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिये। इतना ही तो हमारा कहना था। सिर्फ़ एक रेजोलूशन 25 जून को पास किया गया था जिस में यह कहा गया था कि एक सप्ताह के बाद जितने स्टेट कैपिटल्ज है उन के सामने डैमोंस्ट्रेशन किया जाएगा पीसफ़ुल, क्या कुछ और भी कहा गया था? इतना सा ही तो कहा गया था। इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई वायलेंस का सवाल नहीं था, कोई गाली की बात नहीं थी, कोई तशद्दुद की बात नहीं थी, कोई गर्मी नहीं, कोई जोश नहीं। केवल यही मांग थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को इस्तीफ़ा देना चाहिये। देना भी चाहिये था। ठीक उसी तरह का एक मामला डा० चन्ना रेड्डी के खिलाफ़ भी बना था जो आजकल आंध्र के चीफ़ मिनिस्टर हैं और आपकी पार्टी के हैं। वह आपकी सरकार के तब मंत्री थे आंध्र में। वह हैदराबाद की हाई कोर्ट में एक पैटीशन में हार गए थे। तब वह वहां एक मंत्री थे। बहुत से लोग पैटीशन हार जाते हैं तो वे मैम्बर रह जाते है हाउस के अगर वे अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दें। डा० चन्ना रेड्डी ने श्रीमती इंदिरा गांधी से यह कहा कि मैंने अपील दायर कर दी है लिहाजा मुझे मंत्री बने रहने दिया जाए। मैं रिकार्डिड बात बता रहा हूं। गलत बात नहीं कह रहा हूं। आप पेपर्ज देख लें। कैबिनेट में आपने यह फ़रमाया, मेरी बहन इंदिरा गांधी ने यह कहा कि मामूली मैम्बर के लिए तो यह हो सकता है चाहे वह पार्लियामेंट का हो या असैम्बली का हो कि जब तक उसकी अपील तय न हो जाए तब तक वह मैम्बर रह सकता है लेकिन एक मिनिस्टर के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हाई कोर्ट का फ़ैसला मिनिस्टर के खिलाफ़ हो जाता है तो उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिये। मैं समझता हूं कि जब आप जवाब देंगी तो इस इस्तीफ़े का आप जरूर जिक्र करेंगी और बताएंगी कि आपने अपने मामले में एक्सैपशन क्यों किया। अगर आप इस्तीफ़ा दे देतीं तो जितने बहुमत से आप चुन कर आई हैं और जितनी पापुलर साबित हुई हैं उससे कहीं ज्यादा पापुलर हो जातीं (इंटरप्शंज) अगर आप इस तरह से मुझे बोलने नहीं देंगे तो हमारी तरफ़ से आप को कोई बोलने नहीं देगा? मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी गलत बात मैंने कही है? वही चीज आप पर भी तो अप्लाई करती थी। लेकिन आप ने कहा कि नहीं, इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। आपकी पार्लियामेंटरी पार्टी की मीटिंग 18 जून 1975 को हुई। उस में आप लोगों ने तय किया कि आपको रहना चाहिये क्योंकि और

कोई आदमी कांग्रेस के अन्दर नहीं जो देश को संभाल सकता हो, कांग्रेस के अन्दर कोई और लीडर नहीं है। अब यह आपके अखत्यार की बात है। इलैक्शन पैटीशन में हारने के बाद यह प्राइम मिनिस्टर जो बनी रहीं यह एक ऐसी मिसाल थी जो दुनिया की किसी भी डैमोक्रेसी में पेश नहीं की गई।

श्री कृष्णा ने हम लोगों से सहयोग की बात कही है। नैशनल इंटरेस्ट्स में होगा तो हम जरूर कोआपरेट करेंगे। जहां हम ईमानदारी से समझेंगे कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे देश को हानि होती है तो उसका हम विरोध करेंगे और ऐसा करने का हम को हक भी हासिल है। अगर आप यह चाहते हैं कि हर मामले में सपोर्ट किया जाए तो यह तो वन पार्टी सिस्टम हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं। यह डैमोक्रेसी नहीं हुई। आप कोआपरेशन चाहते हैं जिस के लिए मैं आपका बड़ा मशकूर हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोआपरेशन नाट आन योअर टर्म्ज, नाट आन अवर टर्म्ज। अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय कृष्णा जी ने या श्रीमती किदवई ने कहा कि हमारा मुल्क बड़ा मजबूत है, हमारा स्ट्रांग लीडर है, दुनिया भर में इज्जत है। इज्जत की बात तो मैं मानता हूं कि उनकी इज्जत दुनिया में है, होनी चाहिये इतने बड़े मुल्क के प्रधान मंत्री की। (**व्यवधान**) तो क्या आपको शक था जो मैंने बात कही। (**व्यवधान**) मैं सच्ची बात बहुत सी कबूल कर लेता हूं। लेकिन अगर आप पर्सनल बात कहना चाहते हों कि क्योंकि हमारी प्रधान मंत्री की इज्जत है इसलिये मुल्क बड़ा हो गया, यह बात गलत है। इसकी मैं मिसाल दे सकता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री दूसरे देश में गयीं और वहां के प्रेस ने नोटिस नहीं ली और आखिरी कालम में खबर छपी। जब कि चाइना के सेकेन्ड रेट लीडर्स जाते थे तो अखबारों के पहले पन्ने पर खबर छपती थी। लेकिन हमारे लीडर्स की खबर अखबार के अन्दर छपती थी। (**व्यवधान**)

हमारा मुल्क आर्थिक और सैनिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। ठीक है, अगर आपको मुगालता है तो आपको मुबारक लेकिन आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत है यह मुल्क? अरबों रुपये का आपने बाहर से गल्ला मंगाया। अक्सर मैंने सुना है कांग्रेस वालों को यह कहते कि जिस वक्त उन्होंने 1977 में इस गवर्नमेंट का चार्ज छोड़ा था तो 20 मिलियन टन गेहूं का जखीरा छोड़ा था। लेकिन उसमें एक एक दाना फ़ारेन व्हीट का था।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : : नहीं, नहीं।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) खड़े हुये ....

अध्यक्ष महोदय : श्री टाईटलर, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

* * * * * *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये।

श्री चरण सिंह : मेरे दोस्तों ने कहा कि मैं गलत कहता हूं, झूंठ कहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने फूड डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट पढ़ी है? 25 अरब 3 करोड़ रु० का गल्ला 1974, 1975, 1976 में मंगाया जब कि वर्षा अच्छी हुई थी, सेल्फ़ सफ़िशियेंसी हमारे यहां थी। उस वक्त आपने 18.7 मिलियन टन

****कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया गया।

अध्यक्ष महोदय : तीन बज कर तीस मिनट से गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरम्भ होगी । आप अपना भाषण या तो उस समय तक समाप्त करें या आप इसे सोमवार को जारी रखें। अभी तीन मिनट हैं । आप अपना भाषण जारी रखें। ।

श्री चरण सिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि 1975, 1976, 1977 तीनों सालों में वर्षा अच्छी हुई और 1974 में कोई फ़सल खराब नहीं थी। तो या तो 1975, 1976 में या 1974, 1975, 1976 में तीन साल की आप रिपोर्ट उठाकर देखें, सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें जितने मेरे भाइयों को एतराज है वह फ़ूड डिपार्टमेंट से पूछें, मैं फ़िर दोहराता हूं कि 2,503 करोड़ रु० का गल्ला 18.7 मिलियन टन, जिसका मतलब हो गया 20 मिलियन टन यानी दो करोड़ टन अनाज बाहर से मंगाया हुआ था। माननीय प्रधान मंत्री ने इस सवाल को चैलेंज किया, मैं उनसे दर्खास्त करूंगा कि आज ही शाम को अपने अफ़िसर्स को बुला कर पूछें कि कितनी फ़िगर्स हैं । मेरे पास आफ़िशियल फ़िगर्स हैं, मैं कोई निराधार नहीं कह रहा हूं, बिना बेसिस के नहीं कह रहा हूं। मैं बिना बेसिस के नहीं कह रहा हूं। यह घमंड करना, या यह कहना कि हमने खेती की पैदावार इतनी बढ़ा दी या हम 20 मिलियन टन छोड़ गये थे, निराधार और गलत है । अगर उन्होंने खेती की तरफ़ ध्यान दिया होता, तो आज मुल्क की सूरत कुछ दूसरी होती।

जहां तक मिलिटेरिली स्ट्रांग होने का प्रश्न है, वह तो इससे ज़ाहिर होता है कि एक छोटा सा मुल्क, जो हमसे चौथाई ताकत का होना चाहिए था, जिसके पास इतने रीसोर्सिज़ और मैन-पावर नहीं है, हम इस फिक्र में रहते हैं कि वह हमारा दोस्त हो, जबकि उस को फिक्र होनी चाहिए थी कि हम उसके दोस्त हों । आज नार्थ-ईस्ट में क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । सदस्य अभिभाषण पर अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

   किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शिक्षित एवं गैर-शिक्षित बेरोज़गार नौजवानों को एक सीमा अवधि में रोज़गार देने अथवा बेरोज़गारी भत्ता देने की चर्चा नहीं की गई है ।

2. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

   किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रहे साम्प्रदायिक दंगे को रोकने एवं साम्प्रदायिक शक्तियों के कार्यकलापों को रोकने के लिए कोई कारगर कदम की चर्चा नहीं की गई है ।

3. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

   किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में किसानों को हो रही दोहरी लूट से उनको सुरक्षा प्रदान करने, किसानों के उत्पादन का उन्हें लाभकारी मूल्य

दिलाने एवं किसानों के उपभोग के सामानों को उन्हें उचित दाम पर उपलब्ध कराने की कोई ठोस योजना की चर्चा नहीं की गई है ।

4. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अधिकांश भाग में व्याप्त भयंकर बिजली संकट से आक्रान्त राज्यों को इस संकट से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त कराने की किसी ठोस योजना का वर्णन नहीं किया गया है ।"

5. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कई लाख बीड़ी-मजदूरों एवं करोड़ों खेत मजदूरों तथा आम मजदूरों के सामने व्याप्त समस्याओं को सुलझाने की दिशा में तथा उन्हें मनवांछित सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी योजना एवं कदम का जिक्र नहीं किया गया है ।"

6. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिनों-दिन बढ़ रही महंगाई को रोकने की दिशा में मुक्त व्यापार पर पाबंदी लगाने एवं घाटे का बजट नहीं बनाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है और न उपभोक्ताओं को इस बात की गारंटी देने का ही जिक्र किया गया है कि तमाम आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित दाम पर लाजिमी तौर से किया जायेगा जिसकी देख-रेख सर्वदलीय निगरानी समितियां करेंगी ।"

7. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा और इसके लिए उन्हें सस्ते दामों पर पुस्तकें, कापियां होस्टल की व्यवस्था, भोजनादि उपलब्ध कराने की चर्चा नहीं की गई है ।"

8. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को अविलम्ब समाप्त करने के कोई कारगर कदम उठाने की चर्चा नहीं की गई है ।"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

9. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर गैर-पूंजीवादी यानी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

10. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश विदेश के इजारेदार पूंजीपतियों के हाथों में केन्द्रित आर्थिक शक्ति को तोड़ने के वास्ते किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है ।"

11. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी पूंजीपतियों की पूंजी को देश में आने देने से रोकने तथा उनके मुनाफ़ों को अपने देशों में ले जाने से रोकने संबंधी किसी प्रस्ताव का ज़िक्र नहीं है ।"

12. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से बेकारी को समाप्त करने तथा बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है ।"

13. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमि सुधार के द्वारा खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों के बीच जमीन के बंटवारे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

14. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों को बोनस देने संबंधी नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

15. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों को बिना किसी प्रकार की शर्त के बोनस देने की चर्चा नहीं की गयी है ।"

16. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल मजदूरों, डाक-तार एवं रक्षा विभागों के कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर बोनस देने संबंधी सरकारी घोषणा से उत्पादकता की शर्त को हटाकर बोनस देने की आम नीति का कोई उल्लेख नहीं है ।"

17. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बोनस देने के किसी स्थायी कानून बनाने का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है ।"

18. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इन्दिरा कांग्रेस द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में कम्पूचिया को मान्यता दिलाने संबंधी घोषणा के बावजूद उसे मान्यता प्रदान करने की घोषणा का उल्लेख नहीं है ।"

19. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाने के किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है ।"

20. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को करखनिया सामान सस्ते मूल्य पर दिलवाने के किसी प्रस्ताव का जिक्र नहीं है ।"

21. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेत मजदूरों को निम्नतम मजदूरी दिलवाने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है ।"

107. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कमजोर राष्ट्रों को तंग करने की पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति की निन्दा किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

108. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने संबंधी किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है ।"

221. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कौनसी शक्तियां हमारी सीमाओं पर सक्रिय हैं उनका तथा उनके उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

222. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिकता एवं विभाजन की शक्तियों जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आनन्द मार्ग, जमाते इस्लामी आदि के जहरीले प्रचारों को रोकने के लिये किसी ठोस नीति का कोई उल्लेख नहीं है ।"

223. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया ।"

224. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"बिहार में बंगला, उर्दू, उड़िया-भाषी क्षेत्रों को उनकी भाषाओं में प्रश्न-पत्र लिखने की सुविधा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

225. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू भाषा को उचित स्थान एवं सुविधाएं प्रदान करने का कोई जिक्र नहीं है ।"

226. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सरकारी सेवा में भर्ती के लिए विशेष सुविधाएं देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

227. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक एवं देश की एकता को तोड़ने वाले प्रचारों पर प्रतिबन्ध लगाने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।"

228. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक दंगों के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कोई चर्चा नहीं है।"

229. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमशेदपुर, अलीगढ़, बनारस, पूर्णिया, संभल आदि स्थानों में हुए साम्प्रदायिक दंगों की भर्त्सना करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

230. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आये दिन हरिजनों एवं कमजोर वर्ग के लोगों पर होने वाले जुल्मों को रोकने के लिये किसी ठोस नीति का उल्लेख नहीं है।"

231. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

232. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कानून और व्यवस्था की दयनीय स्थिति में सुधार के लिये किसी ठोस योजना का जिक्र नहीं किया गया है।"

233. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में लूटपाट, राहजनी, हत्या, बलात्कार, डकती आदि पर काबू पाने के लिये किसी ठोस सुझाव की चर्चा नहीं है।"

234. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त अनुशासनहीनता एवं अराजकता की स्थिति के लिये सरकार को उत्तरदायी नहीं माना गया है।"

235. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :"

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 20 प्रतिशत की वृद्धि के लिये सरकार को दोषी करार नहीं दिया गया है।"

236. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिये किसी ठोस कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।"

237. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्राम जनता को राहत दिलवाने के लिये लोहा, सीमेंट, कोयला आदि के मूल्यों में कमी करने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है '।

238. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त गड़बड़ियों के लिये उद्योगपतियों को उत्तरदायी मानने की किसी बात का जिक्र नहीं है।"

239. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त गड़बड़ी को ठीक करने तथा उत्पादन मे वृद्धि के लिये मजदूरों से सहयोग लेने सम्बन्धी किसी ठोस सुझाव का उल्लेख नहीं है।"

240. कि प्रस्ताव के अन्त यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ाने में मदद देने के लिये समुचित सिंचाई, नियमित रूप से बिजली की सप्लाई, सस्ते दर पर खाद, बीज तथा डीजल की सप्लाई आदि की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

241. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पिछड़े राज्यों एवं भागों के विकास के लिये कोई विशेष सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।"

242. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के इजारेदार पूंजीपतियों के हाथों में केन्द्रित आर्थिक शक्ति को तोड़ने के किसी प्रस्ताव की चर्चा नहीं है"।

243. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा टैक्सों की चोरी के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।"

244. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यों में कमी करने के लिये जीवनोपयोगी वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकारी हाथ में लेने की बात का उल्लेख नहीं है।"

245. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईख की कीमत 20 रुपये प्रति क्विंटल तै करने के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

246. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के चीनी कारखानेदारों के पास ईख के मूल्य के रुप में करोड़ों रुपये बकाया राशि को दिलवाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

247. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की अकाल एवं सूखा पीड़ित जनता की विशेष आर्थिक तथा दूसरी सहायताएं करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

248. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषणों में इजारेदारों के अखबारों को नियंत्रित करने संबंधी किसी बात का उल्लेख नहीं है ।"

249. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभश्षण में आकाशवाणी एवं टेलीविजन के नियंत्रण के लिये इसके स्वतंत्र कारपोरेशन के गठन की कोई चर्चा नहीं है ।"

250. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबों को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलवाने के लिए किसी ठोस सुझाव का उल्लेख नहीं है ।"

251. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों के उचित विकास के लिये उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान करन संबंधी किसी बात का जिक्र नहीं है ।"

252. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सोवियत रूस और अफगानिस्तान की सरकारों के बीच पारस्परिक सहायता के अनुसार अफगान सरकार के अनुरोध पर वहां सोवियत फौजों को भेजने संबंधी औचित्य का समर्थन करने का उल्लेख नहीं है ।"

253. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषणों में अमरीका, चीन तथा अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र देने की नीति की निन्दा नहीं की गयी है।"

254. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अफगानिस्तान की स्थिति में बिगाड़ के लिए अमरीका व चीन को दोषी ठहराने की बात का उल्लेख नहीं है।"

255. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी और रोजगार परक बनाने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

322. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश व्यापी भ्रष्टाचार और उसके निदान का कोई उल्लेख नहीं है।"

323. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

324. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शासक दल की ओर से जनतांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों को कुचलने के प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं है।"

325. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ नियंत्रण की ठोस योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।"

326. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के और विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।"

327. कि प्रस्ताव के अत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं है।"

328. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के कारखानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने तथा सरकारी क्षेत्र के सिद्धांतों में विश्वास न रखने वाले उच्चाधिकारियों को उनके पद से अविलम्ब हटाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

329. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कपड़ा, चीनी और दवा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं है।"

330. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के कारखानों एवं संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों एवं मजदूरों को समान वेतनमान देने संबंधी सिद्धांतों को क्रियान्वित करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

331. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूरों की छंटनी, तालाबंदी, ले-आफ आदि पर प्रतिबंध लगाने संबंधी किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।

332. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमजीवी वर्ग के हड़ताल करने के अधिकार को हर हालत में बनाये रखने का कोई उल्लेख नहीं है।"

333. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की जनता को आवश्यक वस्तुएं मुहैया करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और विस्तारित करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

334. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिवासियों की गरीबी को मिटाने तथा उनकी अन्य समस्याओं के समाधान के ठोस सुझावों का कोई उल्लेख नहीं है।"

335. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संसदीय जनतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत बनाने तथा उसे विस्तरित करने संबंधी बुनियादी बातों का उल्लेख नहीं है।"

336. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी राष्ट्रपतिय प्रणाली को भारत में किसी भी स्थिति में लागू नहीं करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

337. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

338. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में होने वाले बोगस मतदान को रोकने के लिए किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

339. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साधन सम्पन्न बिहार राज्य के औद्योकीकरण का उल्लेख नहीं है।"

340. कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में व्याप्त बिजली संकट को दूर करने के लिए यथाशीघ्र मुजफ्फरपुर, कटिहार और कहलगांव में थर्मल पावर स्टेशनों की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

25. कि "प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हैं समारिन के नेतृत्व वाली कम्पुचिया सरकार को मान्यता दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

32. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों तथा विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को आस्थगित वेतन के रुप में बोनस देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

39. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की अष्टम अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

42. कि प्रस्ताव क अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी इजारेदारों को रियायतें देने से भारतीय अर्थव्यवस्था को पैदा हुए खतरे का कोई उल्लेख नहीं है।"

45. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार के लिये क्रान्तिकारी उपाय करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"

52. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रुपमें शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री बालनन्दन (मुकुन्दपुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

24. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बदली राजनैतिक स्थिति में देश को वास्तविक संघीय स्वरूप को बनाए रखने का कोई उल्लेख नहीं है।"

51. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, आर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल के पारस्परिक उद्योगों को जिन्हें गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, और जिसमें केरल के कई लाख मजदूरों की जीविका को प्रभावित किया है, का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री जी० एम० बनतवाला (पौन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

66. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अफिगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा निर्लज्ज सैनिक हस्तक्षेप की निन्दा नहीं की गई तथा अभिभाषण में अफगानिस्तान से सोवियत संघ को अपनी सेनाएं हटाने के लिए भी नहीं कहा गया है।"

67. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसी ऐसे प्रस्ताव का संकेत नहीं है जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सरकारी और अन्य सेवाओं में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक व शैक्षिक न्याय दिलवा सके।"

68. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन का और अनेक संबंधित राज्यों में अतिरिक्त सरकारी भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता दिए जाने का आश्वासन नहीं दिया गया है।"

141. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में—

(क) अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति के बढ़ते हुए रुख को रोकने तथा मूल्य कम करने के लिए ;

(ख) मिट्टी का तेल—पैट्रोल और डीजल सहित अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने तथा उनकी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करने के लिए; और

(ग) बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए;

तुरन्त कोई ठोस और प्रभावी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"

142. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्प-संख्यक आयोग द्वारा समय-समय पर सरकार को की गई अनेक सिफारिशों की क्रियान्विति का आश्वासन नहीं दिया गया है।"

143. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, ,अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्प-संख्यक आयोग को अपेक्षित संवैधानिक और सांविधिक दर्जा प्रदान करने की लोकप्रिय मांग और आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

144. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में —

(क) आसाम और मेघालय में भाषायी अल्प-संख्यकों को विदेशियों के नाम पर किये जा रहे अत्याचारों से अपेक्षित संरक्षण का ;

(ख) अत्याचारों के शिकार निर्दोष व्यक्तियों को राहत और पूर्ण पुनर्वास का ; और

(ग) कर्तव्य की अवहेलना के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी और सख्त कार्यवाही का ;

आश्वासन नहीं दिया गया है।"

145. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में—

(क) देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों की बढ़ती हुई घटनाओं का ;

(ख) साम्प्रदायिक दंगों को समाप्त करने तथा अल्पसंख्कों के जीवन, सम्मान और सम्पत्ति का पूर्व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्यवाही का ; और

(ग) साम्प्रदायिक दंगों के शिकार निर्दोष व्यक्तियों को राहत तथा उनके पूर्ण पुनर्वास की आवश्यकता का ;

कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

146. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1921 के मोपलाह विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से की गई लोकप्रिय मांग के बारे में किसी आश्वासन का उल्लेख नहीं किया गया है।"

श्री जर्नादन पुजारी (मंगलूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

81. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि गत सरकार ने विशेष न्यायालय अधिनियम राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और उन पर मुकदमा चलाने और बदला लेने के लिए बनाया है तथा उसे समाप्त करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

82. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री संजय गांधी, संसद् सदस्य, श्री आर० के० धवन तथा अन्य लोगों से बदला लेने और उन्हें राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए, उनके विरुद्ध दायर किये गये आपराधिक मामलों को वापस लेने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं हैं।"

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

83. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात् :—,

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय विषमताओं, विशेषकर उड़ीसा, बिहार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के बावजूद पिछड़े रहे, को दूर करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

84. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोक सभा के आम चुनाव में जनता द्वारा हाल ही में दिए गये फैसले को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में संशोधन का कोई उल्लेख नहीं है।"

85. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लाखों बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के साधन जुटाने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

86. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में नयागढ़ और दसपल्ला से होते हूए खुर्दा रोड से कुलबनी तक नयी सड़क बनाने, जिसका बहुत वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया गया था, का कोई उल्लेख नहीं है ।"

87. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में खुर्दा तथा नयागढ़ उपखण्डों के लम्बे समय से सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने के लिए उड़ीसा में मणिभद्र तथा ब्रूतंग सिंचाई परियोजनाएं निकट भविष्य में निर्मित करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

88. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पहले से विद्यमान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से लाखों गरीब लोगों में मिट्टी का तेल, खाने के तेल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राशन-प्रणाली शुरू करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

89. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में परादीप में जहाज निर्माण कारखाना बनाने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

90. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में प्रारम्भिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है ।"

91. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में, जहां हजारों लोग रोजी-रोटी की तलाश में अपने घर-बार छोड़ रहे हैं, भीषण अकाल की स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"

92. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"

93. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में पानी जिला में खण्डपाड़ा क्षेत्र में तरवली गांव के समीप पर्यटन केन्द्र के रूप में सुन्दर गर्म झरने का विकास करने का कोई उल्लेख नहीं है जो अभी तक उपेक्षित रहा है ।"

94. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में भीमकुन्ड परियोजना जो पिछले एक दशक से विचाराधीन है, निर्माण कार्य शुरू किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

95. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में पुरी जिले में पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास के लिए प्रसिद्ध निलमधाव के निवास स्थान कान्तिलो को शामिल किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

96. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मन्दिर में, जहां प्रतिदिन हजारों पर्यटक और तीर्थ-यात्री आते हैं, बिजली की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

97. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के समय का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि इसकी स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।"

98. कि प्रस्ताव में अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि डाक-तार विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को बोनस कब दिया जायेगा ?"

99. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महत्वपूर्ण खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथों में लेने और उन्हें देश भर में सरकारी दुकानों के माध्यम से नियंत्रित मूल्यों पर वितरित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

100. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए टाटा, बिरला, सिंघानिया जैसे इजारेदार घरानों को अपने हाथों मे लेने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

101. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला, मिट्टी के तेल और डीजल के न मिलने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में न मिलने से लोगों के सामने पैदा होने वाली कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं है।"

102. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि भंयकर सूखे से पीड़ित करोड़ों ग्राम-वासियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गये है।"

103. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उसका कोई उल्लेख नहीं है कि खेतीहार मजदूरों, हरिजनों और आदिवासियों की दशा सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं।"

104. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार युवक-युवतियों को काम देने के तरीकों का कोई उल्लेख नहीं है।"

105. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल और केरल की तरह पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।"

106. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयले को संभालने तथा लोको शैडों को साफ करने जैसे वर्ष-भर चलने वाले कार्यों में ठेका व्यवस्था को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री निरेल ऐनम होरो (खुंटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

110. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय संघ में झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे नये राज्यों का निर्माण कर शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लिए किसी

जैसे नये राज्यों का निर्माण कर शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लिए किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

111. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता दिये जाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।"

112. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असमानता को दूर किये जाने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

श्री के० ए० राजन (तिचूर) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

113. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि लाखों बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता देने के लिए किसी कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

114. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश में सभी मजदूरी अर्जित करने वालों को आस्थगित मजदूरी के सिद्धान्त पर बोनस के सम्बन्ध में व्यापक विधान पुरःस्थापित करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

115. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

116. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि बिजली की अत्यधिक कमी को दूर करने के किसी ठोस प्रस्ताव का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

117. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए किसी ठोस प्रस्ताव का अभिभाषण में कोई उल्लख नहीं है।"

118. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि सरकारी क्षेत्र का उपभोक्ता उद्योगों तक विस्तार करने के किसी प्रस्ताव का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

119. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि कृषि कर्मकारों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले किसी व्यापक विधान को पुरःस्थापित करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

120. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि दल-बदल विरोधी विधान लाने के लिए किसी कार्यवाही का अभिभाषण में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।"

121. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश में साम्प्रदायिक तत्त्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए किसी आवश्यक कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"

122. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विधि और व्यवस्था की संकटपूर्ण स्थिति का निवारण करने और लोगों की तत्सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए अभिभाषण में किसी ठोस कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है ।"

123. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि कम्पूचिया को मान्यता प्रदान रकते के लिए किसी घोषणा का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"

श्री रसीद मसूद :

124. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं है कि सरकार पांच वर्ष के अन्दर उन सभी ग्रामीण तथा शहरी लोगों के लिए पेय जल की व्यवस्था करेगी जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ।"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

126. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसा कोई संकेत नहीं किया गया है कि कोई आमूल-चूल संरचनात्मक सुधार अथवा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन किये जायेंगे जिसके बगैर कठोर परिश्रम करने वाले लोगों के जीवन को तबाह कर रही समस्यायें कभी हल नहीं हो सकती हैं ।"

127. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण न केवल प्रेरणाहीन और नीरस है अपितु ऐसा है जिसमें एकाधिकारवादियों और अन्य शोषकों के हित में बदनाम करने वाली नीतियों को जारी रखने की भावना झलकती है ।"

128. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यों को कम करने अथवा बेरोजगारी में वृद्धि को रोकने के लिए भी आर्थिक नीति में कोई परिवर्तन करने का संतोषजनक उल्लेख नहीं किया गया है।"

129. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरी तरह से एकाधिकारवादियों और इसी प्रकार के अन्य शोषकों के खिलाफ कोई कारगर कदम उठाने अथवा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने का उल्लेख नहीं किया गया है।"

130. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट को गंभीरता से नहीं लिया गया है और न ही किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये किसी ठोस उपाय का उल्लेख किया गया है।"

131. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए किसी कारगर कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।"

132. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असमान सामाजिक और आर्थिक दर्जे के कारण करोड़ों भारतीय स्त्रियों की बुरी दशा, दहेज की निरन्तर बढ़ती हुई मांग, प्रायः रोजगार के अवसरों के पूर्ण अभाव, शिक्षा के नितान्त अभाव और निरक्षरता की वर्तमान अत्यधिक कम दर, और उनकी दशा को सुधारने के लिए कारगर कदम उठाने का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशाब्दी अभी तक चल रही है।"

133. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली और मनीपुरी भाषाओं को जोड़ने का आश्वासन नहीं दिया गया है।"

134. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस समय राष्ट्र को जो स्थिरता की जरूरत है उसे जनता के जीवन-स्तर में सुधार किये और उनके लिए बेहतर और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कराये बिना नहीं लाया जा सकता है।"

135. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में बड़े पैमाने पर दल-बदल को करवाने और निर्वाचित राज्य विधान-सभाओं को स्वैच्छा से भंग करने के लिए केन्द्र सत्तारूढ़ पार्टी के प्रयासों को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया गया है।"

136. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आमूल-चूल निर्वाचन-सुधारों, विशेष रूप से वर्तमान निर्वाचन पद्धति के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, की आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।"

137. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में और अन्यथा देश के राजनीतिक जीवन में भी धन की शक्ति की अभूतपूर्व भूमिका के बारे में कोई चिन्ता नहीं प्रकट की गई है।"

138. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों पर चर्चा करते हुए राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने अथवा उनकी आर्थिक शक्तियों में वृद्धि करने अथवा उनके विकासीय और अन्य राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों के लिए उन्हें अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन नहीं दिया गया है।"

139. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कानून और व्यवस्था की स्थिति की चर्चा की गई है लेकिन इसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि नई सरकार के गठन के बाद राजधानी में अपराधों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप सत्तारुढ़ दल के लम्बे-चौड़े चुनाव वायदे झूठे हो गए हैं।"

140. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण अमरीकी साम्राज्यवादियों की शस्त्र होड़ एवं चीनी शासकों के साथ उनके मित्र राष्ट्रों की दूरभिसधि सहित प्रति आक्रामक और आक्रमक कार्यों के परिणामस्वरूप हमारे क्षेत्र की सुरक्षा और वास्तव में विश्व शान्ति के लिए पैदा हुए भंयकर खतरे का सही-सही मूल्यांकन करने में असफल रहा है।"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

349. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अफगानिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य के विरुद्ध साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा संगठित खुले सशस्त्र हमलों सहित हमारे क्षेत्र को इन शक्तियों के खतरे का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और न ही इस बात का उल्लेख है कि वास्तव में भारत को अमरीका के जानबूझ कर किये जाने वाले आक्रमण का खतरा है जिनका समर्थन अन्य सामाज्यवादी शक्तियां तथा चीनी शासक कर रहे हैं अपितु जो अफगानिस्तान में क्रांति विरोधी आन्तरिक शक्तियों और अन्य प्रतिक्रियावादियों को संगठित कर रहा है, का भी कोई उल्लेख नहीं है।"

350. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अमरीकी साम्राज्यवादी पाकिस्तान को शस्त्र सहायता दे रहे हैं और यह राष्ट्रों की स्वाधीनता और सुरक्षा तथा विश्वशान्ति के विरुद्ध विश्वव्यापी षडयंत्र है।"

351. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित नीति का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे भारत की शान्ति और गुट निरपेक्षता की नीति को सही अर्थ और बल मिलता है।"

352. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की सुरक्षा को बढ़ते हुए खतरे का कोई उल्लेख नहीं है जो दिएगो गार्शिया से है और जहां हिन्द महासागर क्षेत्र में अमरीकी सैनिक उपस्थिति तेज की जा रही है और बढ़ रही है और न ही इस बात का कोई उल्लेख है कि राष्ट्र का अमरीका साम्राज्यवादियों के खतरे और उससे लड़ने के लिए राष्ट्र का आह्वान किया जा रहा है।"

353. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के चुनाव अभियान के दौरान सार्वजनिक रूप से दिए गए आश्वासन के बावजूद हेंस समरीन के नेतृत्व वाली नई कम्पूचियन सरकार को शीघ्र मान्यता देने का कोई वचन नहीं दिया गया है।"

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

150. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश के लाखों बेरोजगार लोगों को काम देने, बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा साथ ही कार्य का अधिकार का उल्लेख तक नहीं है।"

151. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे लोगों की प्रति व्यक्ति आय, जो बहुत कम हो गई है, को बढ़ाने के लिए कारगर उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"

152. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक विषमता, जो लगातार बढ़ रही है, और जिसके कारण बहुत गरीबी फैली है और लोग निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं, को समाप्त करने के लिए ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"

153. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खद है कि अभिभाषण में मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने लिए कुटीर तथा छोटे उद्योगों को भारी पैमाने पर स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

154. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ औद्योगिक घरानों में सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति के केन्द्रित होते जाने पर रोक लगाने, मुनाफाखोरी को रोकने और उपयोक्ताओं की रक्षा करने, निगमित तथा व्यक्तिगत कराधान की कमियों को दूर करने , और बड़े व्यपार समूहों को लाइसेंस दिए जाने को रोकने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की कानूनी शक्तियों का उपयोग किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

155. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय निगमों के जारेदारी वर्चस्व को समाप्त करने के लिए कारगर उपाय करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

156. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभा षण में गावों और शहरों की गरीबी को समाप्त करने के लिए कारगर उपायों और उन्हें जीवन-यापन की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर दने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

157. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंख्य गन्दी बस्तियों, विशेषकर महानगरों में बनी गन्दी बस्तियों को हटाने और गरीब लोगों को सफाई, प्रकाश, साफ पीने योग्य पानी और सभ्य जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधायें दिए जाने के किसी भी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है ।"

158. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्दु खेद है कि अभिभाषण में पोषक भोजन से भी वंचित लाखों बच्चों, की दशा सुधारने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

159. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नगरों और गांवों के बीच बढ़ती हुई खाई को पाटने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

160. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हमारे लाखों बहनों और भाइयों को जो असहनीय गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं और बुनियादी मानवीय जरूरतों से वंचित है, की समाजिक आर्थिक दशा सुधारने के लिए तुरन्त कारगर उपायों का कोई उल्लेख नहीं हैं ।"

161. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक संगठनों, जो हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए गम्भीर खतरा है, पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है ।"

162. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ब्रिटिश व्यवस्था से पूरी तरह आयात की गयी मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में किसी क्रांतिकारी परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं है ।"

163. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नौकरियों में पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों को आरक्षण देकर देश के नौकरशाही ढांचे में क्रांतिकारी सुधार करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

216. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में गंदी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों की दुर्दशा, विशेषकर उन व्यक्तियों की शोचनीय हालत जिनकी गंदी बस्ती केन्द्रीय सरकार की जमीन पर स्थित है, विशेषतया बम्बई शहर में, का कोई उल्लेख नहीं है ।"

217. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश के ईसाई समुदायों को शासक दल द्वारा चुनाव के दौरान किए गये इस वायदे को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है कि अपने धर्म को प्रचार करने के मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया जाएगा ।"

218. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कानून और व्यवस्था बिगड़ने के वास्तविक कारणों और अपराधों, जो कांग्रेस (आई) की सरकार के पदभार ग्रहण करने के बाद काफी बढ़ गए हैं, को रोकने के लिए किसी प्रभावी उपाय किए जाने की असमर्थता का कोई उल्लेख नहीं है ।"

219. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत किये जाने तथा नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के स्वैच्छिक प्रोटोकोल के पालन किए जाने और उस पर प्रसंविदा के अनुच्छेद 41 के अधीन एक घोषणा किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।"

220. कि प्रस्ताव में अन्त में यह जोडा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बार तथा देशवासियों को इस आशय का स्पष्ट आश्वासन का उल्लेख नहीं है कि देश में वरिष्ठ न्यायपालिका की नियुक्तियों के मामले में सरकार की नीति में कुमारमंगलम सिद्धान्त वाली प्रतिबद्ध न्यायपालिका की झलक अब नहीं मिलेगी ।"

347. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण का और वहां के लोगों की इच्छा के विरुद्ध अफगान क्षेत्र में रूसी सेना की बड़े पैमाने पर उपस्थिति का उल्लेख नहीं है ।"

348. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संसद् के विशेष अधिकारों को नियमबद्ध करने, जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों पर निरन्तर प्रहार करते हैं, का उल्लेख नहीं है ।"

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

256. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए ठोस कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है ।"

257. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय एकता के किए जाने वाले प्रयत्नों का ठोस सुझाव नहीं है ।"

258. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम की स्थिति का सामना करने सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है ।"

259. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों एवं कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा का कालबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है ।"

260. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजधानी में एवं देश के अन्य भागों में बढ़ते अपराध कर्मों के रोकथाम की कोई योजना नहीं हैं ।"

261. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रास्फीति के रोकथाम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम की चर्चा नहीं है ।"

262. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजकीय क्षेत्र के विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।"

263. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सम्बन्धों के नये आयाम के दखने तथा राज्य सरकारों को अधिक वित्तीय अधिकार देने सम्बन्धी चर्चा नहीं है।"

264. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम के लिए भोजन योजना को लागू रखने या निरसन करने सम्बन्धी कोई चर्चा नहीं है।"

265. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए सस्ते खाद, बीज तथा ऋण की व्यवस्था की ठोस कार्यक्रम की चर्चा नहीं है।"

266. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण एवं शहरी गरीब जनता को महाजनी कर्ज से मुक्ति की कोई चर्चा नहीं है।"

267. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गन्ना, कपास, तम्बाकू एवं जूट उत्पादक किसानों की दुरावस्था को सुधारने की कोई चर्चा नहीं है।"

268. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के सस्ते दर पर ट्रैक्टर, उर्वरक कीटनाशक दवाइयां एवं अन्य कृषि लागत के सामानों को उपलब्ध कराने की कोई चर्चा नहीं हैं।"

269. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि के भंडार चम्पारन जिला में एक कृषि कालेज खोलनें सम्बन्धी कोई चर्चा नहीं है।"

270. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पिछड़े राज्यों में नए उद्योगों के खोलनें एवं पूंजी लगाकर भी बन्द उद्योगों को चालू करने की कोई चर्चा नहीं है।"

271. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को लागू करने के दृढ निश्चय का अभाव है।"

272. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बटाई कानून में संशोधन तथा लागू करने का अभाव है।"

273. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेत मजदूरों की विशिष्ट समस्याओं के हल की कोई चर्चा नहीं है।"

274. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर बिहार के भयंकर बिजली संकट तथा उसके हल के सम्बध में कोई चर्चा नहीं है।"

275. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से बाहर गए वैज्ञानिकों को भारत में बुलाने तथा उन्हें प्रेरणा देकर उनके ज्ञान के इस्तेमाल की कोई चर्चा नहीं है।"

276. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कम्पूचिया की नई सरकार को मान्यता देने की कोई चर्चा नहीं है।"

277. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, आर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासगर में अमेरिकी बेड़े की उपस्थिति की चर्चा एवं उसकी निन्दा का अभाव है।"

278. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जल निकास योजनाओं को तेजी से चालू करने की चर्चा का अभाव है।"

279 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की चर्चा का अभाव है।"

280. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण को पक्का बनाने का अभाव है।"

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

286. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में टेलीफोन का जाल पूरे देश में फैलाने और इस उद्देश्य से देश के सभी जिला मुख्यालयों को आटोमेटिक टेलीफोन व्यवस्था से जोड़ने की चर्चा नहीं की गई है।"

287. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कई राज्यों में व्याप्त बिजली संकट को सामने रखते हुए बिहार राज्य के अन्तर्गत नालन्दा जिला में परमल पावर स्टेशन स्थापित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।"

288. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश के किसानों की दयनीय अवस्था को देखते हुए सिंचाई की विस्तृत योजनाओं की चर्चा नहीं की गई है जिसमें प्रत्येक पंचायत में कम से कम तीन राजकीय नलकूपों की व्यवस्था हो।"

289. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अन्तर्गत प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का ठोस कार्यक्रम का वर्णन नहीं किया गया है।"

290. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राचीन ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान राजग्रह और नालन्दा के अपेक्षित विकास के लिए ठोस एवं विस्तृत कार्यक्रम की चर्चा नहीं की गई है।"

291. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद की बात है कि देश में न तो रेल मार्ग के व्यापक विस्तार करने की चर्चा की गई है और न बिहार राज्य में स्थित बख्त्यारपुर राजगीर तक की रेल लाइन को गया तक बढ़ाने का उल्लेख किया गया है।"

292. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि के विकास के लिए तथा किसानों को आधुनिक कृषि ज्ञान से पूरी तरह लैस करने के लिए देश के तमाम जिला मुख्यालयों में मिट्टी जांच करने तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की कोई चर्चा नहीं की गई है।"

केरल राज्य के बारे में की गई उद्घोषणा को समाप्त करना

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केरल राज्य के सम्बन्ध में 5 दिसम्बर, 1979 को जारी की गई और संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 25 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 17(ङ) में प्रकाशित उद्घोषणा को समाप्त करने वाली दिनांक 25 जनवरी, 1980 की उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण), जो संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई थी, को सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

अध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। श्रीमती कृष्णा साही के संकल्प पर विचार करने से पूर्व हमें उस संकल्प के लिये समय नियत करना है। क्या इसके लिये दो घंटे नियत कर दिये जायें ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां। दूसरा संकल्प अधिक महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय बचता है तो हम उस पर भी विचार करेंगे।

बेगुसराय (बिहार) में पैट्रो-रसायन कारखाने की स्थापना के बारे में संकल्प

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"यह सभा भारत सरकार से अभिप्रस्ताव करती है कि वह बेगुसराय (बिहार) में एक पेट्रो-केमिकल कारखाने की अविलम्ब स्थापना करे।"

अध्यक्ष महोदय सम्भवतः सभी जानते है कि बेगुसराय में पेट्रो-केमिकल कारखाने की स्थापना के लिए बिहार के जनप्रतिनिधियों, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा वर्षों पहले से समय-समय अभ्यावेदन और ज्ञापन दिये जा चुके हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की और उसके बाद कुछ देर तक गाड़ी आगे बढ़ी। उस समय की सरकार ने इसमें दिलचस्पी ली। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, तो उसके बाद यह मामला ठप्प पड़ गया। वस्तु-स्थिति यह है कि उस समय रचनात्मक कार्य कुछ भी नहीं हुए। यद्यपि उद्योग-धंधों की स्थापना के बारे में बहुत लंबी-चौड़ी बातें कही गई थीं, लेकिन सारे उद्योग-धंधे ठप्प पड़ गये।

जिस स्थान पर पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की चर्चा आज की जा रही है, वहां पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री का सारा इनफ्रा-स्ट्रक्चर मौजूद है। जैसे, वहां पर कम्युनिकेशन्ज, रोड और ब्राड तथा मोटरगेज रेलवे लाइन है। उत्तर भारत की नैशनल हाईवे भी वहीं से पास करती है। बेगुसराय के इलाके में पेट्रो-कैमिकल कारखाने की नितान्त जरूरत है। बेगुसराय देश का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर आयल रिफ़ाइनरी और फ़र्टिलाइजर का कारखाना है और वहीं पर बिहार सरकार का एक थर्मल पावर स्टेशन भी है, जहां से उत्तर बिहार में बिजली की आपूर्ति होती है। गंगा नदी के तट पर बसी इस औद्योगिक नगरी में पेट्रो-कैमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की नितांत आवश्यकता है। सारा नैफ़्था वहां से बाहर चला जाता है। पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री के लिए जितने भी रा मैटरियल की जरूरत है वह सब वहां उपलब्ध है। आप जानते हैं कि वहीं पर बगल में बरौनी है जो नेक्स्ट डोर है, वहा से कच्चे माल की आपूर्ति की जा सकती है, जैसे कि नैफ़्था वहां से मिल सकता है जिस की कि इस उद्योग के लिए बहुत ही जरूरत पड़ती है।

आप सभी जानते हैं उत्तर बिहार आज देश का सब से घनी आबादी का इलाका है और इस की आबादी हरियाणा प्रान्त की दुगुनी है।

(श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए)

यह मुख्यत: कृषि प्रधान इलाका है । उस में मात्र एक ही इंडस्ट्री अभी तक मिली है जो कि आप सभी जानते हैं आयल रिफ़ाइनरी बरौनी की है और फ़र्टिलाइजर की इंडस्ट्री है। ऐसी स्थिति में यदि वहां पर पैट्रो-केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की जाती है तो वह एक सेल्फ़-सफ़िश्येंट इंडस्ट्री हो जाती है और वहां एक दूसरे की पूरक हो जाती हैं। उस से हमारे बिहार प्रान्त के विकास में काफ़ी मदद पहुंचेगी।

उस क्षेत्र में पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री के लिए सभी इन्फ्रा स्ट्रक्चर मौजूद हैं। कच्चा माल, यातायात और आवागमन के साधन सभी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में यह इंडस्ट्री वहां स्थापित करना काफ़ी एकोनामिकल भी होगा और उत्तर भारत का उस से बहुत एकोनामिक विकास होगा। आर्थिक प्रगति भी हमारी होगी और बहुत अंशों में इस से रीजनल इम्बैलेंस की भी पूर्ति होगी ।

आप जानते हैं कि सांख्यिक सर्वेक्षण के अनुसार तो हमारा सारा बिहार प्रान्त ही दरिद्रग्रस्त है और उस में भी यह बेगूसराय सब से पिछड़ा इलाका है । मात्र कृषि पर वह आधारित है और यहां की अधिकांश जनता उसी पर निर्भर करती है जिस के सहारे उस की रोजी रोटी चलती ह । मैं यह बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि यदि वहां पर बेगूसराय में पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना हो जाती है तो वहां के लाखों लाख लोगों के लिए यह एक वरदान सिद्ध होगा ।

इसलिए इस प्रस्ताव के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं और पुरजोर मांग करना चाहती हूं कि बेगूसराय में पेट्रो-केमिकल कारखाने की स्थापना की जाय। आप सभी जानते हैं कि बेग सराय में जो आयल रिफ़ाइनरी है और फ़र्टिलाइजर का कारखाना है वह कांग्रेस सरकार की देन है, हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की एक देन है और दूसरी वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह सरकार इस दिशा में कारगर कदम उठाएगी ताकि बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

> "यह सभा भारत सरकार से अभिप्रस्ताव करती है कि वह बेगुसराय (बिहार) में एक पेट्रो-केमिकल कारखाने की अविलम्ब स्थापना करें ।"

श्री केदार पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, मै इस संकल्प का समर्थन करता हूं। बरौनी में एक औद्योगिक कम्पलेक्स मौजूद है । वहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हैं । वहां पर तापीय बिजली स्टेशन, फर्टिलाइजर प्लांट तथा बरौनी तेल शोधशाला भी विद्यमान हैं । पेट्रोकेमिकल्स उद्योगों के लिये वहां पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं । महोदय, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस विशेष स्थान को विकसित किया गया था, और इसी के फलस्वरूप यह औद्योगिक कम्पलैक्स मौजूद है । मैं बिहार राज्य की सरकार में बहुत से वर्षों तक रहा । मुझे इन उद्योगों के विकास के इतिहास की जानकारी है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बरौनी में औद्योगिक कम्पलेक्स को प्रारम्भ किया था । हमारा विचार था कि हम एक पेट्रो-केमिकल उद्योग को स्थापित करने में समर्थ

रहेंगे । जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी तभी उसके द्वारा इस योजना को प्रारम्भ किया गया था । हमने इसको केन्द्र सरकार के पास भेजा था । उस समय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी । आज की यही स्थिति है ।

हम सभी जानते हैं बिहार राज्य एक बहुत बड़ा राज्य है । उत्तर प्रदेश के पश्चात् इसी का नम्बर आता है । यहां 6 करोड़ लोगों की जनसख्या रहती है । इसके अतिरिक्त जहां तक खनिज संसाधनों का सम्बन्ध है, यह एक बहुत ही समृद्ध राज्य है । इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है । बिहार में कुल राष्ट्रीय खनिज सम्पत्ति की 40 प्रतिशत खनिज सम्पदा मौजूद है । वहां पर कोयला, लोहा, मौजूद है तथा जल संसाधन भी पर्याप्त रूप में मौजूद हैं । इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों को दृष्टि से यह समृद्धशाली राज्य है, लेकिन विडम्बना यह है कि इस राज्य के लोग बहुत ही गरीब हैं । यदि समग्र रूप से देश को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 55 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है । अकेले बिहार राज्य में 76 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करती है । वहां पर सबसे अधिक गरीबी है । जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं लोग बहुत गरीब हैं तथापि राज्य मूल रूप से सभी संसाधनों से सम्पन्न है । बिहार राज्य में यही विडम्बना है ।

अत: यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इस स्थिति की ओर गंभीरता से विचार करे । हम यह जानते हैं कि हमारा देश एक गरीब देश है, लेकिन यह क्षेत्रीय असंतुलन तो समाप्त होना ही चाहिये । बिहार राज्य की तुलना में पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र राज्य समृद्ध हैं । सभी राज्य भारत की समृद्धि के आधार हैं । यदि बिहार राज्य गरीब रहता है और उसका विकास नहीं हो पाता है तब एक समृद्धशाली भारत की कल्पना कैसे की जा सकती है । यदि समग्र रूप से अपने राष्ट्र को भी ध्यान में रखकर विचार किया जाये तो भी राष्ट्रीय मांग है कि इस पेट्रो-केमिकल इण्डस्ट्री को बेगुसराय में स्थापित किया जाए जोकि बरौनी के बहुत ही करीब है । हमें इसकी ओर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

पेट्रो-केमिकल इण्डस्ट्री के लिये नेप्था कच्चा माल होता है जोकि बरौनी तेल शोधशाला में पर्याप्त रूप से उत्पन्न किया जाता है । यह बहुत ही वांछनीय है कि इस कच्चे माल को वही पर नजदीक ही पेट्रो-केमिकल इण्डस्ट्री के उपयोग में लाया जाये । हमारे पास तापीय विद्युत स्टेशन, ऊर्जा आदि सभी वस्तुएं मौजूद हैं । आवश्यकता केवल इस बात की है कि बेगुसराय में एक पेट्रो-केमिकल इण्डस्ट्री को स्थापित किया जाए जो कि बरौनी से 10–15 मील दूर है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ) : आपकी बात बहुत ही उपयुक्त है । ऐसा होना ही चाहिए ।

श्री केदार पाण्डे : जो कच्चा माल बरौनी में उत्पादित किया जाता है उसे पेट्रो-केमिकल उद्योगों में उपयोग करने के लिये भारत के दूसरे स्थानों पर भेज दिया जाता है । क्या यह अन्याय करना तथा अनुचित नहीं है । आखिरकार बिहार भी भारत का एक राज्य है । नेप्था को बरौनी से दूसरे स्थानों पर भेजने में कितनी लागत आती है ?

आप नेप्था को गुजरात, मथुरा तथा अन्य स्थानों पर जहां पेट्रो-केमिकल उद्योग हैं, भेजते हैं। क्या आप लाने-ले-जाने की लागत का अनुमान नहीं लगाते हैं? यदि बेगुसराय में एक पेट्रो-केमिकल उद्योग स्थापित किया जाये तो इस पर कम व्यय होगा।

इसके अलावा, इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या की क्या स्थिति है? यदि इस प्रकार के उद्योग को बेगुसराय में स्थापित किया जाता है तो बिहार राज्य के बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इससे किसी सीमा तक क्षेत्रीय असंतुलन को दुर करने में भी सहायता मिलेगी। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बेगुसराय में पेट्रो-केमिकल उद्योग को स्थापित करने की संभावना पर विचार करना चाहिए केन्द्रीय सरकार को उन पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। अब तक इसकी उपेक्षा होती रही है। लेकिन अब श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की प्रधान मंत्री हैं। यह हमारी सरकार है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि यह हमारी सरकार हैं। हमें यह कहते हुए गर्व है कि यह कांग्रेस की सरकार है। अतः इस सदन में भी हमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। इस मांग का सारे सदन द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। ताकि मुझे आपसे भी कुछ समर्थन प्राप्त हो सके।

हमारे मंत्री, श्री ठाकुर साहब सदन में उपस्थित हैं। हमें इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए।

जहां तक बिहार सरकार का सम्बन्ध है वास्तव में वहां पर कोई भी सरकार नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वहां पर जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन वहां की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। राजनीति का इससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। सरकार को इस संकल्प पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का पूरे दिल से समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (बांका) : बेगुसराय का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये संकल्प का मैं समर्थन करता हूं बरौनी में पेट्रो-केमिकल कम्पलेक्स को स्थापित करने में उपेक्षा बरतने तथा उदासीनता दिखाने की लम्बी कहानी है। बरौनी तेल शोधशाला सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ी शोधशाला है। इस परियोजना को स्थापित करने के लिये हमने एक हजार से भी अधिक एकड़ बहुत ही उपजाऊ भूमि को दिया तथा सैंकड़ों परिवारों को उजाड़ा गया। इसके लिये यह आशा की गई थी कि शोधशाला के आस-पास एक पेट्रो-केमिकल्स कम्पलेक्स को विकसित किया जायेगा। जिससे राज्य के हजारों युवकों को रोजगार मिलेगा। हमें कहते हुए खेद है कि इस परियोजना को पीछे की ओर धकेल दिया गया। देश के अन्य भागों में पेट्रो-केमिकल कम्पलेक्स को स्थापित करने की अनुमति दी गई है जिससे बरौनी तेल शोधशाला की पूर्णतया अनदेखी की गई है।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया है मैं उसका संक्षिप्त ब्योरा देना चाहता हूं। भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ने चतुर्थ योजना के दौरान पेट्रो-केमिकल्स की आयोजना तथा निर्माण के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया था, जिसने 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया--(1) आधारभूत आरगेनिक केमिकल्स तथा

मध्यवर्ती आरगेनिक केमिकल्स के लिये पूर्ति भंडार उपलब्ध कराने के लिये नेप्था क्रेकर एकक की स्थापना, (2) पोलीमर्स तथा प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स टिर्जेंट्स इनसेक्टीसाइडस तथा पेस्टीसाइडस, सिंथेटिक रबर्स, कार्बन ब्लेक इत्यादि का उत्पादन करने के लिये हाईड्रो-कार्बनस तथा गैसों की उपयोगिता तथा (3) नेप्था तथा सम्बन्धित गैसों से नाइट्रोजेनियस उर्वरकों का उत्पादन ।

तत्पश्चात् बरौनी तेल-शोधक कारखाने के आस-पास पेट्रो-रसायन और सम्बद्ध उद्योगों का विकास करने के लिए भारत सरकार ने एक पेट्रो-रसायन परियोजना दल का गठन किया था, जिसने अप्रैल, 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और एक सुरभि-संयंत्र और ऐसे ही अन्य एककों की स्थापना का सुझाव दिया था। इस प्रतिवेदन के आधार पर चतुर्थ योजना की अवधि में एक सुरभि-संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने चौथी योजना में इस परियोजना के लिए सांकेतिक धनराशि का आवंटन किया था। भारत सरकार के सुझाव पर, राज्य सरकार ने भारत सरकार के प्रतिष्ठान मैसर्स इंजिनियर्स इण्डिया लिमिटेड की सेवाएं ली जिसने बरौनी में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह और तत्सम्बन्धी निचले उद्योगों की स्थापना के लिए 1972 में एक विस्तृत सम्भावना रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी अवस्था में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। एक समय यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि बरौनी तेल-शोधक में शोधन के लिए आवश्यक कच्चे तेल का कुछ भाग आयात से पूरा किया जायेगा जिसके लिए स्रोत निश्चित नहीं थे तो बरौनी के आस-पास विकसित किये जाने वाले पेट्रो-रसायन उद्योग समूह पर निर्णय नहीं लिया जा सका। अब मथुरा तेल-शोधक के तैयार हो जाने पर कानपुर और गोरखपुर के लिए नेप्था की पूर्ति इस स्रोत से हो सकेगी। अब चूंकि असम से भी 33 लाख मीटरी टन कच्चे तेल की प्रतिवर्ष पूर्णमाला में पूर्ति की जा रही है तो कच्चे माल की सामग्री के आधार का निश्चयात्मक रूप से निर्णय लिया जाना चाहिये और स्थिति इस सम्बन्ध में निर्णायक कार्यवाही की मांग करती है।

बरौनी में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह कम्पलेक्स की स्थापना हो जाने पर बिहार में पूर्ण औद्योगिक क्रान्ति हो जायेगी। नेप्था को फाड़कर शुद्ध करने वाले एकक, लोगों की कपड़ों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संश्लेषित धागे के लिए आधार का काम करेंगे। बहुत सी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए यह प्लास्टिक और रबड़ के लिए कच्चा-माल जुटायेगा। इससे लघु-उद्योगों का जाल विछाने का मार्ग प्रशस्त होगा और कृषि के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि गत 15 वर्षों से राज्य के सभी मुख्य मन्त्री और उद्योग मन्त्री भारत सरकार को लिखते रहे हैं, उनसे मिलते रहे हैं, उनसे दृढ़ निवेदन करते रहे हैं और उनसे अनेक बार विचार विमर्श भी करते रहे हैं, परन्तु इस सब करने धरने से हमें मिला कुछ भी नहीं। मैंने भी, उद्योग-मन्त्री होने के नाते, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये और भारत सरकार को इसे स्वीकृत करने के लिए मनाने के प्रयास भी किये, परन्तु अब तक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका परिणाम कोई उत्साहवर्धक नहीं रहा है। उत्तरों में प्रायः सहानुभूति दिखाई जाती है परन्तु कार्यरूप का उनमें पूर्णतया अभाव होता है। इस अवधि के दौरान अनेक पेट्रो-रसायन और

तत्सम्बन्धी निचले उद्योगों की स्थापना देश में की जा चुकी है—यहां मुझे इस बारे में विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु वे देश के कुछ सीमित क्षेत्रों/भागों में स्थापित किये गये हैं और बरौनी के हक की, दावे की व्यवस्थित रूप से उपेक्षा की गई है।

मैं इसे जानबूझकर की गई उपेक्षा का मामला नहीं कहना चाहता हूं। और न ही चर्चा के दौरान मैं किसी प्रकार की कटु भाषा का प्रयोग करता हूं तथा मैं इस सदन के सभी लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता हूं जिससे कि बरौनी तेलशोधक की लम्बे समय से चली आ रही मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके और वर्तमान सरकार उसे पूरा कर सके। मुझे पूरी आशा है कि हमारी प्रतिष्ठित प्रधान मन्त्री जो कि हमारे राज्य के विकास कार्यक्रम में गहरी रुचि लेती रही हैं, निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगी और हमारे बहुत ही योग्य पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री श्री सेठीजी इस पर अनन्य सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह यथाशीघ्र बरौनी में पेट्रो-रसायन और सम्बद्ध उद्योग स्थापित करने के लिये किसी निश्चित समयावधि की घोषणा करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और सिफारिश करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करे।

श्री जार्ज फर्नांडिस (मुजफ्फरपुर) : उत्तर बिहार में पेट्रो कैमिकल कम्पलैक्स के निर्माण के बारे में पेश इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं यह नहीं मानता कि अकेले इस कारखाने से बिहार अथवा उत्तर बिहार की सभी समस्यायें, विशेषकर बेकारी की समस्या का कोई बुनियादी हल निकल सकता है। लेकिन इस प्रकार के कारखाने की आवश्यकता है और एक अर्से से इसकी चर्चा भी रही है लेकिन यह बात अमल में नहीं आई। अगर इस दिशा में कोई ठोस अगला कदम निकट भविष्य में सरकार उठाए तो उत्तर बिहार को कुछ राहत इससे मिल सकती है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

सवाल बुनियादी हो जाता है। इस कम्पलैक्स के निर्माण के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। उसकी क्या स्थिति है। आज बिहार में कुल बिजली निर्माण की क्षमता मेरे ख्याल से लगभग साढ़े सात सौ मैगावाट है और उस में से जो बिजली मिलती है वह ढाई सौ, पौने तीन सौ और बहुत खींचे तो 280–290 मैगावाट समुच्चय बिहार को जिस में जमशेदपुर भी आ गया है, बोकारो भी आ गया, इस्पात के कारखाने भी आ गए, आसपास के बड़े उद्योग भी आ गए, मिलती है। गंगा पार करके आप उत्तर बिहार में जाएंगे तो बरौनी के थर्मल पावर स्टेशन की चर्चा आप करेंगे और वहां जो आज रिफाइनरी है उसकी भी चर्चा आप करेंगे। कुल मिलाकर आज उत्तर बिहार में अस्सी मैगावाट से ले कर सौ मैगावाट के बीच में बिजली मिलती है जिस में से अधिकांश बिजली तेल रिफाइनरी और उसके साथ जुड़े हुए खाद कारखानों और उनके साथ जुड़े हुए दुसरे कारखानों को चली जाती है और उत्तर बिहार की आबादी जो तीन करोड़ है, अगर बरौनी के रिफाइनरी कम्प्लैक्स और फर्टिलाइजर कम्पलैक्स को हटा दे तो मुश्किल से बीस मैगावाट ही बिजली इस तीन करोड़ जनता को मिलती है। मेरे मित्र चन्द्र शेखर जी ने बिहार के विकास के बारे में जो पिछले तीस बत्तीस साल में हुआ है। बहुत सुन्दर ढंग से चर्चा की है। उसका इतना सुन्दर विकास इस अर्से में हुआ है कि तीन करोड़ के उत्तर

बिहार में मुश्किल से बीस मैगावाट बिजली आज 1980 में जनवरी के महीने में प्राप्त होती है। सवाल बुनियादी है। इस प्रस्ताव का तो मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और सभी माननीय सदस्यों को करना भी चाहिये। लेकिन मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय कुछ निश्चित निर्णय भी लें इस पर। इस प्रस्ताव के साथ बिजली वाले मामले की बुनियादी में गए बगैर आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। उसको भी उनको ख्याल में रखना चाहिये। कल को अगर सरकार यह निर्णय लेती है कि बेगुसराय में या बरौनी में या कहीं भी यह कारखाना स्थापित करना है तो आप लोग बिजली के बारे में क्या करोगे ? तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बुनियादी सवाल को ही छेड़ता हूं कि समूचे उत्तर बिहार के विकास के लिये सरकार कुछ विचार करे। अति उपेक्षित यह इलाका है हिन्दुस्तान का। जैसे कि आबादी के लिहाज़ से सब से ज्यादा आबादी उस इलाके में फी स्कायर माइल देखने में आती है, उसी तरह से हिन्दुस्तान में उत्तर बिहार से अधिक उपेक्षित इलाका और कोई नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। अगर गंगा पर पुल रहता तो पटना से मुजफ्फरपुर जाने के लिये घण्टा, सवा घण्टा का समय लगता। लेकिन आज मुजफ्फरपुर जाने के लिये मोकामोह हो कर जाना पड़ता है क्योंकि पुल वहां है। पहले दक्षिण चलिये, फिर उत्तर और फिर पश्चिम चलिये। 20, 25 वर्ष में अरबों रु० का नुकसान हुआ पुल न होने के कारण, क्योंकि कोई भी चीज़ को उत्तर बिहार को मुकामेह हो कर जायेगी चाहे ट्रक हो, बस हो मोटरगाड़ी हो या कोई भी यातायात का साधन हो। जो दाम उत्तर बिहार में चीज़ के देने पड़ते हैं ज्यादा वह अपनी जगह पर और राष्ट्र का जो नुकसान हो रहा है वह भी अपनी जगह पर। और यह जो कमियां हैं इसका वर्णन कहां तक किया जा सकता है ? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां मीनापुर एक इलाका है उसके विधान सभा क्षेत्र में तुर्की नाम का एक छोटा सा इलाका है जहां एक छोटी सी नदी है जिसकी चौड़ाई 30, 40 गज है। 1944 में उस नदी का पुल टूट गया लेकिन 36 वर्ष में उस पुल को नहीं बनाया गया। उस पुल को बनाने के लिये आज के दामों के चलते 5 4 लाख रु० चाहिये। लेकिन उसको बनाने की योजना नही बन सकी और अगर वही पुल 10, 15 वर्ष पहले बन गया होता तो मुश्किल से लाख, डेढ़ लाख में बन गया होता। मैं यह जिक्र इसलिये कर रहा हूं क्योंकि यह सारी चर्चा प्रदेश की उपेक्षा के बारे में है। और जिन्होंने प्रस्ताव रखा है वह भी बिहार की उपेक्षा की चर्चा कर रहे हैं और उस दृष्टिकोण से जो अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहे हैं मैं उसका जिक्र यहां कर रहा हूं। यहां पर हम किसी की बात को काटने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक समूचे प्रदेश की उपेक्षा का वर्णन कर रहे हैं इसलिये कि हमारे लिये यह जो प्रस्ताव है काफी अहमियत रखता है। हम यह मान कर चलते हैं कि इसकी आवश्यकता है, और इसकी आवश्यकता न सिर्फ बरौनी में एक कारखाना बनाने की दृष्टि से है बल्कि समूचे उत्तर बिहार की उपेक्षा को मिटाने और उस परिस्थिति को समाप्त कर के एक अर्से से जो उपेक्षा रही है उसको समाप्त करने का जो हमारा इरादा होना चाहिये उसी भावना से मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस पर तुरन्त अविलम्ब निर्णय करे।

एक सवाल किया, जैसे बिजली का मैंने छेड़ा कांची थर्मल पावर स्टेशन है जिसकी स्वीकृति है, लेकिन उसके लिये पैसा नहीं मिल रहा है, न प्लानिग कमीशन से और न बिहार सरकार में बैठे हुए लोग यह समझते हैं कि इसको प्रधानता देनी चाहिये। लोगों को प्रधानता

के बारे में जो सोच होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। किस मसले को किस समय कितनी प्रधानता देनी चाहिए, वह भावना हमें नज़र नहीं आती है। कांटी में थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति मिले ढाई बरस हो गये हैं। उसी समय देश के अन्य इलाकों में भी पावर स्टेशनों की स्वीकृति दी गई थी, वे थर्मल पावर स्टेशन हों या अन्य पावर स्टेशन। वहां काम इतना आगे बढ़ गया है कि एक डेढ़ बरस में बिजली मिलने लग जायेगी। पन्द्रह रोज़ पहले मैं कांटी में था। वहां दीवार खड़ी करने के लिए इटें लगाने का काम शुरू हुआ है—पावर हाउस की दीवार नहीं, बल्कि उसके लिए ली गई ज़मीन के लिए बाउंडरी की दीवार का काम शुरू हुआ है।

उस पावर स्टेशन का काम जिस रफ्तार से होना चाहिए, अगर उस रफतार से किया गया होता, तो अगले साल, या इस साल के अन्त तक वहां से 110 या 220 मेगावाट बिजली मिलने लग जाती ।

हमने सरकार के भीतर रह कर भी अनुभव किया, उससे पहले भी अनुभव किया और आज भी अनुभव कर रहे हैं कि जब भी इस प्रकार की चर्चा होती है, तो प्रश्न किया जाता है कि पैसा कहां से लाया जाये, क्योंकि विकास पैसे से जुड़ा हुआ है । मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र, पेट्रोलियम मिनिस्टर, मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे .... (व्यवधान) क्या माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है ? वह बार-बार चिल्ला रहे हैं । हम किसी भी सवाल का जवाब देने की काबलियत रखते हैं । हम बहुत सालों से इस सदन को देख रहे हैं । वह इतने परेशान न हों । (व्यवधान) माननीय सदस्य रीयलाइजेशन की बात कर रहे हैं । उन्हें तो रीयलाइजेशन सात दिन पहले हुआ है, मगर हमें बहुत पहले हो गया था ।

मैं मंत्री महोदय के माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं । दिल्ली में होने वाली एशियन गेम्ज़ पर 40 करोड़ रुपया खर्च होना है । अगर वह 40 करोड़ रुपया और उसमें लगने वाली सीमेंट और इस्पात आदि सारी सामग्री उत्तर बिहार के इस थर्मल पावर स्टेशन और पेट्रो-केमिकल कम्पलेक्स पर लगाने का फैसला हो जाता है, तो फिर पैसे का सवाल उठाने की जरूरत नहीं होगी । यह प्रधानता का झगड़ा है कि क्या 40 करोड़ रुपये और उस रुपये से खरीदी जाने वाली सीमेंट, इस्पात और अन्य सारी सामग्री का इस्तेमाल दिल्ली में एशियाई खेल-कूद के लिए खर्च किया जायेगा या उत्तर बिहार में लगाया जायेगा, जहां की 80 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, जहां की बेकारी हिन्दुस्तान में और किसी भी प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी—उससे अधिक है । यह एक बुनियादी सवाल है । (व्यवधान) हमें इन बातों का ख्याल है, इसी लिए हमारी सरकार ने फैसला किया था कि एशियाई खेल-कूद दिल्ली में नही होंगे और यह पैसा गांवों के विकास पर खर्च किया जायेगा । हमारी सरकार ने यह फैसला किया था और उस फैसले को बदलने का काम आपने शुरू किया है ।

मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि एक तो वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करलें और इसके साथ ही वह बिजली घर वाले मामले को भी जोड़ दें । जैसा कि मेरे मित्र, श्री पांडे, ने कहा है, इसके लिए टाइम तय कर लिया जाये । यह नहीं कहना चाहिए कि यह भी होगा, वह भी होगा सब कुछ होगा । वह तो हम ने तीस वर्षों में बहुत देख

लिया है । आपने हमारे तीस महीने देखे हैं, हमने आपके तीस साल देखे हैं । क्यों परेशान होते हैं ? जनता ने हम को भी देखा है और आप को भी देखा है । उस की चर्चा बहुत कर सकते हैं, बहुत समय है । इतना घबराइए मत । आप को भी समय है, मुझे भी है । क्यों परेशान हैं ?

इसलिए इसके लिए एक कान्क्रीट, टाइम फ्रेम मंत्री महोदय तय कर लें और रुपये पैसे की अगर दिक्कत है तो एशियाई खेल कूद में डालने वाला रुपया उस में से हटा कर तत्काल इस काम्प्लेक्स को बनाने के लिए और उस के लिए आवश्यक बिजली घर बनाने के लिए डालने का काम करें। समूचे उत्तर बिहार के विकास को मद्दे-नजर रख कर एक ऐसी योजना वह बनाएं और बिजली मिलने तक, पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स खड़ा होने तक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और लोगों को तत्काल राहत देने वाले जो उद्योग बना सकते हैं उन को बनाने के लिए अपनी सरकार के माध्यम से तत्काल योजना बना कर आगे बढ़ें और हम ने जो योजना बना कर रखी थी उस को अमल में लाने का काम करें ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, मैं श्रीमती कृष्णा साही द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आप जानते हैं, बहुत से मित्रों ने पहले चर्चा की है, बिहार औद्योगिक दृष्टिकोण से भारत के नक्शे में बीसवें स्थान पर है जब कि दक्षिण बिहार में कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, बौक्साइट आदि खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं और सारे भारत के लिए वह एक गौरव की चीज है । उत्तर बिहार जहां कि खेती के लिए उर्वरा जमीन है उस क्षेत्र में तीन करोड़ से अधिक की आबादी है । वहां पढ़े लिखे नौजवान हजारों और लाखों की संख्या में बेकारी से ग्रस्त हैं । इस दिशा में पिछले पन्द्रह वर्षों से यह प्रयास चलता रहा है कि एक पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री वहां लगायी जाय ताकि वहां के लोगों का भी नियोजन हो और उन की आर्थिक स्थिति सुधरे । पेट्रो केमिकल वहां बनाने के लिए सारे साधनों की मौजूदगी के बावजूद यह सरकार सौतेला व्यवहार उस के साथ कर रही है । इस दिशा में बिहार के हमारे भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री चन्द्र शेखर सिंह ने और बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पांडेय जी ने भी अपनी गाथाएं रखी हैं, अपने अनुभव की बातें रखी हैं । साथ साथ भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्री जार्ज साहब भी मौजूद हैं । 1978 में बिहार के उद्योग मंत्री श्री ठाकुर प्रसाद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल यहां बिहार भवन में आया । उन लोगों ने भी इस प्रस्ताव को मनवाने के लिए हम लोगों से निवेदन किया था और हम लोगों ने सामूहिक रूप से जार्ज साहब को कहा था कि इस की मंजूरी दी जाये । लेकिन यह भी राजनैतिक उथलपुथल के अन्दर उलझे रहे और अब फिर ऐसा अवसर आया है जब कि यहां एक प्रस्ताव के रूप में यह चीज आई है । मैं चाहूंगा कि इस उद्योग के लिए निश्चित रूप से भारत सरकार को स्वीकृति देनी चाहिए ताकि उत्तर बिहार में जहां कोई इंडस्ट्री नहीं है एक काम्प्लेक्स बन सके । यहां पर बरौनी का खाद का कारखाना और आयल रिफाइनरी है, अन्य साधन भी पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री के लिए यहां मौजूद हैं, सारी सुविधाएं हैं । हमारे भूतपूर्व उद्योग मंत्री जार्ज साहब ने जो बिजली की कमी के बारे में बताया है, ऐसे पहलुओं को ले कर भारत सरकार इसे और टालने का प्रयास न करे । इस के लिए सभी संसद सदस्य जो बिहार के हैं और जो बिहार के बाहर के भी हैं, उन को सब को इस क्षेत्र के विकास के लिए इसे समर्थन देना चाहिए । मैं हरियाणा और पंजाब के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वहां पर न लोहा है,

न कोयला है, न तांबा है फिर भी सारी इण्डस्ट्रीज वहां पर लगी हुई हैं जबकि बिहार में सारे साधन मौजूद हैं, सारा कच्चा माल है, सारे खनिज पदार्थ हैं उसके बावजूद बिहार की उपेक्षा की जा रही है । इसीलिए आज भारत में बिहार राज्य बीसवें स्थान पर है । ऐसी स्थिति में भारत सरकार को बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए । पहले भी कांग्रेस सरकार ने इसको मंजूर किया था और आज भी कांग्रेस सरकार पूरी सक्षम है इसलिए मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार वहां पर पेट्रो-केमिकल इण्डस्ट्री को पूरा सहयोग दे ताकि उस क्षेत्र का पूरा विकास हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी हम लोग बरौनी पेट्रो रसायन उद्योग के सम्बन्ध में यहां चर्चा चला रहे हैं । उस प्रदेश का मैं भी हूं और हम लोगों ने विगत सत्र में भी बिहार का कैसे विकास हो, इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था । आज भी शाही जी के रेजोल्यूशन को प्रायटी मिल गई है जिससे सरकार का ध्यान पुनः आकृष्ट करने का मौका हमें मिला है । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, अभी यहां पर जितने माननीय सदस्य बोले हैं, सभी ने इस बात को स्वीकारा है और ईमानदारीपूर्वक यदि आप देखेंगे तो बिहार का स्थान तो पिछड़ा है ही, बिहार में भी जो उत्तरी बिहार है, खासकर जो गंगा के उस पार का इलाका है, उसकी हालत इतनी दयनीय है कि यदि यहां से कोई टीम वहां पर जाए तभी इस बात का पता चल सकता है । आज हमारे यहां बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, फर्टिलाइजर कारखाना भी है लेकिन उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है । वहां पर जो गरीबी और भुखमरी है उसको जब हम उठाते हैं तो बहुत से साथी पक्ष और विपक्ष की बात बोलते हैं, कोई कहता है कि आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया, हमारी सरकार है तो हमने क्या किया ? मैं कहना चाहता हूं अपने नये साथियों से कि पार्लमेन्ट में हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि एक दूसरे की नुक्ताचीनी करें । जिस समय हम लोग ट्रेजरी बेंचेज में थे उस समय भी हम लोग मैक्सिमम प्रयास करते थे कि जिस प्रान्त से, जिस क्षेत्र से जो सदस्य यहां पर चुनकर आया है वह, यहां पर हमें पार्लमेन्ट के प्रोसीजर और डायरेक्शन की किताब मिली हुई है उसका अध्ययन करके, अधिक से अधिक समस्याओं को सरकार के सामने रखे । (व्यवधान) मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आपको सुनना तो पड़ेगा ही और अगर एक साल तक यही बात रही तो आप लोग देश में कहीं भी घूमने लायक नहीं रहेंगे । (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं जब फ़र्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, कालिज में नाम लिखाया था, तो मैं समझता था कि कालिज मेरी जेब में है । लेकिन जब मैं सेकण्ड ईयर और थर्ड ईयर में गया, तब मुझे पता लगा कि मैं वहां का एक आर्डिनरी विद्यार्थी हूं । इसलिये जो लोग संसद् में आये हैं, वे यह समझ लें कि संसद उनकी पाकिट में नहीं है..... (व्यवधान).....मैं यह बात कहना चाहता हूं--चाहे कोई विपक्ष की बात हो या पक्ष की बात हो, जो भी सामाजिक कल्याण की बात हो, जो किसी भी प्रदेश को उठाने की बात हो, देश को आगे बढ़ाने की बात हो, उसमें न हमको 30 साल की बात रखनी चाहिये और न आप को तीन साल की बात रखनी चाहिये । आप को यह सोचना चाहिये कि

उस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है । हमारे जो अनुभवी साथी हैं, उन्होंने बिहार के सम्बन्ध में कहा है कि किस तरह से उसका विकास किया जा सकता है । मैं भी आपके सामने यह बात कहना चाहता हूं कि जब भी उन समस्याओं के निदान के बारे में डिबेट होगी, मैं भी उसमें बोलूंगा और आप को बतलाऊंगा कि उस क्षेत्र के विकास के लिये काटेज इण्डस्ट्रीज का कितना महत्व है । जार्ज साहब ने भी अभी बतलाया कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का क्या महत्व है । जब देश के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे, जब देश की गरीबी को दूर करने का संकल्प लेंगे, जब देश की बेरोजगारी को दूर करने का संकल्प लेंगे, जब देश के नौजवानों को काम देने का संकल्प लेंगे तो आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं । आपको लघु उद्योगों पर आधारित होना पड़ेगा । यह एक अलग विषय है, लेकिन इस समय तो हमारे सामने जो प्रस्ताव है, उस पर हमको विचार करना चाहिए । बिहार में इस पैट्रो-कैमिकल उद्योग लगाने के सम्बन्ध में कहा गया है कि वहां पर हर चीज उपलब्ध है । कच्चा माल बहुत मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्जा उपलब्ध है—इन सब उपलब्धियों को देखते हुए यदि यह कारखाना वहां लगा दिया जाये तो इससे दूसरी जगहों के मुकाबले बहुत कम खर्चा होगा । बिहार को अनएम्पलायमेन्ट की समस्या दूर होगी और न केवल राज्य को बल्कि केन्द्र को भी लाभ होगा ।

इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस बात को भी देखें कि जब भी बिहार में कोई कारखाना लगे उसमें वहां की जो स्थानीय जनता है, जो गरीब लोग हैं, हरिजन हैं, नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि बिना किसी नुक्ताचीनी के, बिना किसी विलम्ब के इसको सरकार मान ले ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । श्री पांडे जी को याद होगा, चुनाव जीतने के बाद मैंने कहा था कि लोक सभा में उत्तर बिहार और पूरे बिहार के प्रश्न पर राजनीतिक मतभेद नहीं रहना चाहिये, बल्कि सबको मिल कर केन्द्रीय सरकार पर उसके विकास के लिये जोर लगाना चाहिये, ताकि बिहार का उत्थान हो सके ।

मैंने श्री चन्द्र शेखर सिंह जी और जार्ज साहब का भाषण बहुत ध्यान से सुना । मुझे इस बात पर कुछ हंसी भी आई जब श्रीमती साही जी ने कहा कि कांग्रेस राज्य में फर्टिलाइजर प्लांट बना, कांग्रेस राज्य में बरौनी का थर्मल पावर प्लांट बना । इन सब बातों के लिये आप प्रशंसा लें, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, लेकिन जहां तक बेगूसराय में इस पैट्रो-कैमिकल काम्प्लेक्स के लगाये जाने की बात है, उस इलाके में वर्षों से यह अभियान चल रहा है । हमें याद है—जब 1977 के पहले मैं लोक सभा का सदस्य था, हमारे श्री योगेन्द्र शर्मा, एम० पी० तथा कुछ दूसरे लोग इस मांग को ले कर बेगूसराय से आये थे और मंत्री महोदय से मिल कर उन्होंने इस मांग को उनके सामने रखा था ।

जहां तक श्रीमती साही जी ने इस समस्या पर जोर डाला है—यह उन्होंने सही काम किया है । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं—1977 के पहले जब इस सदन में कांग्रेस का बहुमत था, इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं, उस समय एक प्रस्ताव आया था जिसमें कहा

गया था कि केन्द्रीय सरकार पिछड़े हुए इलाकों के लिये एक योजना बनाये, जिसमें उन के विकास के लिये औद्योगिक कार्यवाहियां की जाएं और उस कार्य में उद्योगपतियों और सरकार को भी योगदान करना था। मैं इस मौके पर इतना और कहना चाहता हूं—बेगूसराय तो पिछड़ा इलाका है ही, लेकिन वहां एक और बहुत बड़ा पिछड़ा इलाका है—जिस का नाम "चम्पारन" है, जिसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। पांडे जी जानते हैं कि चम्पारण में शूगर उद्योग के सिवाय और कोई उद्योग नहीं है। वहां और उद्योगों के साधन भी मौजूद हैं। चम्पारण में कागज का उद्योग भी चालू किया जा सकता है। मोतिहारी में एक रमाकास्ट इंजीनियरी कम्पनी खुली हुई है। उसमें गवर्नमेंट के करोड़ों रुपये लगे हुए हैं लेकिग वह आज तक बंद है। उसको खोलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जिससे लोगों को काम मिल सके।

इसी तरह से उत्तर बिहार में और भी उद्योग खोले जा सकते हैं। जैसा कि शाहो जी ने कहा वहां पर तमाम साधन मौजूद हैं, पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स खोल सकते हैं। मैं कहता हूं कि उत्तर बिहार में बहुत सारे इलाकों में ऐसे साधन मौजूद हैं जिन से वहां बहुत से उद्योग खोले जा सकते हैं। कागज बनाने का कारखाना वहां खोल सकते हैं चकिया में जूट मिल खोल सकते हैं। इसी प्रकार के और भी कारखाने खोल सकते हैं।

निर्माण, आवास तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य की बात काट रहा हूं। हम तो एक विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, यहां अन्य कारखानों न घसीटें।

श्री कमला मिश्र मधुकर : आप जानते हैं कि आपकी तरफ़ से बोलने वाले लोगों ने भी अपने आपको सीमित नहीं रखा है। इसीलिए इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार उत्तर बिहार की गरीबी और बेकारी की समस्याओं के बारे में सोचे और अपने पूर्व निर्णयों को अमल में लाए। उत्तर बिहार में, बरौनी में पेट्रो-कैमिकल काम्प्लेक्स खुला हुआ है। लेकिन उत्तर बिहार में और भी कच्चा माल मौजूद है, सिर्फ़ सरकार को वहां पर कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसी कार्यवाही भी करे जिससे उत्तर बिहार में, जहां-जहां साधन मौजूद हैं, उनका सही-सही इस्तेमाल हो सके और उत्तर बिहार की बेकारी और गरीबी की समस्या को दूर करने में हम आगे बढ़ सकें।

श्री डुमर लाल बैठा (अररिया) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज बहुत देर से ही सही, मगर एक सही प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है और उसका क्या महत्व है, उस पर अभी काफी प्रकाश डाला गया है।

यों तो हम सभी को मालूम है कि बिहार औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। उसकी आर्थिक स्थिति का भी यहां जिक्र किया गया। उसके बारे में सभापति महोदय ने सुना होगा कि बिहार के लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे की स्थिति में बने हुए हैं। इसलिए एकमात्र रास्ता राज्य की दशा सुधारने का रह जाता है कि वहां का उद्योगीकरण किया जाए वहां पर खास कर ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए और अविलम्ब की जाए जिनकी कि वहां संभावनाएं हैं।

बरौनी, जहां पर कि पेट्रो-काम्प्लेक्स की स्थापना का प्रस्ताव है, सभापति महोदय को मालूम होगा कि वह स्थान बहुत दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि अभी कहा गया वह स्थान तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला स्थान है। दक्षिण बिहार में जहाँ कुछ उद्योगों की स्थापना हुई, उनसे बहुत ही कम, या यह कहना चाहिए कि यह पहला कदम है कि उत्तर बिहार के दरवाजे पर, बरौनी में इस उद्योग की स्थापना हुई। अगर यह पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स की वहां पर शुरुआत की जाती है तो बिहार में इससे अन्य छोटे-छोटे उद्योग भी पनपेंगे और लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी।

दक्षिण बिहार से कोयला या अन्य जो सामान है जिसकी कारखानों में आवश्यकता होगी, उसकी आपूर्ति होगी। रेल हैड होने की वजह से वहां बना हुआ सामान बाहर भेजने में मदद मिलेगी, उस में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके साथ-साथ वहां जो नेफ्था है जिसका उपयोग हम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स की स्थापना हो जाने से उसका भी उपयोग हो सकेगा। इसके साथ-साथ बरौनी सिफाईनरी से जो बाई-प्रोडक्ट्स पैदा होती है उनका भी हम उपयोग कर सकेंगे। इससे उत्तर बिहार में कृषि विकास की जो बहुत आवश्यकता है उसकी सम्भावना का भी विस्तार होगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज ने कहा है कि ऊर्जा की बहुत कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल बिजली की नहीं बल्कि कोयले, डीजल, पेट्रोल आदि की भी कमी है। अगर हम को उन कारखानों का विकास करना है तो इस ऊर्जा की कमी को दूर करने के उपाय भी हम को निकालने होंगे। आज कोयले का उत्पादन कम हो रहा है। इसकी वजह से यातायात में कठिनाई हो रही है। कोयले को ढोने के लिए वैगंज की कमी भी बताई जाती है। बरौनी रिफाइनरी में या जहां बिजली उत्पादन के कारखाने हैं उन में अगर पूछा जाता है तो बताया जाता है कि हमारे पास कोयला ठुल कर नहीं आ रहा है और इस कारण से हम बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। और भी बहुत सी दिक्कतें हैं जिनको योजनाबद्ध तरीके से आपको दूर करने की कोशिश करनी होगी और उनका हल निकालना होगा। मुझे अभी मालूम हुआ है कि बहुत पहले से बिहार सरकार की ओर से कई बार इन बातों को आपके सामने रखा गया है और यहां पर भी इसके बारे में कोशिश की गई है कि इस उद्योग को बहुत पहले से ही वहां स्थापित कर दिया जाता लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देर से ही सही, इस उद्योग को अविलम्ब आपको वहां स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिये और जो कठिनाइयां हैं, अगर सरकार का इरादा पक्का हो तो उनका हल निकाल कर उन पर भी विजय पाई जा सकती है और इस उद्योग की स्थापना में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

मुझे खुशी है कि इस सवाल पर किसी भी माननीय सदस्य को कोई एतराज नहीं है और न ही होना चाहिये। बिहार में इस प्रकार के उद्योग के लिए बरौनी उपयुक्त स्थान है। वहां पर असम से तेल आता है, वहां पर तेल शोधक कारखाना भी है। उससे जो बाई प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं उनका भी वहीं पर उपयोग हो सकता है, उन पर आधारित उद्योग भी वहां पर स्थापित हो सकते हैं।

सदन की भावनाओं का ख्याल करते हुए मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाएगी। यही मेरी मांग है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराज गंज) : श्रीमती कृष्णा साही द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का मैं समर्थ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय की सेवा में दो एक निवेदन करना चाहता हूं। पहला यह है कि सातवीं लोकसभा में यह पहला गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुआ है। भारत की जनता ने और उसमें बिहार की जनता ने भी इस सरकार को केन्द्र में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अग्रणी वह भी रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। बिहार की जनता टिकटिकी लगाए आपकी ओर देख रही हैं। बिहार की जनता एक बार धोखा खा चुकी है। जार्ज साहब ने उत्तरी बिहार की चर्चा की है। वहां पर व्याप्त गरीबी की, वहां पर आवागमन के साधनों के अभाव की चर्चा की है। वह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है इसको उन्होंने आपको अच्छी तरह से बताया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं उसी उत्तरी बिहार की धरती पर पैदा हुआ हूं, वहीं पर पला हूं। अगर उनको कष्ट होता है कभी-कभी समय मिलने पर वहां जाने में तो हम लोगों को जो वहीं पैदा हुए हैं कितना होता होगा, इस का आप सहज ही अनुमान लगा सकते है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि पट्रो कमिकल के स्थापित हो जाने से और भी उद्योगों की स्थापना में योगदान मिल सकता है, उनकी स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित हो सकती है। मैं बतलाना चाहता हूं कि कांटी में, मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना का इन्होंने निर्णय लिया था लेकिन मुझे खेद है कि जार्ज साहब ने अपने कार्यकाल में कोई कालबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया और उस की वहां स्थापना नहीं की। अगर तत्परता से काम लेते तो निश्चित रूप से उत्तर बिहार को 120 मेगावाट बिजली मिलती लेकिन आपने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। परन्तु अब मुझे विश्वास है कि उत्तर बिहार के पिछड़ेपन को मंत्री जी ध्यान में रखेंगे। माननीय सेठी जी ने श्री कमल मिश्र मधुकर को इंटरप्ट किया, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर बिहार में चीनी उद्योग के अलावा और कोई उद्योग नहीं है जिससे नौजवानों और काश्तकारों को रोजगार मिले और कोई केश क्रौप नहीं है। इसलिए इसको नजरंदाज नहीं किया जाय और मंत्री जी ध्यान में रखें। समय पर गन्ने का मूल्य न मिलने से जो चीनी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है, और इस वर्ष जो गन्ने के उत्पादन में कमी की आ रही है उसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा चीनी उद्योग पर। इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि सातवीं लोकसभा का यह पहला संकल्प है कि श्रीमती कृष्णा साही द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसको प्रधानता दीजिये और कोई कालबद्ध प्रोग्राम बनाइये ताकि एक, दो साल के अन्दर यह कारखाना स्थापित हो और बिहार में बरौनी में लोगों को रोजी रोजगार मिले और लोगों को विकास करने का अवसर मिलें।

श्री पी० सी० सेठी : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस संकल्प की चर्चा में भाग लिया और सर्वसम्मति से बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये—इसमें श्रीमती कृष्णा साही ने पहल की और सर्वश्री केदार पाण्डे, चन्द्रशेखर सिंह, जार्ज फर्नान्डीस, रीतलाल प्रसाद वर्मा, रामविलास पासवान, कोमला मिश्रा मधुकर, डूमर लाल बैठा और कृष्ण प्रताप सिंह ने भाग लिया।

बिहार राज्य में बहुत गरीब लोग बसते हैं, जबकि बिहार राज्य और उसकी धरती गरीब नहीं अमीर है । यह तो एक विरोधाभास और भाग्य की विडंम्बना है कि इस सच्चाई के होते हुए कि बिहार अमीर है और प्रकृति ने इसकी गोद हर सम्भव वस्तु से भर रखी है फिर भी लोगों की हालत को देखते हुए बिहार एक बहुत ही गरीब राज्य बना हुआ है ।

जहां तक बिहार और विशेषकर उत्तर बिहार जिसका सदस्यवर यहां जिक्र कर चुके हैं के विकास के प्रश्न का सम्बन्ध है, पैट्रो-रसायन का तो प्रश्न नहीं उठता यदि बरौनी तेल-शोधक की स्थापना न हुई होती । अतः सदन इस बात से सहमत होगा कि केन्द्र सरकार की इच्छा इस क्षेत्र का विकास करने की थी । बरौनी तेल शोधक की स्थापना इस आधार पर नहीं की गई कि बरौनी में कच्चा तेल उपलब्ध है । आमतौर से ऐसा कहा जाता है कि उद्योग की स्थापना वहीं की जानी चाहिये जहां उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध हो । तापीय बिजलीघर वहीं लगाया जाना चाहिये जहां कोयला उपलब्ध हो । तापीय विद्युत संयन्त्रों को चलाने के लिए कोयला पहुंचाना कहीं कठिन कार्य है । अच्छा यही है, मितव्ययता इसी में है यदि तापीय बिजली घरों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाये जहां कोयले जैसा कच्चा माल उपलब्ध हो । उससे परिवहन और यातायात की अड़चनों की समस्याएं भी हल होती हैं । अतः यह एक मानी हुई सच्चाई है और सरकार को प्रायः यह बात मानकर काम करना चाहिये कि जहां कहीं किसी उद्योग विशेष को चलाने वाला कच्चा माल उपलब्ध है, उस उद्योग की वहीं स्थापना की जाए । इस विचार से मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि वाद विवाद बड़ा ही अच्छा रहा, उन्होंने अच्छे सुझाव दिये, तथा उन्होंने अपनी बात बड़े ही सशक्त ढंग से कही । मुझे केवल एक ही बात का खेद है कि श्री पासवान ने जो कि बड़े ही कर्मठ युवक हैं कुछ कटुता उत्पन्न की अथवा मुझे कुछ-कुछ उनका रुझान ऐसा ही लगा । परन्तु दुर्भाग्य से वे श्री कच्छवाय के कदमों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से, जहां गर्मी दिखाने की आवश्यकता नहीं है वहां पर भी वे यह कह कर आग भड़का रहे हैं कि एक वर्ष के बाद यहां किसी को नहीं बोलने दिया जायेगा । इसका यह मतलब नहीं था । हम सभी तो यहां हैं, हम सभी एक दूसरे को बोलने देते हैं, और एक दूसरे की बात समझते हैं । हम समस्याओ को समझते हैं और फिर हल ढूंढने का प्रयत्न करते हैं विशेषकर उन मामलों में जहां एकमतता हो ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने वह नहीं कहा था ।

श्री पी० सी० सेठी : एक तरह से मैं आप से बड़ा ही हूं और यद्यपि मैं दूसरे दल का हूं फिर मित्र होने के नाते मुझे आपको सलाह देने का अधिकार है ।

जहां तक इस बरौनी तेल-शोधक का सम्बन्ध है वह तेल-शोधक कारखाना तो वहां उस क्षेत्र का विकास करने के लिये ही लगाया गया था । यद्यपि मूलतः पाइप लाइन हल्दिया से बिछाई गई थी और यह तेल शोधक कारखाना आयातित कच्चे तेल के आधार पर ही था परन्तु हमारे लिए सौभाग्य से यह जो पाइप लाइन हल्दिया से बरौनी आती है, थोड़ी क्षमता वाली है और इससे बरौनी तेल-शोधक की क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकी ।

परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि बिहार और हमारे लिए, विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए जिसे पैट्रोलियम उत्पादों की अत्यन्त आवश्यकता है, यह अच्छी बात है कि हम बरौनी शोधनशाला को आसाम से अधिक मात्रा में कच्चा तेल देकर इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। यदि यह वहां स्थापित न होती तो पैट्रो-रसायन समूह का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। अतः पिछली सरकार का इरादा स्पष्ट ही था—कि सभी पिछड़े क्षेत्रों विशेषरूप से जहां समाज का बड़ा वर्ग रहता है और जहां उस क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रकृति ने हमें प्रचुर मात्रा में संसाधन प्रदान किये हैं, के विकास में हमारी दिलचस्पी है और हमारी दिलचस्पी बनी रहेगी। केवल वित्तीय कठिनाई हो सकती है। परन्तु यह चरणवार किया जा सकता है। यह सत्य है कि भारत जैसे देश में हर चीज अल्प काल में नहीं की जा सकती। कठिनाई तो केवल वित्तीय हो सकती है।

जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, जिन माननीय सदस्यों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उनकी भावनाओं को मैं पूरा सम्मान देता हूं। यह पैट्रो-रसायन समूह स्वभावतः इसके परिणाम या बरौनी शोधनशाला के उत्पादन पर आधारित होगा।

मैं संक्षेप में इतिहास बताना चाहता हूं जिससे आप मामले को समझ सकें। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इस मामले पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक कार्य दल का गठन किया था और यह कार्य दल पहली बार सितम्बर, 1977 में इस बात का पता लगाने की कठिन समस्या का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था कि पैट्रो-रसायन समूह के बारे में क्या किया जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश, सरकार निर्णय नहीं ले सकी। वह सरकार समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बना सकी जिसके लिए माननीय सदस्य अब इस सरकार से समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए कहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप यह कार्यदल, जो मूल रूप से सितम्बर, 1977 में गठित किया गया था, मई, 1978 में पुनः गठित किया गया। अतः ये 8 या 10 महीने व्यर्थ में ही केवल इस कारण बिता दिए गए कि तत्कालीन सरकार की शायद उस कार्यदल में किसी अमुक व्यक्ति को लाने की दिलचस्पी थी।

इसलिए यह समय व्यर्थ बिता दिया गया। फिर भी इस कार्यदल के प्रतिवेदन में विभिन्न बातों पर विचार किया गया है। मैं इस सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। इस समय मैं केवल यह कहूंगा कि कार्यदल का प्रतिवेदन सरकार को 28 फ़रवरी, 1979 को प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात इस पर मंत्रालय में और सदस्य (उद्योग) योजना आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में सचिवों द्वारा विचार किया गया और सरकारी स्तर पर एक निर्णय लिया गया और उसी पर विभिन्न प्रकार की सहमति प्राप्त करने के लिए आगे कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक स्थल का सम्बन्ध है, यह निश्चित है कि बरौनी में बरौनी उत्पादों पर आधारित पैट्रो-रसायन समूह स्थापित किया जाना है। प्रश्न केवल समूह के स्थापित करने के बारे में है। दुर्भाग्यवश, इसके बारे में पिछली सरकार भी निर्णय नहीं ले सकी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह इसमें देरी क्यों करती रही। हो सकता है कि वह यह निश्चय नहीं कर सकी कि क्या किया जाये। हमारी सरकार को बने अभी 7 या 8 दिन हुए हैं। परन्तु हमने एक विशेषज्ञ समिति, जो स्थान के बारे में विचार

करेगी, नियुक्त करने के लिए शीघ्र ही निर्णय लिया है । यह न तो राजनीतिक आधार पर और न पक्षपात के आधार पर किसी अमुक क्षेत्र में या किसी अमुक निर्वाचन क्षेत्र में होगा । आमतौर पर वे सदस्य, जो मंत्री हैं, अधिक प्रभाव डालते हैं और वे अन्य स्थानों में स्थापित किए जाने वाले उद्योग को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश करते हैं । हम इस समिति का गठन विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर कर रहे हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो गुण-दोष के आधार पर ही स्थान के प्रश्न पर विचार करेंगे । मैं माननीय सदस्यों को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैंने उनको ध्यानपूर्वक सुना है और उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनको मैंने नोट किया है । उन्होंने इसके लिए काफी जोर दिया है । मैं उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए पूरा अवसर प्रदान करूंगा । यही नहीं वे इस संकल्प में उल्लिखित अमुक स्थान के लिए कारणों को बताते हुए वैज्ञानिक आधार पर आंकड़े या ज्ञापन भी तैयार कर सकते हैं । समिति के गठन किये जाने के बाद हम बिहार से आने वाले इस पक्ष या उस पक्ष के माननीय सदस्यों को पूरा अवसर—3 या 7 दिन—समिति के समक्ष विचार व्यक्त करने के लिये प्रदान करूंगा जिससे समिति इस विशेष प्रस्ताव के पक्ष में दिए गए तकनीकी तथा अन्य अनुकूल मुद्दों पर विचार कर सके ।

इस समिति के गठित किये जाने के बाद भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस समिति को एक समयबद्ध कार्यक्रम देंगे । यह वैसी समिति नहीं होगी जिनकी समयावधि प्रायः बढ़ाई जाती है, क्योंकि समिति वह कार्य पूरा नहीं कर पाती । विभिन्न समितियां और आयोग नियुक्त किये जाते हैं परन्तु वे कभी काम पूरा नहीं कर पाते हैं और ऐसी समितियों और आयोगों की तारीख बढ़ाई जाती है । प्रायः यह कहा जाता है कि यदि आप किसी चीज को करना नहीं चाहते या इसमें देरी करना चाहते हैं तो एक समिति गठित कर दो । हमारा इरादा इस उद्देश्य से समिति नियुक्त करने का नहीं है । इस दृष्टि से हम इसमें विलम्ब नहीं करना चाहते । यह समिति ऐसी होगी जो समूचे कार्यक्रम को तेजी से करेगी । बरौनी शोधनशाला से निकलने वाले उत्पादों को हम बरबाद नहीं करना चाहते हैं । हम देश, अपने देशवासियों के हित के लिए उनका बेहतर ढंग से उपयोग करेंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डिस ने एशियाई खेलों के बारे में कुछ कहा है । यदि अपने शासनकाल में उन्होंने कार्य शुरू किया होता तो हमे 22 करोड़ रुपये खर्च करने होते । अब इसके लिए 32 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे । यदि आप यह कहते हैं कि एशियाई खेल भारत में नहीं होंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र समुदाय के सामने राष्ट्र के लिए गर्व की बात नहीं होगी ।

वास्तव में यह मंत्रिमंडल का निर्णय है । आपकी पिछली सरकार का निर्णय यह था कि एशियाई खेल यहां होंगे । परन्तु दुर्भाग्यवश, चौधरी साहब अपनी ही बात कहते हैं । मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय कभी भी रद्द नहीं किया । परन्तु उन्होंने स्वयं सार्वजनिक भाषणों में यह कहना शुरू किया कि वह यहां एशियाई खेल कराने के पक्ष में नहीं हैं । जब यह मंत्रिमंडल का निर्णय है तो उन्हें ऐसा क्यों कहना चाहिए ? अब मूल्य वृद्धि होने से हम 22 करोड़ रुपए के बजाए 32 करोड़ रुपये खर्च करेंगे । एशियाई खेलों से निस्संदेह राष्ट्र समुदाय में इस देश का और भारतीयों का सम्मान बढ़ेगा । और हमें गर्व है कि हमने सही निर्णय लिया है और हमारे देश की प्रतिष्ठा के लिए जो चीज बुरी थी और अनुचित थी उसे हमने समाप्त किया है । मैं विशेष रूप से यह बात कह रहा हूं कि एशियाई खेल .....

श्री धनिक लाल मण्डल (झांझरपुर) : बिना खाये और पानी पिये लोग मर जाते हैं, यह क्रेम नहीं है ?

श्री पी० सी० सेठी : आपके समय में तो यह रहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा और देश के प्रधान मंत्री बने तो सारे देश में सूखा पड़ गया। इस लिए कितने लोग मरे और कितने लोगों ने माइग्रेट किया, उसको आप छोड़ दीजिए।

जहां तक पेट्रो-रसायन समूह का सम्बन्ध है, यह 10 या 20 करोड़ रुपए का प्रश्न नहीं है। यह 500, 800 या 1200 करोड़ रुपये का प्रश्न है। अधिकांश रूप से जैसी चीजें बढ़ेंगी और यदि बरौनी शोधनशाला की क्षमता और बढ़ जाती है तो पेट्रो-रसायन समूह की लागत 100 से 200 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। यह बड़ी बात होगी। एशियाई खेल न करके और 32 करोड़ पए की बचत करके आप पेट्रो-रसायन समूह की नींव भी नहीं रख सकते।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पेट्रो-रसायन समूह एक ऐसी चीज नहीं है जो एक विशेष क्षेत्र को, जहां यह स्थापित किया जाएगा, समृद्धशील बनाएगा। समूह का अर्थ तो यह है कि इसमें अनेक तरह-तरह के कारखाने होंगे और इस शोधनशाला में अनेक तरह के उत्पाद तैयार होंगे। अतः महोदय, इसका विस्तार होगा। इससे न केवल किसी स्थान विशेष को ही फायदा होगा अपितु आस-पास के सभी क्षेत्रों को भारी लाभ होगा। पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना से वहां अन्य सहायक उद्योग भी स्थापित हो सकगे और उनको लगाने की मांग होगी।

मैं सदस्यों की भावना को अच्छी तरह समझता हूं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम कोई पक्षपात नहीं बरतेंगे। यह आशंका और सन्देह व्यक्त किया जा रहा है कि हम इस क्षेत्र की उपेक्षा करेंगे। भय और पक्षपात का प्रश्न ही नहीं है। मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं। पर जैसे बरौनी के आस-पास पेट्रो-रसायन उद्योग लगे हैं वैसे ही यहां भी लगेंगे। स्थान पांच मील इधर है या उधर है इसका कोई महत्व नहीं है। अतः मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनकी भावनाओं का आदर करेंगे। आपको इस ग्रुप के समक्ष अपने विचार रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसके लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम होगा। हम इस कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू करेंगे। अतः मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वाद-विवाद से बचने के उद्देश्य से इस संकल्प पर आगे कार्यवाही करने का आग्रह न किया जाए। अगर आप किसी स्थान विशेष का नाम ले लेंगे तो वाद-विवाद खड़ा हो जाएगा। हम देख चुके हैं कि एक कुर्सी के लिए तीन दावेदार होने पर क्या स्थिति होती है। यदि एक ही कुर्सी हो और एक ही दावेदार हो तो कोई समस्या नहीं रहती। स्थान का नाम अभी बता देने से झगड़ा पैदा होगा। आस-पास के लोग अपने-अपने दावे पेश करने लगेंगे। अतः गर्मागर्मी और झगड़े-फिसाद से बचने एवं एक न्यायोचित और तकनीकी आधार पर आधारित निर्णय लेने के उद्देश्य से मैं अनुरोध करूंगा कि इस संकल्प को वापस ले लिया जाए। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह अपने ही हित में और सरकार को दुविधा में न डालने के उद्देश्य से अपना संकल्प वापस ले लें और हमारे साथ सहयोग करें। धन्यवाद।

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, पेट्रोलियम तथा रसायन को धन्यवाद देना चाहती हूं और बधाई भी देती हूं कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि

टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो इस मामले को देखेगी कि पेट्रोलियम कैमिकल काम्पलेक्स की स्थापना किस प्रकार से हो.....

श्री पी० सी० सेठी : किस प्रकार हो और कहां हो ।

श्रीमती कृष्णा साही : मुझे इस बात से भी बहुत खुशी हुई कि यह कमेटी एक टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम के अन्दर होगी । लेकिन मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहती हूं । यह बात सही है कि पेट्रोलियम-केमिकल-इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स की स्थापना के उद्देश्य से ही बरौनी में रिफाइनरी का प्रारम्भ कांग्रेस-आई के शासन काल में हुआ था । बरौनी रिफाइनरी और फर्टिलाइजर के बीच में इतनी सारी जमीन है कि जिसमें पेट्रोलियम कैमिकल काम्पलेक्स की स्थापना हो सकती है ।

मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देती हूं और अपने प्रस्ताव को वापस लेती हूं ।

श्री बनिक लाल मंडल (झांझरपुर) : यह सदन की प्रापर्टी है, ऐसा सदन की राय से ही हो सकता है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : यदि मंत्री महोदय को इस संकल्प के संबंध में यह आपत्ति है कि इसमें किसी स्थान विशेष का नाम दिया गया है तो महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "बेगूसराय (बिहार)" शब्दों के स्थान पर "बरौनी तेल शोधक कारखाने के आस-पास" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं ।

मैं यही प्रतिस्थापित करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखें । आपको संशोधन पेश करना पड़ेगा । इसके लिए एक प्रक्रिया है । हमें उसका अनुसरण करना है । अब प्रश्न यह है : चूंकि श्रीमती साही अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं इसलिए मुझे सभा की राय जाननी होगी । यही प्रक्रिया है । अब मैं इसे सभा की राय जानने के लिए रख रहा हूं ।

क्या सभा की राय है कि श्रीमती साही द्वारा पेश किया गया संकल्प वापस ले लिया जाए ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं ।

सभापति महोदय: मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं । क्योंकि कुछ सदस्य इसे वापस लिए जाने पर आपत्ति कर रहे हैं । प्रश्न यह है :-

> "कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि बेगूसराय (बिहार) में अविलम्ब एक पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित किया जाए ।"

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, हमें इस मामले को स्पष्ट करना चाहिए । क्या आप संकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव मतदान के लिए रख रहे हैं या संकल्प के मूल पाठ को ?

सभापति महोदय : प्रस्ताव हमेशा ही सभा की अनुमति से वापस लिया जाता है । उस पर आपत्ति होने की दशा में नियम यह है : मूल प्रस्ताव को ही सभा में मतदान के लिए रखना होता है ।

श्री जार्ज फर्नांनडीज : तो अब आप संकल्प पर मतदान मालूम कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : जी हां । यह मूल संकल्प है न कि वापिस लिये जाने का प्रस्ताव ।

श्री पी० सी० सेठी : महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जब संकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव आ चुका हो तो सामान्य प्रक्रिया यह है कि चूंकि अब यह सभा की सम्पत्ति बन चुकी है इसलिए प्रस्तावक स्वयं वापस नहीं ले सकती । सभा को इसे वापस लेने हेतु अपनी राय व्यक्त करनी होगी ।

सभापति महोदय : नियम यह है कि जिस सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया है वह सभा की अनुमति से उसे वापस ले सकता है । पर यदि इस पर कुछ सदस्यों को आपत्ति होती है और वह उस पर चर्चा जारी रखना चाहते हैं तो अध्यक्ष प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखते हैं ।

श्री पी० सी० सेठी : अब आपके समक्ष संकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री जार्ज फर्नांनडीज : संकल्प को वापिस लेने के संबंध में सभा के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रश्न संकल्प को वापस लेने हेतु सभा की अनुमति लेने का है । यदि कुछ आपत्तियां हैं और यदि कुछ सदस्य यह चाहते हैं कि प्रस्ताव पर ही फैसला होना चाहिए और यदि वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती तो संकल्प को ही सभा में मतदान के लिए रखना होगा । सभा के समक्ष केवल संकल्प है । वापस लेने का प्रस्ताव नहीं है । उसे ही मतदान के लिए रखा जाए ।

सभापति महोदय : मैं संकल्प को पुनः सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि बेगूसराय (बिहार) में अविलम्ब एक पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित किया जाए ।"

जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें ।

कई माननीय सदस्य : नहीं ।

सभापति महोदय : 'ना' वालों की संख्या अधिक है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं । 'हां' वालों की संख्या अधिक है ।

सभापति महोदय : ठीक है । मतदान किया जाएगा । लाबियों को खाली कर दिया जाए ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : लाबियां खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि बेगूसराय (बिहार) में अविलम्ब एक पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित किया जाए।"

जो इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से विपक्ष में मत देने वालों की संख्या अधिक है।

कुछ माननीय सदस्य : पक्ष में मत देने वालों की संख्या अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा पर्चियां बांट दी जाएं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

25 जनवरी, 1980

17.06 बजे

मत विभाजन संख्या 5

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
कुन्हम्बू, श्री के०
कोडियन, श्री पी० के०
गिरी, श्री सुधीर कुमार
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
चक्रवर्ती, श्री सत्यासाधन
चौधरी, श्री नारायण
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौधरी, श्री त्रिदिव
जनल, अबेदीन, श्री
तुर, श्री एल० एस०
दन्डवते, प्रो० मधु
परूलेकर, श्री बापू साहेब
पाठक, श्री आनन्द

पासवान, श्री राम विलास
फर्नांडीज, श्री जार्ज
बसु, श्री चित्त
बालन, श्री के० ए०
भट्टाचार्य, श्री सुशील कुमार
मंडल, श्री धनिक लाल
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मैत्रा, श्री सुनील

मोहम्मद इस्माइल, श्री
राजन, श्री के० ए०
वर्मा, श्री आर० एल० पी०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
सैत्यदेव सिंह, श्री
साहा, श्री गदाधर
सैयद, श्री मसुदल हसैन
हन्नान मोल्ला, श्री
हस्दा, श्री मती लाल
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
होरो, श्री निरेल एनेम

विपक्ष में

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अहमद, श्री मो० कमालुद्दीन
आठरे, श्री चन्द्रभान बालाजी
इरा, श्री मोहन उर्फ राममोहन आर०
उइके, श्री छोटे लाल
एक्का, श्री कृष्टोफेर
कृष्णा, श्री एस० एम०

कृष्णा, प्रताप सिंह, श्री

खवेंड़ी, श्री एस० टी०

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

गहलोत, श्री अशोक

गाडगिल, श्री वी० एन०

गुफरान आजम, श्री

गुरबिन्दर कौर, श्रीमती

गोहिल, श्री गोगाभाई भावुभाई

घोड़पाड़े, श्री आर० वाई०

चन्द्रकार, श्री चन्दूलाल

चौधरी, श्रीमती ऊषो प्रकाश

चौहान, श्री फतेभानु सिंह

जयदीप सिंह, श्री

जैन श्री विरधी चन्द

डागा, श्री मूलचन्द

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तैयब, हुसैन, श्री

दण्डपाणि, श्री सी० टी०

दास, श्री अनादि चरण

दिग्विजय सिंह, श्री

नागरत्नम, श्री टी०

नाडार, श्री ए० नील लोहिया दसन

नायकर, श्री डी० के०

निहाल सिंह, श्री

पटेल, श्री अमरीत मोहनलाल

पटेल, श्री उत्तमभाई हरजीभाई

पटेल, श्री छगनभाई देवा भाई

पर्धी, श्री केशवराव

पांडे, श्री केदार

पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद

पाटिल, श्री बसन्तराव बंदुजी

पाटिल, श्री बालासाहेब विखे

पाटिल, श्री शिवराज विश्वनाथ
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
फर्नांडीज, श्री ओस्कर
बन्सी लाल, श्री
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
बैठा, श्री डुमर लाल
बेरवा, श्री बनवारी लाल
भगवान देव, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
मकवाना, श्री नरसिंह
मनफूल सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद , श्री
महाला, श्री आर० पी०
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मिश्र, श्री हरिनाथ
मीना, श्री राम कुमार
रणजीत सिंह, रवाणो
श्री नवीनचन्द्र परमानन्द दास
राउत, श्री भोला
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री जलागम कोंडला
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
लस्कर, श्री निहार रंजन
वर्मा, श्री जयराम
व्यास, श्री गिरधारी लाल
विजय भास्कर, श्री के०
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकट सुब्बैया, श्री पी०
शनमुगम, श्री पी०
शांताराम, श्री

शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री विश्वनाथ
शिव कुमार सिंह, श्री ठाकुर
सन्तोष मोहन देव, श्री
सपेरो, जनरल राजिन्दर सिंह
साहो, श्रीमती कृष्णा
सिंह, श्री चन्द्रशेखर
सिंह, श्री दलबीर
सिडनल, श्री एस० बी०
सेठी, श्री प्रकाश चन्द
सोलंकी, श्री बाबू लाल
हुकम सिंह, श्री
त्रिपाठी, श्री राम नारायण

अध्यक्ष महोदय : मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :-

पक्ष में : 36
विपक्ष में : 85
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरा संकल्प श्री सुधीर कुमार गिरी का है। हमने इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करना है। क्या इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया जाये ?

कई माननीय सदस्य : हां

अध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर कुमार गिरि, अब आप अपना संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

कुछ आवश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बारे में संकल्प

श्री सुधीर कुमार गिरि (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"यह सभा देश में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, दालें, खाद्य तेल, कपड़ा, मिट्टी का तेल, कोयला आदि के मूल्यों में थोड़ी ही अवधि में 20 से 40 प्रतिशत तक की असामान्य वृद्धि पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह थोक व्यापार को अपने हाथ में ले ले और उचित दर की दुकानों के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करके मूल्य वृद्धि रोके।"

अध्यक्ष महोदय : कुछ संशोधनों की सूचनाएं दी गई हैं। किन्तु अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सुधीर कुमार गिरि : मैं अपने संकल्प के समर्थन में अपने तर्क आरम्भ देना करने से पूर्व आप के माध्यम से उन लोगों का धन्यवाद करता हू जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा है । मुझे उनके दुखी तथा भूखे चेहरे याद है । उनकी भूख का कारण मूल्य वृद्धि है । केन्द्र में सरकार कई बार बदलो है किन्तु उन्होंने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों की हालत सुधारने के लिए उचित उपाय नहीं किये है । 1971 में सत्ता पर आसीन लोगों ने आश्वासन दिया था कि गरीबो खत्म कर दी जायेगी किन्तु सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि 1977 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगो की संख्या 40 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई । 1977 में सरकार बदल गई और नयी सरकार के शासन काल में लोग जीवनोपयोगी न्यूनतम आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नही कर सके और मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहता हू कि हाल के महीनों में किस प्रकार मूल्य वृद्धि हुई है ।

मूल्य वृद्धि को गणना करते समय मैंने 1970–71 को आधार वर्ष माना है । थोक मूल्य सूचकांक से पता चलता है कि 2 जून, 1979 को समाप्त होने वाले सप्ताह तक सभी वस्तुओं का सामान्य मूल्य स्तर बढ़कर 199.1 हो गया और 30 जून, 1979 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य स्तर बढ़कर 203.3 हो गया । इसी वर्ष की 23 जुलाई, को 212.1, 25 अगस्त को 218.1, 1 सितम्बर को 218.2, 29 सितम्बर को 221.4, 27 अक्तूबर को 219.3, 24 नवम्बर को 220.8, 1 दिसम्बर को 222.6, 29 दिसम्बर को 222.6 और 5 जनवरी, 1980 को 223.2 हो गया । इसके अतिरिक्त मिट्टी के तेल, डीजल तेल लाइट डीजल तेल के मूल्य भी बढ़ गये है । सूचकांक से पता चलता है कि 30 जून, 1979 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मिटटी के तेल का मल्य स्तर 252.1, डीजल तेल का मूल्य स्तर 176.6, लाइट डीजल तेल का मूल्य स्तर 269.9 था । 28 जुलाई, 1979 को मिटटी के तेल का मूल्य स्तर 252.1, डीजल तेल का मूल्य स्तर 176.6 और लाइट डीजल तेल का मूल्य स्तर 269.9 था । 25 अगस्त, 1979 को मिट्टी के तेल का मूल्य स्तर 287.1, डीजल तेल का मूल्य स्तर 201.3 और लाइट डीजल तेल का मूल्य स्तर 365.8 था । 29 अगस्त, 1979 को मिट्टी के तेल का मूल्य स्तर 272.8 डीजल तेल का मूल्य स्तर 191.2 और लाइट डीजल तेल का मूल्य स्तर 365.8 था । 24 नवम्बर, 1979 को मिटटी के तेल का मूल्य स्तर 272.8, और लाइट डीजल तेल का मूल्य स्तर 365.8 था । 28 दिसम्बर, 1979 को मिटटी के तेल के मूल्य स्तर इसी स्तर पर बने रहे ।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि मूल्यवृद्धि के कई कारण है । इन्हें स्पष्ट करने में मुझे समय लगेगा । मूल्यवृद्धि के कारण स्पष्ट कर दिये जाने पर माननीय सदस्य उनका निराकरण करने की ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : वाणिज्य मंत्री जा रहे हैं । कौन सुन रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटसुब्बया नोट लेंगे। वाणिज्य मंत्री ने दूसरे सदन में जाना है। उसने अनुमति ले ली है।

श्री सुधीर कुमार गिरि : यह स्पष्ट हो जाता है कि 1971 से 1975 के दौरान जितनी मूल्य वृद्धि हुई है उतनी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। उस समय जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी उन्होंने निहित स्वार्थों और प्रतिक्रियावादी लोगों के हित साधन के लिए पूरा प्रयास किया। एक वर्ग के लोग सामान्य लोगों का शोषण करने का प्रयास करते रहते हैं और उनके प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि सरकारी तंत्र को उनके आगे झुकना पड़ता है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1971 से 1975 के दौरान मूल्यों में कैसे वृद्धि हुई। 1970–71 को आधार वर्ष माना जाये तो खाद्यान्न का मूल्य जो 1971 में 100.9 था बढ़ कर 1975 में 185.7 हो गया। दालों का मूल्य 108.1 से बढ़कर 193.4 हो गया। तिलहनों का मूल्य 90.8 से बढ़कर 130.8 हो गया। कोयले का मूल्य 101.1 से बढ़कर 172 हो गया। खाद्य तेलों का मूल्य 88.4 से बढ़कर 149.7 हो गया। चीनी का मूल्य 136.09 से बढ़कर 217.32 हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसके कई कारण हैं। इन कारणों का विश्लेषण किया जाये तो पता चलेगा कि कर अपवंचन के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। कई ऐसे करोड़पति तथा एकाधिकार गृह हैं जिन से कर के रुप में केन्द्र सरकार पर्याप्त धनराशि प्राप्त कर सकती है किन्तु अन्तिम निष्कर्ष यह है कि एकाधिकार गृहों ने इन करों का अपवंचन करने क तरीका ढूंढ लिया है। इतना ही नहीं, केन्द्र सरकार भी इन एकाधिकार गृहों को कई रियायतें देती है और इसके परिणामस्वरूप इन एकाधिकार गृहों द्वारा एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। अतः सरकार जो भी कार्यवाही करे, मूल्य कम करने के लिए प्रभावी उपाय कदापि नहीं उठाये जा सकते।

अप्रत्यक्ष करों के कारण भी मूल्य बढ़ते हैं। विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की राय है कि प्रत्यक्ष करो से मूल्यों में इतनी वृद्धि नहीं होती जितनी कि अप्रत्यक्ष करों से होती है। केन्द्र सरकार ने कई बार प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर अधिक लगाये हैं। मूल्य वृद्धि का यह भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त जमाखोरी, चोरबाजारी आदि के कारण भी मूल्य बढ़ते हैं। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो चीजें जमा कर लेते हैं और बाजार में कृत्तिम कमी पैदा कर देते हैं। मूल्य वृद्धि होने पर हम ऐसी चीजें चोर बाजार में खरीद सकते हैं। किन्तु यदि हम इसका लाभ उठाते हैं तो हम अनैतिकता के दोषी होंगे। कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि जिन लोगों के पास धन है वे अपनी इच्छानुसार कितना ही माल चोर बाजार से खरीद सकते हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वे ऐसी चीजें नहीं खरीद सकते। इस प्रकार लोगों की स्थिति दयनीय है जिसकी झलक हमें गांवों और शहरों की बस्तियों में मिलती है।

चोर बाजारी चल रही है। कुछ स्थानों पर सरकारी प्रशासन की इन चोरबाजारियों से सीधी सांठ-गांठ है। उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किये गये हैं। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के कारण भी मूल्यों में वृद्धि होती है। एक ओर तो हमारे लोग आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण दुःख उठा रहे है और दूसरी ओर इन आवश्यक वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात किया जा रहा है। दूसरे देशों को तो ऐसी चीजें सस्ती दरों पर दी जा रही हैं किन्तु हमारे लोगों को जो इनका उत्पादन करते है महंगी दरों पर ऐसी चीजें मिलती है। यह भी पता चला है कि हमारे लोगों का रहन सहन विदेशियों के रहन सहन से नीचे चला गया है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी मूल्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मैं महसूस करता हूं कि यदि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें भी उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए प्रभाव

उपाय करें तो परिवहन व्यवस्था सरलता से उपलब्ध होगी और यदि परिवहन सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाये तो मूल्य इस प्रकार नहीं बढ़ेंगे जिस प्रकार कि आजकल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एकाधिकार गृहों ने लघु उद्योगों को अपना काम बन्द करने के लिए बाध्य कर दिया है। पता चला है कि एकाधिकार गृहों के साथ प्रतिस्पर्धा में लघु उद्योग चल नहीं सके और केन्द्र सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिया है जिससे एकाधिकार गृह लघु उद्योगों का शोषण करने में सफल हुए हैं और लघु उद्योगों का खुले बाजार से निष्कासन कर दिया गया है।

अनुत्पादक एककों पर व्यय के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार ऐसे लोगों पर व्यय करती रही है जो देश के लिए कछ भी पैदा नहीं करते हैं।

17.33 बजे (श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए)

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीतियों के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हुई हैं क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक बड़े एकाधिकार गृहों को ऋण दे रहे है। बैंक बड़े जमीदारों और धनी किसानों तथा मध्यमवर्ग के व्यापारियों को भी ऋण देते हैं किन्तु वे निर्धन लोगों, निर्धान व्यापारियों तथा छोटे व्यापारियों को ऋण नहीं देते है और इस प्रकार बड़े व्यापारी बाजार पर एकाधिकार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोषपूर्ण वसूली तथा विवरण प्रणाली के कारण भी मूल्यवृद्धि होती है। वसूली भी की जानी चाहिये और वितरण भी किया जाना चाहिये। पता चला है कि वसूली की जाती है और इस प्रयोजनार्थ धनी किसानों को ऊंचे मूल्य दिये जा रहे हैं। वसूल की गई चीजें उचित प्रणाली के माध्यम से वितरित नहीं की जाती है। प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी चोरबाजारियों के साथ सांठगांठ है और वे ऊंचे मूल्यों पर माल बेच रहे है। अतः वितरण प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किये जायें कि देश के सभी लोगों को निर्धारित और एकसी दर पर सामान मिल सके।

मेरे मित्र सोचते होंगे कि मौसमीकारणों से मूल्यवृद्धि होती है। कुछ अवसरों पर ऐसा हो सकता है किन्तु सरकार के रिकार्डों से पता चलता है कि सरकार के पास जो विपुल खाद्यान्न भण्डार तथा विदेशी मुद्रा है उनका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। खाद्यान्न उचित दर दुकानों के माध्यम से लोगों को वितरित किये जाने चाहिये और इस प्रयोजनार्थ गांवों तथा नगरों में पर्याप्त संख्या में उचित दर दुकानें खोली जानी चाहियें।

मैं कुछ ठोस उपायों का सुझाव दे रहा हूं जो सरकार को मूल्य वृद्धि रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए करने चाहिये कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो सके और ऐसी वस्तुएं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आसानी से मिल सके। मूल्यवृद्धि के कारण कुछ क्रय क्षमता रखने वाले लोग भी अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं।

अब मैं सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव रखता हूं। केन्द्र को शीघ्र ही सार्वजनिक वसूली और वितरण की एक व्यापक प्रणाली आरम्भ करनी चाहिये जिसके अन्तर्गत मुख्य अनाज, दालें, नमक, चीनी, कपड़े, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, दियासलाई, कागज और कपड़े धोने का साबुन विपरित किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ये सभी वस्तुएं पूरे देश में एक ही निर्धारित मूल्य पर बेची जायें।

दूसरे, वसूली और वितरण कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये की एक विशेष निधि अलग रखी जानी चाहिये। इसके लिये राजसहायता दी जानी चाहिये और राजसहायता देते के लिये धनराशि

उपलब्ध हो सकती है यदि निर्यातकों, बड़े जमींदारों, अमीर किसानो तथा निर्माताओं को दी जाने वाली राजसहायता को कम कर दिया जाये ।

आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिये 1000 करोड़ रुपये अलग रखा जाना चाहिये । चीनी सहित सभी खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । कुल उत्पादित चीनी में से 80 प्रतिशत चीनी सार्वजनिक खपत के लिये रखी जानी चाहिये ।

पैट्रोलियम पदार्थों, माचिस की डिबियों तथा कपड़ों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क का समायोजन करके इन वस्तुओं के मूल्यों में कमी की जाये ।

खाद्य तेलों और तेल बीजों का आवास सार्वजनिक वितरण पद्धति के माध्यम से किया जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को रेल यातायात के संभार तन्त्र में सुधार लाने चाहिये । यद्यपि एकाधिकार गृहों और औद्योगिक गृहों की उचित मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिये किन्तु उन्हें दिये जाने वालें ऋण में भारी कटौती की जानी चाहिये या बैंको को बीमार एककों अथवा उद्योगों की सहायता करने के लिये बाध्य किया जाना चाहियें । लघु उद्योंगों तथा सरकारी क्षेत्र के एककों की भी सहायता की जानी चाहिए । छोटे किसानों, बटाईदारों, बेकार भूमि धारियों, छोटे कामगारों तथा गरीब और निर्बल वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि की जानी चाहियेा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय भण्डारों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाना चाहिये ।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वह इस संकल्प को अपना पूरा समर्थन दें । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा देश में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, दालों, खाद्य तेल, कपड़ा, मिट्टी का तेल, कोयला आदि के मूल्यों में थोड़ी ही अवधि में 20 से 40 प्रतिशत तक की असामान्य वृद्धि पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह थोक व्यापार को अपने हाथ में लें लें और उचित दर की दुकानों के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करके मूल्य वृद्धि रोके ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प में—

(एक) "वह थोक व्यापार को अपने हाथ में ले ले "और" का लोप किया जाये ।

(दो) "उचित दर" से पहले "यथाशीघ्र" जोड़ा जाये ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में—

"थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लें और उचित दर की दुकानों के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करके मूल्य-वृद्धि रोक ।"

के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :—

"वह न केवल थोक व्यापार को अपने हाथों में ले अपितु आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को भी सरकारी नियंत्रण में लिया जाये और सभी आवश्यक वस्तुओं की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या को सप्लाई प्रतिबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण के अन्तर्गत उचित दर की कानों को के माध्यम से सुनिश्चित करें ।"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री गिरि ने जो संकल्प प्रस्तुत किया था वह हमारे लाखों लोगों के लिए बड़े महत्व का विषय था । आपको तथा इस सदन के अन्य सदस्यों को अपने चुनाव अभियानों के दौरान गरीब लोगों से अनेक प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा होगा कि हम संसद में जाकर मूल्य वृद्धि के बारे में क्या करेंगे । एक महिला सदस्य होने के नाते मैंने अपनी अनेक बहिनों के कष्ट में देखा है जिनको अन्ततः अपने बच्चों का पेट भरना पड़ता है । इस बात को ध्यान में रख कर हमें मूल्यवृद्धि के प्रश्न को अत्यधिक महत्व देना चाहिये । यह बताने के लिए कि मूल्य वृद्धि हो रही है, हमें आकड़ों की आवश्यकता नहीं है । यह एक कटु सत्य है कि हमें इस समस्या से रोज ही जूझना पड़ता हैं। अब प्रश्न यह हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाये । यह बात कही जा सकती है कि मूल्यवृद्ध केवल जनता शासन के दौरान ही हुई है। इस बारे में किसी को कुछ सन्देह नहीं है । यह सच हैं कि जनता शासन के दौरान कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है । मुझे खेद है कि माननीय सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था इस समय यहां उपस्थित नहीं है उन्होंने अपने भाषण के दौरान हर दूसरे वाक्य में प्रधान मंत्री की प्रशंसा की ।

मैं आपको याद दिलाना चाहती हू कि 1971 में जब बंगलादेश का उदय हुआ था उस समय भी उनके शासन के दौरान क्या हुआ । मुझे अभी तक याद है कि उस समय क्या हुआ । मैं उस समय पश्चिम बंगाल विधान सभा की सदस्या थी और बजट पर बहस के दौरान हमने यह बताया था कि थोक मूल्यों में एक महीने के अन्दर ही 19 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । जहां तक खुदरा मूल्यों का सम्बन्ध हैं, जब थोक भावों में 19 प्रतिशत की वृद्धि होती हैं तो उनमें उससे भी अधिक वृद्धि होती है।

मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि उसी 20-सूत्री कार्यक्रम को अपनाया गया है जिसमें यह वचन दिया गया था कि गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुए उचित दर पर उपलब्ध की जायेंगी । सभी जानते हैं कि उन वायदे का क्या हुआ और 20-सूत्री कार्यक्रम का क्या हुआ । अब पुनः 20-सूत्री कार्यक्रम लाया गया हैं किन्तु मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि अब सब ठीक हो जाएगा । इसलिए मैं यह कहना चाहती थी कि कुछ प्रभावी कदम उठाये जायें ।

मैं एक बात और भी कहना चाहती हूं कि मूल्य नियंत्रण रखने के लिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था ही प्रभावी हो सकती है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है । यदि कोई भी

व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय मुल्यों, रूस में चल रहे मूल्यों, और अमरीका में प्रचलित मूल्यों को जानता है वह इस बात को समझ सकता है। किन्तु मैं यह बात नहीं कहना चाहती हूं कि क्योंकि मैं जानती हूं कि यह सरकार ऐसा नहीं कर सकती। वर्तमान सरकार के अन्तर्गत कुछ कदम उठाये जा सकते हैं किन्तु मुझे यह नहीं मालूम कि यह सरकार वह कदम उठाना भी चाहती है या नहीं, क्योंकि मुझे उसकी नियत में सन्देह है।

जहां तक मूल्य वृद्धि के कारणों तथा उस पर नियंत्रण के लिए क़दमों का सम्बन्ध है मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूं। संकल्प में यह बताया गया है कि खाद्यान्नों का थोक व्यापार तथा कुछ अन्य वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले ले। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि इस प्रश्न पर इसी प्रधान मंत्री के शासन काल में 1971 में विचार किया गया था। उस समय खाद्यान्नों के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रश्न था। व्यापारियों ने भी इस सम्बन्ध में बड़े जोर शोर से यह वचन दिया था कि यदि यह कदम नहीं उठाया गया तो वह सरकार के साथ-साथ सहयोग करेंगे और उन्हें उचित दरों पर भारी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करेंगे। सरकार ने शायद उन पर विश्वास कर लिया। सरकार ने उन पर विश्वास किया हो या न किया हो उन्होंने, उससे लागू नहीं किया। उसके पश्चात् क्या हुआ, आप सभी जानते हैं। व्यापारियों ने अपने वायदों की बिल्कुल परवाह नहीं की। मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुइ। जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, छोटे उत्पादकों को बड़ा कम मूल्य मिला किन्तु जमाखोरों की चांदी हो गई। खाद्यान्न के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तत्पश्चात् उपभोक्ताओं को कष्ट उठाना पड़ा। यह बात कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान हुआ न कि जनता शासन के दौरान। मैंने यह पहले भी कहा था कि मैं जनता सरकार की ओर से कोई क्षमा नहीं मांग रही हूं क्योंकि वह उससे भी गये गुजरे हैं।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल खराब

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उसके कारण भी वहीं थे और वही बातें हुईं।

यदि यह खाद्यान्न के बारे में हुआ तो चीनी का भी यही हाल था। जब भी चीनी का प्रश्न सदन में उठाया जाता है तो उत्तर प्रदेश की चीनी सरकारों का जिक्र होता है, चाहे वह चीनी सरदार कांग्रेस सरकार के पीछे हो अथवा जनता सरकार के। कुछ होता नहीं है उपभोक्ताओं को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हर बार चीनी के भाव, आकाश छूने गते हैं।

यह बात कौन नहीं समझता कि यदि चीनी का मूल्य नियन्त्रण करना है तो चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना होगा? सरकार को ऐसा करने से कौन रोकता है। क्योंकि चीनी सरदार इसे पसन्द नहीं करते और चुनाव के लिए व्यय इन्हीं से मिलना होता है, यह राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। यदि कोई गरीब लोगों को उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध करना चाहता है तो चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना होगा।

जब सारा सदन श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रशंसा में लगा हुआ था तो मैं यह बात कहने में स्वयं को नहीं रोक सकी कि खाद्य तेल तो पहले ही बड़ा महंगा है यदि इस प्रकार चाटुकारिता की गई तो कीमतो में और वृद्धि हो सकती है। हर व्यक्ति की अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार प्रशंसा में लगना चाहिये । किन्तु पिछले 12 महीनों में 800 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्य तेल का आयात किया गया ।

एक माननीय सदस्य : जनता शासन के दौरान ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : एक ही बात है । मैं इस बात को दोहराती हूं कि यह नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है । कोई अन्तर नहीं पड़ता । खैर, इतनी अपार धनराशि से खाद्य तेल आयात करने का परिणाम क्या निकला? . . . (**व्यवधान**) सभी जानते हैं कि जब तक खाद्य तेल के थोक व्यापार को अपने हाथ में नहीं लिया जाता, मूल्य वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकती । सभी जानते हैं कि आयात लाइसेंस गैर-सरकारी लोगों को दिए गये थे और इस सम्बन्ध में गुजरात में बड़ी भारी गड़बड़ी की गई है । यह स्वाभाविक है कि आयातों पर सरकार का नियंत्रण न हो तो यह व्यापारी और अन्य धनी लोग मनमानी करते हैं । निःसन्देह ऐसा जनता सरकार के शासनकाल में हुआ था लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार इस छोटे से काम को 20-सूत्री कार्यक्रम के द्वारा तेल के थोक व्यापार को अधिकार में लेकर कुछ पहले क्यों नहीं कर सकी ? उत्तर दें।

अब मैं कपड़े के बारे में चर्चा करता हूं । दोनों शासनकाल के दौरान कपड़े के बारे में क्या हुआ, इसे सभी जानते हैं . . (**व्यवधान**) हम खादी पहनने के बारे में कोई शपथ नहीं खाते । जो कुछ मिलता है, वही पहनते हैं । सभी जानते हैं कि कपड़ा मालिक सुपरफ़ाइन कपड़ा ही बनाना पसंद करता है । वे लोगों को जनता कपड़ा देना पसंद नहीं करते । ऐसा बार-बार होता आया है । मुझे बतायें कि अब तक की सभी सरकारें कपड़ा मिलें अपने अधिकार में क्यों नहीं ले सकीं ?

अब मैं अन्य अनिवार्य वस्तुओं के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं । अब तक की सभी केन्द्रीय सरकारें सर्वसाधारण के उपयोग की सभी वस्तुओं पर करोड़ों रुपए का उत्पादन शुल्क लगाती आयी है । मुझे बतायें कि समाज के दरिद्रतम वर्ग और उनका नमक, चीनी तथा कपड़ा राजकीय आय के स्रोत क्यों बने ?

पहली इन्दिरा सरकार और जनता सरकार द्वारा बड़े व्यापारियों को दिए गये बैंक ऋण का क्या बना ? बैंक ऋणों के आंकड़े देखें । ये ऋण किधर जाते हैं । ये ऋण अधिकांश बड़े बड़े व्यापार गृहों को जाते हैं । ऐसा दोनों सरकारों के शासन काल में हुआ है । इसके फ़लस्वरूप छोटे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को लाभ नहीं पहुंचता । इसी कारण कुछेक वस्तुओं के थोक व्यापार को अधिकार में लेने सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करती हूं । मेरे विचार में जनोपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानो का राष्ट्रीय करण होना चाहिये ।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले अब मैं एक और प्रश्न पर प्रकाश डालती हूं । किसी कारखाने या उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में साधारणतः यह तर्क दिया जाता है कि प्राइवेट फ़र्मों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की तरह सरकारी क्षेत्र इस विश्व में इतना कार्य-

कुशल नहीं होगा । हां, यह बात ठीक है कि लोगों का शोषण करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र सर्वाधिक कार्यकुशल हैं । इससे मैं सहमत हूं । लेकिन क्या यह कोई कारण है ? क्या वितरण और उत्पादन के सभी स्तरों पर लोगों का सहयोग नहीं लिया जा सकता ? क्या यह सम्भव नहीं है ? क्या इसे आजमाया गया ह ? यही कारण है कि हर समय केन्द्रीय सरकार निहित स्वार्थ वाले लोगों के हित के लिए इस प्रकार के तर्क देती आयी है ।

इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया जाये । मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों से इस प्रस्ताव का समर्थन करने का अनुरोध करती हूं ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट-सुब्बया) : इस गैर-सरकारी प्रस्ताव के लिए 2 घंटो का समय निर्धारित किया गया है । इसकी चर्चा में अनेक सदस्य भाग लेना चाहते हैं । प्रस्तावक ने 40 मिनट लिए हैं और माननीय सदस्या ने 20 मिनट लिए हैं । अब बहुत कम समय बाकी है । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि . . .

सभापति महोदय : इसका निर्णय अगली बार किया जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जा सकता है ।

सभापति महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : पिछले 2½ वर्षों के दौरान अर्थात् जनता तथा लोक दल शासनकाल के दौरान मूल्य 30 प्रतिशत बढ़े हैं . . .

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें । अब सभा 28 जनवरी, 1980 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28 जनवरी, 1980 / 8 माघ 1901 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

म०प्र०भा०स०मु०मि०रो०न०दि०—एल० एस० III—2392एल०एस०—14-3-80—210